खण्ड–476, अंक–5
गुरुवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1933
(11 अगस्त, 2011 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

# की

# कार्यवाही

–: 0 :–

## (अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2011)

(खण्ड 476 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2011

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | 1-6 |
| नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग | 7 |
| श्री इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा के निलम्बन प्रस्ताव को वापस लिये जाने तथा पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से उनके आचरण के लिये माफी मंगवाये जाने का अनुरोध (जारी) ... ... | 7-17 |
| प्रश्नोत्तर ... ... ... ... | 17-110 |
| श्री इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा के निलम्बन प्रस्ताव को वापस लिये जाने तथा पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से उनके आचरण के लिये माफी मंगवाये जाने का अनुरोध ... ... | 110-113 |
| विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री चन्द्रभान आजाद के निधन पर शोकोद्‌गार ... | 113-114 |
| नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... ... | 114-116 |
| बुलन्दशहर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् में जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 116 |
| लखनऊ कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मोहन होटल से होते हुए मुन्नीलाल धर्मशाला जर्जर मार्ग को शीघ्र निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 116-117 |
| उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग की 17 वैश्य जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने एवं पिछड़े वर्ग की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 117 |
| जनपद बुलन्दशहर में स्याना विधान सभा की विधायक निधि से सम्बन्धित पत्रावलियों को जिला मुख्य विकास अधिकारी द्वारा लम्बित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 117 |
| उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, हरदोई में ड्यूटी के नाम पर संविदा चालक एवं परिचालकों से माहवारी वसूल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 118 |
| औचित्य के प्रश्न की सूचनायें ... ... ... | 118-119 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 119 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी अवध पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... ... | 120 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ब्रज दर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 120 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी हस्तिनापुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 120 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी पश्चिमांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 120-121 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी सत्यदर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 121 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी त्रिवेणी परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 121 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी गंगा सरयू परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 121 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी गढ़मुक्तेश्वर परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 122 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी संगम परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 122 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ताज शिल्प पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 122 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी बुन्देलखण्ड परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 122 |

| विषय | | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|---|
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ब्रज परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) | ... | ... | ... | 123 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ज्ञानोदय परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) | ... | ... | ... | 123 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी मध्यांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) | ... | ... | ... | 123 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, की सहायक कम्पनी शाहजहांपुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) | ... | ... | ... | 123 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, की सहायक कम्पनी सिद्धार्थ पर्यटन परिपथ लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) | ... | ... | ... | 124 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, की सहायक कम्पनी हिण्डन पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) | ... | ... | ... | 124 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ताज विरासत पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) | ... | ... | ... | 124 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, की सहायक कम्पनी पांचाल परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) | ... | ... | ... | 124 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, की सहायक कम्पनी विठूर परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) | ... | ... | ... | 125 |
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, की सहायक कम्पनी अध्यावसायी परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) | ... | ... | ... | 125 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, की सहायक कम्पनी अभ्यारण परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 125 |
| लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 125 |
| जनपद सोनभद्र के ग्राम-आरंगी, ब्लाक-घोरावल में बेलन नदी से लिफ्ट द्वारा पानी उठाकर शाहगंज रजबहा में छोड़े जाने विषयक श्री राम अवध कुशवाहा तथा राजेन्द्र भारती निवासीगण जनपद सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ... ... ... | 126 |
| जनपद सोनभद्र के ब्लाक घोरावल के ग्राम लक्ष्मनपुर लिफ्ट योजना जो शासन में विचाराधीन है की स्वीकृति कर बेलन नदी से लिफ्ट द्वारा पानी उठाकर ग्राम-लक्ष्मनपुर में छोड़े जाने विषयक श्री जयनाथ मौर्य तथा श्री राम लखन त्यागी निवासीगण जनपद सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ... ... ... ... | 126 |
| कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ... ... | 126-128 |
| चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध मण्डल में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ... ... | 128 |
| चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध मण्डल में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सदस्यों क नाम-निर्देशन हेतु प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)... ... ... | 128-129 |
| नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें... ... ... ... | 129-132 |
| संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित) ... | 132-133 |
| उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित) ... | 133-134 |
| सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित) ... | 135-136 |
| उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित) ... | 136-137 |
| नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... ... | 137-141 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद आजमगढ़ स्थित मेहनगर में अधूरे पड़े डाक बंगले का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ... ... | 141-142 |
| मेरठ स्थित जामा मस्जिद खैर नगर में पानी भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कौकब हमीद खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 142-143 |
| उन्नाव स्थित मौरांवा तथा हिलौली के गांवों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 143-144 |
| नगर निगम इलाहाबाद द्वारा विधि विरुद्ध गृहकर मूल्यांकन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य... ... ... | 144-147 |
| रामपुर स्थित विलासपुर में फायर स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 147-148 |
| देवी पाटन मण्डल के अन्तर्गत गन्ना विकास समिति मनकापुर के कर्मचारियों को छठा वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बिशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 148-149 |
| गोण्डा के कटरा बाजार में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 149-151 |
| यमुना एक्शन प्लान के इम्प्लीमेन्टेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 152-153 |
| भारत सरकार की योजना यू0आई0डी0एस0एम0टी0 के अन्तर्गत गोरखपुर नगर निगम को धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 153-154 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| सिद्धार्थनगर स्थित बांसी-खेसरहा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 154-156 |
| प्रतापगढ़ स्थित मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पट्टी एवं हेमवती नन्दन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज में मानदेय के रूप में कार्यरत अध्यापकों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 156-157 |
| लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ, बांकेगंज, कुम्भी अन्तर्गत बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 कार्ड धारकों की अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 157-158 |
| झांसी स्थित धसान नदी पर पुल का निर्माण कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 158-159 |
| सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ... | 159-160 |
| राष्ट्रगान ... ... ... | 160 |
| नत्थियां ... ... ... ... | 161-196 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा
## पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

गुरुवार, दिनांक 11 अगस्त, 2011 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

**उपस्थित सदस्य-330**

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अजय तोमर, डा0 — बागपत
5. अजय यादव, श्री — एटा
6. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
7. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
8. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
9. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
12. अनिल चौधरी, डा0हाथरस (महामायानगर)
13. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
18. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
19. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
20. अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
21. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
22. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
23. अमित गौरव, श्री — एटा
24. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
25. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
26. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
27. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
28. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
29. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
30. अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
31. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
32. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
33. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
34. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
35. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
36. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
38. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
39. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
40. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
41. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
42. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
43. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
44. आर0 ए0 उस्मानी, डा0 — लखीमपुर खीरी
45. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
46. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
47. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
48. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
49. आसिफ, श्री — हरदोई
50. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
52. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
53. उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री — लखीमपुर खीरी
54. उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद

55. उदयराज, श्री उन्नाव
56. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
57. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
58. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
59. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
60. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
61. काशीराम, श्री रामपुर
62. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
63. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
64. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
65. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
66. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
67. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
68. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
69. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
70. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
71. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72. कैलाश साहू, श्री झांसी
73. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
74. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
75. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
76. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
77. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
78. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
79. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
80. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
81. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
82. घूराराम, श्री बलिया
83. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
84. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
85. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
86. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
87. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
88. छोटे सिंह, श्री जालौन
89. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
90. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
91. जगपाल, श्री सहारनपुर
92. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
93. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
94. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
95. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
96. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
97. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
98. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
99. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
100. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
101. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
102. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
103. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
104. दयाराम, श्री कौशाम्बी
105. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
106. दाउद अहमद, श्री हरदोई
107. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
108. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
109. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
110. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
111. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
112. दूधराम, श्री बस्ती
113. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
114. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
115. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
116. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
117. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
118. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
119. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर

120. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
121. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
122. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
123. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
124. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
125. नारायण सिंह, श्री आगरा
126. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
127. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
128. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
129. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
130. पशुपति, श्री गाजीपुर
131. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
132. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
133. प्रजापालन, श्री एटा
134. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
135. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
136. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
137. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
138. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
139. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
140. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
141. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
142. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
143. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
144. फागू चौहान, श्री मऊ
145. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
146. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
147. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
148. बिरजू राम, श्री जौनपुर
149. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
150. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
151. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
152. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
153. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
154. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
155. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
156. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
157. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
158. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
159. मंजू, श्रीमती बलिया
160. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
161. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
162. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
163. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
164. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
165. ममतेश शाक्य, श्री एटा
166. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
167. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
168. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
169. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
170. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
171. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
172. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
173. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
174. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
175. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
176. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
177. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
178. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
179. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
180. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
181. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
182. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
183. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर

184. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
185. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
186. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
187. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
188. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
189. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर(भदोही)
190. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0कानपुर देहात
191. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
192. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
193. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
194. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
195. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
196. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
197. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
198. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
199. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
200. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
201. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
202. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
203. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
204. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
205. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
206. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
207. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
208. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
209. राजमती निषाद, श्रीमती गोरखपुर
210. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
211. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
212. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
213. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
214. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
215. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
216. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
217. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
218. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
219. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
220. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
221. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
222. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
223. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
224. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
225. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
226. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
227. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
228. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
229. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
230. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
231. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
232. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
233. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
234. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
235. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
236. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
237. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
238. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
239. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
240. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
241. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
242. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
243. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
244. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा

245. लखीराम नागर, श्री मेरठ
246. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
247. लालजी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
248. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
249. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
250. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
251. वारिस अली, श्री बहराइच
252. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
253. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
254. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
255. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
256. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
257. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
258. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
259. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
260. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
261. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
262. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
263. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
264. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
265. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
266. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
267. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
268. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
269. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
270. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
271. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
272. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
273. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
274. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
275. शिवशंकर, श्री बलिया
276. शीशराम, श्री बिजनौर
277. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
278. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
279. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
280. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
281. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
282. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
283. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
284. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
285. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
286. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
287. संजय कपूर, श्री रामपुर
288. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
289. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'' श्री कानपुर नगर
290. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
291. संध्या, कुमारी मैनपुरी
292. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
293. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
294. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
295. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
296. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
297. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
298. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
299. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
300. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
301. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
302. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
303. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
304. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
305. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
306. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
307. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
308. सुखलाल, श्री पीलीभीत

309. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
310. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
311. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
312. सुभाष, श्री बलिया
313. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
314. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
315. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
316. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
317. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
318. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
319. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
320. सुल्तान बेग, श्री बरेली
321. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
322. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
323. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
324. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
325. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
326. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
327. हरपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
328. हसरत उल्ला, श्री एटा
329. हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
330. होराम सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर

**नोट** :-आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

**नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग**

(चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी नियम-311 की अपनी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग करने लगे।)

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मेरा 311 में है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है देखते हैं, सुना जायेगा।

**श्री इरफान सोलंकी, सदस्य विधान सभा के निलंबन प्रस्ताव को वापस लिये जाने तथा पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से उनके आचरण के लिए माफी मंगवाए जाने का अनुरोध**

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत विनम्र प्रार्थना है आपसे, मैंने इसकी नोटिस नहीं दी है इसलिए मैं आपसे आज्ञा ले लेता हूं, आधे मिनट में बात कहनी है। कल एक ऐसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गयी मान्यवर, सदन में जिस क्रम में माननीय नेता सदन और समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से सदन से जाना पड़ा। श्रीमन् आप हमारे संरक्षक हैं और आप हमेशा इस बात को श्रीमन् आप हमारा संरक्षण करते भी हैं लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें दो बातें मान्यवर, हो गयी एक तो एक माननीय सदस्य का निलम्बन हुआ जरूर आपने भारी मन से कष्ट से किया होगा। मेरा अनुरोध यह था कि उसमें जो उनका निलम्बन हुआ उसमें कोई आवश्यकता उस तरह की नहीं थी न उनकी कोई मंशा ऐसी थी न उनका अपराध कोई ऐसा था लेकिन जिन किन्हीं परिस्थितियों में हो गया हम उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करते हैं न उसकी आलोचना को कोई बात करते हैं इस पर श्रीमन् आप एक विचार कर लेंगे और उससे बड़ी एक और बात है कि जो इन सारी परिस्थितियों की जो जड़ थी जहां से इस बात की शुरुआत हुई थी आपके अनुमति देने के बाद जो बात सदन में रखी और सबने इसको देखा मान्यवर, और उसके बाद जो आचरण इस सदन में एक मंत्री का था उस आचरण के कारण मान्यवर, यह सारी बातें उत्पन्न हुई। हमने कल आपसे अनुरोध किया था कि आपका जो भी निर्णय हो जो भी हो, हम शिरोधार्य करेंगे हम वैसे नियमों में भी बाध्य हैं और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने कहा कि हम पूरी तरह से आपके इस जूरिस्डिक्शन को अपने को उसके सामने सरेन्डर करते हैं उन परिस्थितियों में मान्यवर, हमको अपेक्षा यह थी कल आपके मन में रहा होगा कि आपके लिए विपक्ष और सरकार दोनो एक तरह के हैं सभी सदस्यों का सम्मान बराबर है इसलिए इसकी जहां से शुरुआत हुई है, उस जड़ को खत्म करने के लिए आप ऐसा निर्देश देंगे कदाचित हमारे चले जाने के कारण ऐसा न हो पाया हो तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कल जो कुछ इस सदन में एक मंत्री द्वारा किया गया आप उनसे जैसे आप उनको आदेशित करना चाहें, अनुरोध करना चाहे मैं आपके शब्दों पर तो नहीं, उसमें नहीं कुछ निवेदन कर सकता। लेकिन आप यह कहें कि अपने आचरण के लिये वह क्षमा मांगे और उस सदस्य का निलम्बन वापस हो, हम इन दो बातों को कहना चाहते हैं और इसीलिये नेता प्रतिपक्ष स्वयं जितने व्यथित थे, हम लोगों ने भी उनसे अनुरोध किया कि अध्यक्ष जी हम लोगों के संरक्षक है और हम लोगों को अपनी कोई भी बात अपने संरक्षक से सदन में जाकर कहनी चाहिये क्योंकि यह सदन प्रदेश का आईना है, सभी लोग देखते हैं इसको। इसलिये हमारी दो

बातें हैं, हम आपसे मांग करते हैं कि सबसे पहले आप मान्यवर, उस मंत्री के आचरण को, जिसको आपने पूरी तरह परख भी लिया, कार्यवाही भी देख ली है और जो वीडियो रिकार्डिंग है, उसको भी आपने देख लिया है। उसके अनुसार मान्यवर, उनसे माफी मांगने के लिये आप उनको आदेशित करें और सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चले, यही हमारा अनुरोध है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय अम्बिका चौधरी जी ने दो प्रश्न उठाये हैं। मान्यवर, आप नियमों में देख लें। नियमावली का नियम 299-क है यदि कोई सदस्य सदन के किसी उपवेशन में सभा मण्डप के मध्य रिक्त स्थान में जाकर सदन के सेवकों की मेज पर रखे पत्रादि को छीनता है या छीनने का प्रयास करता है अथवा उन्हें फाड़ता है या फाड़ने का प्रयास करता है अथवा कोई कागज, पत्रावली आदि अध्यक्ष पीठ की ओर फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है अथवा अध्यक्ष पीठ पर चढ़ता है या चढ़ने का प्रयास करता है तो अध्यक्ष पीठ पर चढ़ता है या चढ़ने का प्रयास करता है तो अध्यक्ष अथवा पीठासीन सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य का नाम पुकारे जाने पर, ऐसा सदस्य उक्त उपवेशन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित समझा जायेगा। मान्यवर, इसमें स्वतः है, प्रस्ताव की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी आपने मान्यवर, जब कागज फाड़ने के उपरान्त इंगित किया, मैंने प्रस्ताव रखा और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। जहां तक माननीय मंत्री जी का सवाल है। माननीय मंत्री जी ने कल ही इस बात को जब बाद में वह उत्तर दे रहे थे, उस समय जब इस बात को माननीय आजम जी ने प्रश्न उठाया था और आग्रह किया था तो उन्होंने काफी भावुक होकर पूरी परिस्थिति को वर्णन करने का काम किया कि मैंने ऐसे काई शब्द का प्रयोग नहीं किया है और मेरा भाव ऐसा कतई नहीं रहा है कि जिससे किसी का अपमान हो। मेरे ऊपर आरोप लग रहे थे, ऐसी परिस्थिति में मैंने यह कहा कि मैं जानता हूं। मान्यवर, अगर जानना शब्द, आप स्वयं इसका निर्धारण कर लें उन्होंने जब सफाई दे दी कि उनका आशय ऐसा नहीं रहा है उसके बाद मान्यवर, सदन में हमने भी देखा है कि बड़ी से बड़ी बात को भी अगर सदस्य या मंत्री कोई भी बात को कह लेता है कि हमारा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था तो अपने आप उसको समाप्त समझा जाता है। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा और माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी इस बात का आग्रह करूंगा कि इस प्रकरण का पटाक्षेप यहीं पर करने का काम करें ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, कल जो कुछ हुआ, वह बहुत अच्छा नहीं था। आप नहीं थे, शायद इसलिये ऐसा हुआ बहुत सी चीजें लिखने में नहीं आती हैं और जिस तरह से आप दौड़कर आये हैं, सेकेण्डस के अन्दर आप यहां पहुंच गये थे, आप भी आ गये थे, सभी वरिष्ठ मंत्री साहबान आ गये थे, उससे भी आप खुद इसकी गम्भीरता का अंदाजा लगायें कि आखिर वह कौन से हालात थे जिन्होंने आपको यहां इतना जल्द दौड़कर आने के लिये मजबूर कर दिया। माहौल बहुत अच्छा हो गया था और मेरे ख्याल से मंत्री जी की तरफ से कुछ ऐसे शब्द आने वाले थे जिससे इधर की संतुष्टि हो जाती और पूरे सदन का मान सम्मान रह जाता। क्या कारण रहे वह कारण हमने देखे भी लेकिन अब उसकी तरफ कहना मुनासिब नहीं होगा। अब भी बेहतर बात यही होगी कि शब्दों के फेर में न आया

जाये। कभी-कभी बहुत अच्छी बात अगर कड़वे ढंग से कही जाती है तो उसके मतलब कड़वे निकलते हैं और बहुत कड़वी बात अगर बहुत शालीनता से कही जाये तो बुरी नहीं लगती जो कि सदन में रोज होता है। जो अंदाज रहा, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो अंदाज रहा, जो जुमले थे, जिस पर मैंने आपसे एक बात कही थी कि क्या उस परिवार में एक व्यक्ति को भी अच्छे होने का अधिकार नहीं है। वह भी छीन लिया आपने। उस व्यक्ति की क्या गलती है, वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो सकते हैं, माननीय शिवपाल जी हो सकते हैं, राम गोपाल जी हो सकते हैं, अखिलेश जी हो सकते हैं कोई और हो सकते हैं उस परिवार के। यह मैंने इसलिये कहा था, यह मिसाल इसलिये दी थी कि दूसरे मा0 सदस्यों को खुदा न करें अपमानित करना चाहा हो बल्कि इसलिये कि हमें यह एहसास रहे कि किसी एक व्यक्ति का हम लिहाज करें और मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा आपने उसका लिहाज भी नहीं किया। अगर उसका लिहाज भी आप कर लेते, निजामत का थोड़ा भी इजहार अगर आपकी तरफ से हो जाता तो सदन की लाज रह जाती है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मान्यवर, किसी परिवार के बारे में, किसी के भी परिवार के बारे में जिस तरीके से बात आई और अम्बिका चौधरी जी का नाम लेकर जितने गुस्से से बात आई शायद वह आप पर शोभा नहीं देता था, एक मंत्री पर शोभा नहीं देता था। ठीक है, अगर इल्जाम लगे थे नेता प्रतिपक्ष ने कहा और हम यहां आपकी तारीफ तो करने के लिये आये नहीं हैं अगर अच्छा काम करेंगे तो तारीफ भी इसी सदन में हुई है। तो मान्यवर, इस पर हम आपसे संरक्षण चाहेंगे और बिल्कुल चाहेंगे क्योंकि सदन एक दिन का रह गया है, इस पर कोई व्यवधान न हो और यहां से हमें अगले एक दिन के लिये कोई कड़वी यादगार लेकर न जाना पड़े। यह नहीं कहा जा सकता कि हम अगले चुनाव से पहले बैठेंगे भी या नहीं बैठेंगे इसलिये आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप इसमें सीधे हस्तक्षेप करें और आप निर्णय लें कि आपको इसमें क्या करना है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शुभ संकेत देख रहा हूं कि कल वातावरण में बहुत तनाव था और आज सब जो यहां बैठे हैं बेहतर वातावरण में बैठे हुए हैं और लगता है मैंने जो सुना मा0 अम्बिका चौधरी जी को, मा0 लालजी वर्मा जी को और मा0 आजम खां जी को, सभी की इच्छा है कि शान्तिपूर्वक सदन चले। सदन यूं ही कल समाप्त होना प्रस्तावित है तो आज का दिन अगर हम अच्छा निकाल लें तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में अच्छा संदेश जायेगा। मान्यवर, दो बातें सामने हैं एक इरफान साहब का निष्कासन और दूसरी नेता विरोधी दल के प्रति कहे गये शब्द जो सभी को अच्छे नहीं लगे। मान्यवर, कोई सदस्य इस बात को नहीं कहेगा कि हम अपने विरोध-प्रदर्शन में एक सीमा पार कर लें। कागज का फाड़ना, गोले बनाकर फेंकना इसके लिये हम रोज कसम खाते हैं सदन के बाहर जाकर और जैसे ही सदन में आते हैं भूल जाते हैं लेकिन मान्यवर, यह भी देखना पड़ेगा कि इरफान साहब नौजवान हैं, अभी उतना अनुभव नहीं है। वैसे विनम्र हैं, आपको लगता है कि उन्होंने भावावेश में अगर ऐसा किया है तो मान्यवर, अगर नियमों में नियम-299 है तो उसी में और नियम भी हैं। वह तो इस समय बाहर होंगे आप ही अन्दर कुछ उदारता दिखायें, सरकार से भी मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि थोड़ी उदारता दिखायें। कल की बात भूल जायें और अगर कोई भी वरिष्ठ सदस्य खड़े होकर आपसे ऐसा कहे तो मैं समझता हूं कि मान लेना चाहिये और उनको ससम्मान

वापस बुलाना चाहिये और कहना यह चाहिये कि भविष्य में ऐसी घटनायें न करें। मान्यवर, दूसरा प्रश्न नेता विरोधी दल का है, मान्यवर, तीन पद बहुत महत्वपूर्ण हैं इस सदन में। एक आपका है, जो सर्वोच्च है जिस पर आप पीठासीन हैं। मान्यवर, उस तक तो कोई बात पहुंचनी ही नहीं चाहिये, पहुंचती भी नहीं है और पहुंचेगी भी नहीं क्योंकि जिस समय हम आप पर कोई बात कटु कहें तो सच पूछिये तो वह आप पर नहीं कही जाती है बल्कि पूरे सदन का अपमान होता है, सदन की अवमानना होती है और अगर हम अपनी गरिमा की रक्षा खुद नहीं कर सकते तो फिर दूसरों से क्या आशा करें। दूसरा पद मान्यवर, आदरणीय नेता सदन का होता है, मान्यवर, एक दल का मुखिया होने के नाते ही मुख्य मंत्री बनते रहे हैं, यही लोकतंत्र का तकाजा है कि जिसको बहुमत मिलता है वह मुख्य मंत्री बनता है और वही नेता सदन होता है।

नेता सदन एक दल के नेता ही नहीं मुख्य मंत्री ही नहीं बल्कि सदन का नेता परिभाषित किया गया है। यानी सबकी नेता होती हैं। तो हमें उनके प्रति भी पूरा सम्मान का भाव रखना चाहिये और जो कुछ भी कहना हो नियम और नियमावली के अनुसार कहा जाय तो मैं समझता हूं कभी-कभी हम लोग उस सीमा का अतिक्रमण कर देते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते हैं। नेता विरोधी दल के रूप में श्री शिवपाल जी के बारे में ही नहीं मैं उस पद के बारे में कहना चाहता हूं उस पद पर आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी, बाबू त्रिलोकी सिंह जी न जाने कितनी महान विभूतियां बैठ चुकी हैं। वह लोग संसदीय परम्परा की एक जीती जागती मिसाल रहे हैं मैं दो दिन से तारीफ कर रहा था श्री शिवपाल सिंह जी की कि वह पूरा समय दे रहे हैं और वह अपनी बात तैयारी के साथ कह रहे हैं वह अपना दायित्व निर्वाह कर रहे हैं मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि उस पद की भी गरिमा रखी जानी चाहिये और आप पर हम सबको छोड़ देना चाहिये कि आप कार्यवाही निकलवाकर दिखवा लें जैसा कि अम्बिका चौधरी जी ने कहा अगर ऐसा कुछ हो जो अप्रिय हो। हो सकता है संसदीय हो पर अप्रिय हो तो नेता विरोधी दल के पद की गरिमा के अनुसार आप उसे अपने ढंग से विलोपित कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ संसदीय और असंसदीय से कार्य नहीं चलता और मैं सरकार से भी कहूंगा कि उदारता दिखाये और हम सबको अध्यक्ष जी पर छोड़ देना चाहिये। इस बात को कहते हुए मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि एक दिन का सदन बचा है कि बहुत सी समस्यायें हैं बहुत सी परेशानियां हैं अगर ऐसा न होता तो क्यों श्री शिवपाल सिंह जी और अम्बिका चौधरी, आजम साहब और पूरी समाजवादी पार्टी यहां मौजूद होती। सत्तारूढ़ दल भी पूरी तैयारी के साथ सदन को चलाना चाहता है। कहीं एक गतिरोध है उस गतिरोध को आप ही समाप्त कर सकते हैं आप कार्यवाही दिखवा लें जो कुछ नेता विरोधी दल की गरिमा के विरुद्ध कहा गया हो उसे विलोपित कर दें और जो कुछ नेता सदन सुश्री मायावती जी के विरुद्ध कहा गया हो उसे विलोपित कर दें और सदन को एक गरिमामय ढंग से उच्च परम्पराओं को रखते हुए एक फार्मूला होता है फारगेट एण्ड फारगेट भूल जाओ और क्षमा करो तो भूल जाओ और क्षमा करो के अनुसार अगर हम आगे बढ़ें तो बहुत कृपा होगी और नेता सदन और नेता विरोधी दल दोनों पदों की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिये यही मेरा विनम्र अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

जैसा कि अभी माननीय अम्बिका चौधरी जी ने दो विषयों की तरफ इंगित किया है कि सोलंकी साहब का जो निलम्बन हुआ है उस पर विचार कर लें। मैं बराबर इस बात की कोशिश करता

हूं कि जिस रूप में आप सब सहयोग देते हैं मेरे आचरण से या मेरे शब्दों से या व्यवहार से किसी सदस्य को कष्ट न हो आर न ही कभी यह निर्णय लेना चाहता हूं कि किसी का निलम्बन, निष्कासन या कड़े शब्दों में मैं बोलूं। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हो सकता है कि कुछ आक्रोशित होकर अपने आचरण को प्रस्तुत कर दूं। सोलंकी साहब जो हमारी विधान सभा के सम्मानित सदस्य हैं। सदन एक परिवार माना जाता है बाहर जो भी हमारी रीति हो, नीति हो अपने-अपने दल के निर्देश हों उस आधार पर काम करते हैं लेकिन जब सभा मण्डप में बैठ जाते हैं तो हम सभी भाई हो जाते हैं और एक परिवार के रूप में हमको आप यहां बैठा देते हैं कि आप कोशिश करके परिवार का मिला जुलाकर चलिये। श्री सोलंकी हमारे परिवार के सदस्य हैं उसका प्रस्ताव भी आयेगा किसी सदस्य के साथ मैं नहीं चाहता। आचरण के सम्बन्ध में नियमावली और नियमों में उल्लिखित है कि इस तरह के आचरण के लिये क्रिया प्रतिक्रिया की जा सकती है उस नियमावली का सम्मान करते हुए मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका पक्षधर नहीं था और मैं इस पर विचार भी कर लेता हूं प्रस्ताव भी आ जायेगा कि सोलंकी साहब को सदन में लाया जाय, बैठाया जाय। दूसरा बिन्दु है वास्तव में उस समय पीठ पर नहीं था हमारे अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य थे। कल आने के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जिस भावनाओं के साथ माननीय मंत्री जी के आचारण पर या भाषा पर दुख व्यक्त किया है या आपत्ति की कि इन्होंने कहा कि मैं आपके परिवार को जानता हूं और देखा हूं इस पर माननीय मंत्री जी मेरे समक्ष बैठे हुए थे मैं पीठ पर था भावुक होकर बोलने लगे कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष जी के ऊपर या उनके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप की नीयति से मैं बोला हूं। मोहम्मद आजम खां ने भी इस पर कहा कि भाई आप एक अच्छे परिवार से हैं, एक अच्छे राजनीतिक परिवार से, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्य हैं, आपको भी एक अच्छा आचरण रखना चाहिये, गरिमा रखनी चाहिये उस परिवार की और माननीय मंत्री जी ने भी बड़े भावुक होकर इस विषय पर कहा कि हमारा कुछ इस तरह का आचरण नहीं है कि मैंने इस तरह का किया हो और न हमारा कोई दोष है, या हमारे खिलाफ कोई इस तरह का अपराध हो। अगर मेरे खिलाफ कोई इस तरह का अपराध हो तो मैं मंत्री पद से ही नहीं विधान सभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह से भावुक होकर जो उन्होंने अपना रुख रखा उससे हम सब भी भावुक हुए। माननीय मंत्री जी को बराबर भ्रष्ट कहा जा रहा है, अपराधी कहा जा रहा है, इसलिये मैं भी दुखी हूं, मैं भी इस सदन का, इस परिवार का सदस्य हूं। बराबर तीन दिन से मुझको अपराधी और भ्रष्ट कहकर अपमानित किया जा रहा है, इससे मुझे ठेस पहुंची है। अब जो भी भाव रहा हो। मैंने कल कार्यवाही में कहा था कि जो भी असंसदीय, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हुआ होगा और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के प्रति अपमानित कुछ ऐसे शब्द होंगें तो उसको मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा। ऐसी परिस्थिति में आज सुबह अम्बिका साहब जो प्रस्ताव लाये है कि मंत्री जी क्षमा मांग लें। तो परम्परा बहुत अच्छी है। नेता प्रतिपक्ष जी बहुत लम्बे समय से इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे हैं और मैंने तो कल भी कहा था कि अगर कार्यवाही में कोई अमर्यादित शब्द होंगें इस तरह के तो उनको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। उन्हें कार्यवाही का अंग नहीं बनने दिया जायेगा जिससे किसी को कोई ठेस पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष जी आप बहुत विशाल हैं वो आपसे छोटे हैं और यह कहा भी गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए अब जिस तरह से भावुक होकर वह रोने की स्थिति में आये उससे हमको कष्ट हुआ। इसके बाद मैं यही चाहता हूं कि हम न नियमावली के आधार पर जायं और न कार्यवाही करें। क्योंकि आप बड़े भाई हैं एक बार क्षमा इनको कर दीजिये और यह आभास भी कर लें माननीय मंत्री

जी कि अगर कहीं इस तरह का कोई आंतरिक तौर पर कोई इस तरह का आपका कोई संकेत रहा हो तो उसका आभास करना चाहिये। केवल नेता प्रतिपक्ष की ही नहीं यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे की मर्यादा का पालन करें तो मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने अपने भाव को प्रकट करके अपनी नीयति को स्पष्ट किया और भावुक होकर के आपके सामने आंसू बहाकर के कहा और अब अगर इस पर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनायेंगे तो मैं कहूंगा कि आप ही बड़े हैं आप क्षमा कर दें। इस बात को आगे बढ़ाने से क्या होगा ? मैं तो आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल सही फरमाया है और हम सब इसका आदर करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को क्षमा कर देना चाहिये। जाहिर है कि कहीं गलती होगी जिसके लिये क्षमा करना चाहिये। लेकिन जिसको क्षमा किया जाय उसकी ऐसी ख्वाहिश भी तो हो कि मुझे क्षमा कर दिया जाय। (शोर) मंत्री जी के ऐसा करने के बाद यकीनन मैं वकील बन जाऊंगा और कहूंगा कि क्षमा करना चाहिये। मैं तो मान्यवर, इस शब्द के पक्ष में भी नहीं हूं कि सदन में कोई शख्स क्षमा लब्ज का इस्तेमाल करे, माफी का। हां एहसास कर लें कि मुझसे भावुकता में ऐसा गलत हो गया, मुझे इसका एहसास है और बात खत्म। इतना ही काफी है, बस।

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं मैंने न कल कोई आपराधिक कृत्य किया था और न मैं आज कोई आपराधिक कृत्य करने जा रहा हूं। मैंने अपनी बात को बिल्कुल सही कहा था और विगत तीन दिन से लगातार मुझे अपराधी और हत्यारा कहा जा रहा था। मैं 51 वर्ष के अपने जीवन में आज तक कभी भी ऐसे किसी केस में जेल नहीं गया हूं। जबकि मेरे विरुद्ध मेरे इलाके का सबसे बड़ा छविराम गिरोह का डकैत, जिस पर 68 मुकदमें और 64 मुकदमें हैं यह समाजवादी पार्टी उससे लगातार मेरे विरुद्ध 156(3) में मुकदमें डलवाती रहती है और अगर मैंने सही बात अपनी कह दी तो मैंने अपराध कर दिया। मैंने आपसे कहा कि सन् 1971 में जब मैं स्वयं 11 वर्ष का था तब मैं सैफई बारात में गया हूं। मैं माननीय शिवपाल जी को बहुत ढंग से जानता हूं जब यह डिग्री कालेज में इटावा में पढ रहे थे तब मैं वहां दसवीं क्लास में इटावा में एक वर्ष पढ़ा भी हूं मैंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया। यह मुझे भ्रष्टाचारी कहेंगे या अपराधी कहेंगे। मेरे बच्चे आज भी लखनऊ में किराये के मकान में रहते हैं। मेरे पिता चार बार विधायक रहे। मैं चार बार विधायक और दो बार मंत्री रहा हूं और मैं अगर सही कह दूंगा तो इन्हें अभी और बुरा लग जायेगा इसलिये मैं कुछ सही कहना नहीं चाहता हूं।

(शोर)

लेकिन न मैंने कोई आपराधिक कृत्य किया है और मैं अपनी मौत होने तक कभी भी क्षमा नहीं मांग सकता। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं मैंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

क्षमा मांगने को कहां कहा गया है, जब इसका पटाक्षेप करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, माहौल कल भी जब हम नेता प्रतिपक्ष के पीछे बहुत मायूसी के माहौल में गये हम सदन का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते थे, ज्यादा नारेबाजी भी नहीं चाहते थे। यहां काम भी था उसमें भी व्यवधान नहीं डालना चाहते थे कल भी मान्यवर, एक बहुत जिम्मेदार शख्स ने जब शायद मंत्री जी शायद कुछ अच्छी बात कहने वाले थे सदन के एक बहुत जिम्मेदार शख्स ने अपने हाथ के इशारे और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से उन्हें ऐसा करने से रोका था इस तरह से इशारों से सदन नहीं चलता है। नकाब डालना चाहिये ऐसे लोगों को अपने चेहरों पर बगैर नकाब के अदाकारी करेंगे तो नजर आयेंगे।

श्री अध्यक्ष-

क्षमा कर दें, पटाक्षेप कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

हमने तो कहा था जैसा आप कहें और आप ही के कहने पर थे आपके कथन का किसने सम्मान किया और किसने अपमान किया ? और जो बात आपने किसी सदस्य की ओर से उसकी बिना किसी बात समझे कह दी और उसने इसी सदन में आपकी बात को खारिज किया कि जो आप इस सदन में कह रहे हैं उससे सहमत नहीं है जिसने खारिज किया उस पर आपकी इतनी मेहरबानी की नजर है और जिसने पूरी तरह से मान्यवर, अपने को मर्यादाओं के साथ समर्पित किया तो सारा कोप आपका उसी की तरफ रहेगा। तो आप संरक्षक की भूमिका में कैसे न्याय कर पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, मैंने यह नहीं कहा कि आप माफी मांग लें पटाक्षेप के लिये क्षमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको भी कल आजम खां साहब ने कहा कि क्षमा शब्द निकाल दीजिये, खां साहब का बड़प्पन था। मैंने कह दिया उन्होंने कहा निकाल दीजिये, अध्यक्ष जी इतना भावुक न होइये, तो उस बड़प्पन को हमने बहुत नोटिस किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने अध्यक्ष जी सदन में देखा पूरी तरह खारिज किसने किया ?

श्री अध्यक्ष-

अगर हम कहते मंत्री जी आप क्षमा मांग लीजिये और वह कहते कि नहीं मांगूगा तो कहा जाता। मैंने तो सब कुछ भरोसा नेता प्रतिपक्ष पर छोड़ दिया। मैंने तो मंत्री जी से कहा ही नहीं आप क्षमा मांग लीजिये। तब कैसे कहें कि हमारी बात को काटा, हमने तो पूरा का पूरा नेता प्रतिपक्ष पर छोड़ा है कि आप पटाक्षेप कर दें। हमारे सदन के प्रतिपक्ष के नेता हैं उसको पटाक्षेप कर दें यह कहा है। क्षमा करने को कहा कुछ गलत नहीं कहा है बहुत सी बातें होती हैं कहा जाता है चलो पटाक्षेप कर दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नेता विरोधी दल का मैं बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। मान्यवर, मै। उनसे क्षमा मांगता हूं सदन की तरफ से मैं खेद व्यक्त करता हूं। आपको कोई या अवधपाल जी

को कोई कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा मांगता हूं आप दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, सदन चलने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जिसने अध्यक्ष जी की बात को खारिज कर दिया और प्रमोद तिवारी जी यह कह रहे हैं तो मैं इनको प्रणाम करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, कल जो पी0सी0डी0एफ0 का मामला था और यहां किसी ने भी नहीं, मैंने भी हत्यारा नहीं कहा, दिखवा लीजिये, कार्यवाही में होगा। लेकिन पी0सी0डी0एफ0 में जो हो रहा है, यह गरीबों से जुड़ी हुई संस्था है और वहां पर 42 कर्मचारी मर भी चुके हैं और 25 मरने की इजाजत मांग ली है, इजाजत मांग रहे हैं और मरेंगे, भ्रष्टाचार के कारण। अगर किसी विभाग में भ्रष्टाचार है तो किस पर आरोप लगेगा ? अगर मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप है, मंत्री के कारण पी0सी0डी0एफ0 बैठा जा रहा है, कर्मचारी मर रहे हैं, जहां लाखों लोगों का भुगतान न हुआ हो तो इस पर चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी, आरोप किस पर लगें ? हमें बतायें कि आरोप किस पर लगेंगे ? और जहां तक सवाल है, हमेशा हमारा प्रयास भी रहा है कि सदन शान्त तरीके से चले, व्यवस्थित चले, सुचारु रूप से चले और मैं आपका बहुत आभारी हूं, अध्यक्ष जी, आपका भी प्रयास रहता है कि सदस्य अधिक से अधिक अपनी समस्या रख लें और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार में और मंत्रियों के कारण हमारे प्रदेश पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, मंत्रियों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हम अपनी बात पूरी रखेंगे, मैं आपका बहुत आभारी हूं आप प्रत्येक सदस्य को भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक अपनी बात रख लें। क्या जनता के प्रति हमारी जवाबदेही नहीं है ? क्या हो रहा है, प्रदेश में मंत्रियों के कारण और इन मंत्रियों के कारण मैं बताना चाहता हूं, मान्यवर ..

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी, मंत्रियों के बारे में जब-जब मौका मिलेगा, तब आप बतायेंगे, सरकार की आलोचना करना आपकी जिम्मेदारी है लेकिन ...

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मेरी जनता के प्रति जवाबदेही है, प्रदेश लुट रहा है, पी0सी0डी0एफ0 बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कर्मचारी मारे जा रहे हैं और किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है तो उनकी बात उठाने की हमारी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी, कल इस विषय पर आपके विचार आ गये थे। चलिये आपने अपनी बात कह दिया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को मैं कभी बर्दास्त नहीं कर सकता, ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिये। झूठे मुकदमें लगा करके, क्या मैं नहीं जानता कि इटावा क्यों रहे थे जा करके ? क्या मैंने उसमें हेल्प नहीं की थी ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो आपकी अच्छाई है, आपको मैंने हमेशा बोलने का अवसर दिया है, आपका अधिकार है लेकिन जो विषय सामने आया है, इस पर पहले बात रख लें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हम भी अपनी बात रखेंगे, इन्होंने अपने परिवार की सफाई दी तो क्या हम अपने परिवार की सफाई नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अरे अब इसको इतना बड़ा मत ले जायें।

श्री अध्यक्ष-

एक सम्मानित परिवार है जिनके राष्ट्रीय स्तर के नेता है अब क्या उस परिवार की बहस यहां करायेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कौन उस परिवार को नहीं जानता है।

श्री अध्यक्ष-

सब जानते हैं पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह वहां इटावा में रहे लेकिन किसके डर के कारण रहे, डकैतों के डर के कारण रहे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी एक मिनट, परिवार को इसमें मत लाइये। जिस परिवार में समाजसेवी हों, इतने संघर्षशील नेता हों उस परिवार को यहां पर परिभाषित करेंगे, इस परिवार वाली बात को रोक दें। सब उस सम्मानित परिवार को जानते हैं। दुनिया जानती है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल भी कहा था कि पता लगा लेना कि किसका ठेका है, कौन कम्पनी है, इसकी जांच करा लो आप मंत्री हो तो क्या आपके लोगों को ठेकेदारी मिलेगी। मनमानी करेंगे, पैसे का गबन करेंगे। प्रदेश को बर्बाद करेंगे। यह हम लोग कभी बर्दास्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह अलग विषय है। नेता प्रतिपक्ष जी, आप नहीं बैठेंगे, यह जिद बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं तो आप नहीं बैठेंगे। आप इस पर बोल चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष जी, आप इस पर बोल चुके हैं। आप बैठ जायें। कल बोल चुके हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियमों में सारी व्यवस्था है। किसी बात को उठाने के लिये नियमों में व्यवस्था है। अनर्गल बात सुनने के लिये यह सदन नहीं बैठा है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नहीं बैठेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर शराबा उत्पन्न हो गया)

(शोर शराबे के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

यह क्या तरीका है ? कह रहे हैं कि बैठेंगे नहीं। माननीय चौधरी साहब माननीय नेता प्रतिपक्ष का यह कहना कि बैठूंगा ही नहीं यह कोई परम्परा है ? उस पद की गरिमा को कैसे संभाल रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम-289 देखें जिसमें सदन में बोलने के लिये पालनीय नियम है। मान्यवर, नियमों में व्यवस्था है कि कैसा शब्द बोलें और किस तरह से बोला जायेगा। जिस बात को लेकर दुहाई देने का काम कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने ऐसा शब्द कहा, मान्यवर, अगर वही बात यह बार-बार कहेंगे तो यह सदन क्या उस बात का सुनेगा या उनके लिये यह नियम लागू नहीं होगा। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष की भी एक गरिमा है एक सीमा है। अगर उस सीमा का उल्लंघन होता है तो यह उचित नहीं है। मान्यवर, नियमों में निवेदन करना चाहता हूं। नियम-315 देखें जिसमें सदन में विषय उठाने की प्राथमिकता दिया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछकर नेता प्रतिपक्ष को और विपक्ष को निकाल दीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, निकालने की बात नहीं हुई है। मान्यवर, यह गलतबयानी करते हैं। यह निराधार और तथ्यहीन बयान कर रहे हैं। मान्यवर, हमने पहले ही कहा कि इस सदन की गरिमा रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इनसे प्रस्ताव मांग लीजिये। प्रस्ताव ले आइये।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

(नारेबाजी करते हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी यह गलत बात है आप बोलते जायेंगे और कह रहे हैं मैं बैठूंगा ही नहीं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल में आ करके नारे लगाये गये)

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, इन लोगों ने कितने करोड़ का गबन किया था, ये भी बता दें, नेता प्रतिपक्ष जी। आप लोग पहले अपने गिरेबान में तो झांककर देख लो।

श्री जोखू लाल यादव, श्री उदय राज तथा श्री विशम्भर सिंह यादव सदन की वेल से दुग्ध मंत्री को बर्खास्त किये जाने सम्बन्धी नारे लगा रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, आप अपने सदस्यों को बैठा लीजिये। अब मैं इतना कुछ कह चुका हूं तो अब समाप्त करें। नेता प्रतिपक्ष जी, आप क्यों उसी बात को दोहरा रहे हैं ? आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं न, सदन नहीं चलाना चाहते हैं ? कितनी बार अनुरोध किया गया है कि सदन को चलाया जाये। मा0 प्रमोद तिवारी जी ने क्षमा तक मांगी कि सदन को चलाया जाये। मैं भी बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि सदन को चलाया जाये क्योंकि जितने भी दिन सदन चलना है ठीक-ठाक चले। सत्ता पक्ष भी बैठा और चाहता है कि सदन चलाया जाये लेकिन आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं। आप लोगों की जनता के प्रति रुचि नहीं है। कम से कम सदन तो चलने दीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनके लोगों के पास और कुछ है ही नहीं। निराधार बातों के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं।

(श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन के फ्लोर से लगातार नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सदन की कार्यवाही अपराह्न 12.20 बजे तक स्थगित की जाती है।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

# प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### प्रदेश के गरीब किसानों, भूमिहीनों एवं समाज के अन्य गरीब व्यक्तियों के उत्थान हेतु योजना

**1-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के द्वारा भुखमरी के कारण की जा रही आत्महत्याओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

प्रदेश के किसानों द्वारा भुखमरी के कारण की जा रही आत्महत्याओं का कोई भी प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है।

गरीब किसानों, भूमिहीनों एवं समाज के अन्य गरीब व्यक्तियों के उत्थान हेतु राज्य सरकार द्वारा कई विकास एवं कल्याणकारी योजनायें कार्यान्वित की जा रही है। यह योजनायें राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है। कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान एवं कृषि विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, कृषि विपणन विभाग एवं अन्य विभागों के माध्यम से क्रियाशील की जा रही है। इसके अतिरिक्त खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा गरीबों के लिये कम मूल्य पर खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जाता है। जनपद स्तर पर इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है।

प्रदेश में किसानों द्वारा भुखमरी के कारण की जा रही आत्महत्याओं का कोई भी प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है। शेष उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश को प्रदूषणमुक्त बनाये रखने हेतु पर्यावरण नीति का विवरण**

**2-श्री जोखू लाल यादव-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश को प्रदूषणमुक्त बनाये रखने हेतु सरकार की कोई पर्यावरण नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य पर्यावरण नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

**प्रदेश के नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु औद्योगिक नीति**

*1-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007 से जुलाई, 2011 तक प्रदेश में कितने नये उद्योग स्थापित हुए हैं तथा कितने उद्योगों का पलायन हुआ है ? क्या सरकार द्वारा प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु कोई औद्योगिक नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

वर्ष 2007 से जुलाई, 2011 तक प्रदेश में 1,52,058 नये उद्योगों की स्थापना हुई है।

---

**नोट** :-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

वर्ष 2007-08 में कुल 32,837, वर्ष 2008-09 में 33,771 उद्योग, वर्ष 2009-10 में कुल 37,435 उद्योग, वर्ष 2010-11 में कुल 35,861 उद्योग तथा वर्ष 2011-12 में माह जुलाई, 2011 तक कुल 12,154 उद्योगों की स्थापना हुई है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना में वृद्धि हुई है।

जी हां।

प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु निम्न नीतियां लागू हैं :-

(1) औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004

(2) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003

(3) प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना।

(4) नवीन एवं वृहद व मध्यम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के क्रम में विभिन्न अनापत्तियों एवं लाइसेन्सों को सुगमता व समयबद्ध रूप में आन लाइन प्राप्त करने हेतु निवेश मित्र योजना 18 जनपदों में संचालित है।

(5) प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि के क्रय पर स्टैम्प शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है।

(6) तकनीकी उन्नयन योजनान्तर्गत नई तकनीकि की खरीद पर औद्योगिक इकाइयों को रु0 2.00 लाख तक की अनुदान की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

*2-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[2सरे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## तारांकित प्रश्न

### प्रदेश में किसानों हेतु दुर्घटना बीमा योजना

*1-श्री जोखू लाल यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की कृषि कार्य करते समय अचानक ठंड से या जहरीले जन्तुओं/सांप आदि के काटने से मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को आर्थिक अनुदान देने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त खातेदार/सहखातेदार कृषक जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो तथा आयु 12 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य हो, की अप्राकृतिक मृत्यु जैसे आग, बाढ़, बिजली गिरने, करन्ट लगने, सांप काटने एवं जीव जन्तु काटने, मारने, नदी, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने, मकान गिरने, वाहन दुर्घटना, डकैती, दंगा, मारपीट तथा

आतंकवादी घटना आदि से होने पर उनके आश्रितों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

*2-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[2सरे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में कुपोषण से बच्चों को बचाने की योजना**

*3-श्री कुवेर सिंह-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र, जलेसर में कुपोषण से बच्चों को बचाने हेतु क्या सरकार की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि विपणन तथा भू-तत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

प्रदेश में सभी जनपदों के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिये योजना लागू की गई है। उक्त जिला भी इससे आच्छादित है।

कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिये विभाग द्वारा 06 माह से 03 वर्ष आयु के अति कुपोषित बच्चों को उच्च गुणवत्तायुक्त सुपाच्य एवं पोष्टिक माइक्रोन्यूट्रीयन्ट फूड/रेडी टू ईट (वीनिंग फूड) 200 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें बच्चे को 800 कैलोरी एवं 26.00 ग्राम प्रोटीन दैनिक रूप से मिलती है। इसी प्रकार 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों का आंगनबाड़ी केन्द्र पर दैनिक रूप से पका पकाया भोजन के अतिरिक्त उच्च गुणवत्तायुक्त सुपाच्य एवं पौष्टिक माइक्रोन्यूट्रीयन्ट फूड (एमाइलेज रिच एनर्जी फूड)/लाई चना/गुड़ चना मार्निंग स्नैक के रूप में दिया जाता है। बच्चों को विटामिन 'ए' की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा उनका टीकाकरण कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में कुपोषण के शिकार बच्चों को चिन्हित कर रोग की रोकथाम के उपाय**

*4-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2010 में कुपोषण के शिकार कितने बच्चों को चिन्हित किया गया है ? क्या यह सही है कि इस वर्ष कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

वर्ष 2010 में कुल 200.88 लाख बच्चों के सापेक्ष लगभग 87.54 लाख बच्चे कुपोषित तथा 0.55 लाख अति कुपोषित चिन्हित किये गये जो क्रमशः कुल लाभार्थियों का 43.58 प्रतिशत एवं 0.27 प्रतिशत है।

जी नहीं।

वर्ष 2009 में कुल 193.44 लाख बच्चों के सापेक्ष 103.33 लाख बच्चे कुपोषित तथा 0.84 लाख अति कुपोषित चिन्हित किये गये जो क्रमशः कुल लाभार्थियों का 53.42 प्रतिशत एवं 0.44 प्रतिशत था। इस प्रकार कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रचलित योजनाओं को प्रभावी रूप से संचालित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

*5-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[2सरे गुरुवार के लिये स्थगित]

**प्रदेश में सहकारी दुग्ध संघ को निजी क्षेत्र को सौंपने की मांग**

*6-श्री मदन चौहान-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारी दुग्ध संघ को निजी क्षेत्र में सौंपने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अभी तक अधिकतर दुग्ध संघों की स्थिति ठीक है और वे चालू हालत में हैं इसलिये उनके निजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

**प्रदेश में वृद्ध पुरुषों एवं महिलाओं हेतु ओल्ड एज होम बनवाने की मांग**

*7-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निवास करने वाले ऐसे वृद्धजन जिनकी संताने व्यवसाय या नौकरी के कारण उनके साथ नहीं रहती है और वह अकेले रहते हैं, के साथ आये दिन लूटपाट तथा हत्या की घटनाओं को देखते हुए क्या सरकार उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ओल्ड एज होम बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले पुरुषों हेतु लखनऊ में तथा महिलाओं हेतु वाराणसी में एक-एक राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह संचालित हैं। निराश्रित वृद्ध महिलाओं के लिये महिला कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रदेश के 17 मण्डल मुख्यालय जनपदों में वृद्धगृह संचालित है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से वर्ष 2011 में उपलब्ध प्रस्तावानुसार 13 वृद्धगृह संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

# अतारांकित प्रश्न

## प्रदेश में विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन स्वीकृत करने की मांग

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी विधवा महिलाओं को इस समय विधवा पेंशन मिल रही है ? क्या सरकार शाहजहांपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र 50-शाहजहांपुर में सभी पात्र विधवाओं को विधवा पेंशन स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला स्वीकृत पेंशन धारकों की संख्या 1629266 है।

विधान सभा क्षेत्र 50-शाहजहांपुर में कुल 3004 पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित पेंशन के लाभार्थी हैं।

नियमों के अन्तर्गत नये पात्र लाभार्थियों का चयन कर पेंशन देने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

## बी0पी0एल0 सूची में अंकित परिवारों के वृद्ध जनों की वृद्धावस्था पेंशन की जानकारी

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2011-12 में कितने वृद्ध महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य है तथा इसमें से कितनो को मिल रही है तथा महामाया योजना के अन्तर्गत कितनी वृद्धाओं को पेंशन मिल रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शाहजहांपुर जनपद में उक्त योजनाओं में जितनी भी लाभार्थी महिलायें हैं उनमें से कितने लाभार्थी ऐसे हैं जिनको एक साल या दो साल ब्रेक करके पेंशन मिलती है ? क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

बी0पी0एल0 सूची वर्ष 2002 में अंकित परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य है। वर्तमान में कुल 1511264 वृद्ध महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। उ0प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत 46 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार 331259 वृद्ध महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

जनपद शाहजहांपुर में 22482 वृद्ध महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हो रही है एवं उ0प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु की 1824 वृद्धाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। जनपद-शाहजहांपुर में उक्त योजनाओं के पात्र लाभार्थी महिलाओं से ऐसी कोई लाभार्थी नहीं है जिसे पेंशन/आर्थिक सहायता ब्रेक कर के मिल रही है।

चूंकि जनपद शाहजहांपुर में पेंशन/आर्थिक सहायता ब्रेक कर दिये जाने का कोई प्रकरण नहीं है। अतः दण्डित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कानपुर के किदवईनगर की सब्जी मण्डी को हटाये जाने का कथित प्रकरण**

3-श्री सतीश महाना-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर के किदवई नगर स्थित सब्जी मण्डी के थोक व्यापारियों के साथ फुटकर सब्जी मण्डी को भी हटाने के लिये निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार फुटकर सब्जी व्यापारियों को वहां पर व्यापार करने की छूट प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सराज-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद, परगना व तहसील लखनऊ के ग्राम काकराबाद में बैनामे के पश्चात् भूमि को ग्राम सभा के नाम अंकित आदेश को निरस्त करने की जानकारी**

4-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0-20 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आधार वर्ष खतौनी, आकार पत्र 2-क 23, 41, 45 में श्रेणी-1 क संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित भूमि का बैनामे के बाद दिनांक 19-09-2001 को किन नियमों के तहत नामान्तरण किया गया है ? क्या सरकार चकबन्दी की धारा-49 में प्रवृत्त प्राविधानों के आलोक में प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण आदेश निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रकरण में धारा 34 यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट 1901 के अन्तर्गत नामान्तरण किया गया है। प्रश्न में उल्लिखित आदेश का दिनांक 19-9-2011 ने होकर सही दिनांक 19-9-2001 है।

इस प्रकरण में राजस्व परिषद् लखनऊ में निगरानी लम्बित है। अतः मा0 न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**सेवानिवृत्त कानूनगो के परिजनों के नाम अंकित भूमि की जांच**

5-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0-80 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम रतन कानूनगो कहां-कहां तैनात रहे ? क्या सरकार उनके कार्यकाल व उनके परिजनों के नाम ग्राम सिरगामऊ, बंसीगढ़ी, बहेलिया, सरसंडा, कसमंडी कलां में अंकित समस्त भूमि की उच्च स्तरीय जांच सन् 1356 खतौनी से कराकर कृत कार्यवाही का विवरण सदन पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ के आदेश दिनांक 23-08-1994 द्वारा श्री रामरतन की लेखपाल पद से सर्वप्रथम अस्थाई स्थानापन्न रूप से 89 दिनों की प्रोन्नति रा0 निरीक्षक काकोरी की गई तथा सदर तहसील में दिनांक 2-12-2002 तक कार्यरत रहें। तत्पश्चात् अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ के आदेश दिनांक 3-12-2002 के अन्तर्गत जनपद की तहसील बक्शी का तालाब स्थानान्तरित किये गये वही से दिनांक 31-7-2007 को सेवानिवृत्त हो गये।

श्री राम रतन तत्कालीन कानूनगो के विरुद्ध आरोपों की जांच आयुक्त महोदय, लखनऊ सीतापुर से कराई गई थी जांच का ब्योरा निम्नवत् है :-

**सिरगामऊ**-श्री राम रतन कानूनगो व उनके परिजनों के नाम ग्राम सिरगामऊ में जो फर्जी इन्द्राज पाये गये थे उन्हें उपजिलाधिकारी (सदर) के द्वारा निरस्त करते हुए भूमि पूर्ववत् ग्राम समाज के खाते में दर्ज की जा चुकी है। उनके परिजनों के नाम की अन्य प्रविष्टियां न्यायिक आदेशों से आच्छादित है।

**बंशीगढ़ी**-श्री रामरतन कानूनगो व उनके परिजनों के नाम ग्राम बंशीगढ़ी में दर्ज भूमि क्रय की गई भूमि है। सन् 1359 फसली (आधार वर्ष) के अभिलेखों में उक्त भूमि ग्राम समाज की न होकर काश्तकारों के नाम अंकित है। सरकारी सेवक होते हुए बिना अनुमति के भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामरतन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर निन्दात्मक प्रविष्टि प्रदान की गई एवं दो वेतन वृद्धि स्थाई तौर पर रोकी गई।

**बहेलिया**-श्री रामरतन कानूनगो व उनके परिजनों के नाम फर्जी प्रविष्टि को दुरुस्त करते हुए उपजिलाधिकारी मलिहाबाद द्वारा पूर्व की भांति जलाशय व बंजर अभिलेखों में अंकित कर दिया गया है एवं दोषी कर्मचारी श्री बाबू लाल तत्कालीन लेखपाल ग्राम बहेलिया व श्री कामता प्रसाद व राजाराम पुत्रगण माधौ प्रसाद, श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री हीरा लाल निवासी ग्राम बहेलिया तहसील मलिहाबाद के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12-4-2008 को दर्ज करा दी गई है।

**सरसंडा**-श्री राम रतन कानूनगो व उनके परिजनों के नाम ग्राम सरसंडा में कोई भूमि अभिलेखों के आधार पर उल्लिखित नहीं है।

**कसमंडीकला**-श्री रामरतन कानूनगो व उनके परिजनों के नाम ग्राम कसमंडीकला में दर्ज भूमि की जांच तत्समय नहीं की गई थी क्योंकि शिकायत में कसमंडीकला ग्राम का उल्लेख नहीं था अब सन् 1359 फसली (आधार वर्ष) के अभिलेखों से जांच एवं मिलान तथा फर्जी प्रविष्टि पाये जाने पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश उपजिलाधिकारी मलिहाबाद को दे दिये गये हैं।

## जनपद शाहजहांपुर के कृषि विभाग द्वारा ग्रामों के कृषि गोष्ठियों के आयोजन पर व्यय धनराशि का विवरण

6-श्री राजेश यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2008-09, 2009-10 में कितनी-कितनी कृषक गोष्ठियां किन-किन ग्रामों में आयोजित की गई हैं तथा इनके आयोजन पर कितना-कितना धन व्यय हुआ ? क्या क्षेत्रीय विधायकों को भी कार्यक्रम से अवगत कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौ0 लक्ष्मी नारायण)-

वित्तीय वर्ष 2008-09 में 15 विकास खण्ड सभागार एवं 67 ग्रामों में कुल 82 तथा वर्ष 2009-2010 में 60 विकास खण्ड सभागार एवं 58 ग्रामों में कुल 118 कृषक गोष्ठियां आयोजित की गई।

गोष्ठियों के आयोजन पर वर्ष 2008-09 में रु0 20,85,000/- (रु0 बीस लाख पच्चासी हजार मात्र) तथा वर्ष 2009-10 में रु0 25,57,500/- (रु0 पच्चीस लाख सत्तावन हजार पांच सौ मात्र) का व्यय किया गया है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम वनमरिया में अवैध रूप से काबिज लोगों को हटाये जाने का प्रकरण**

7-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बनभरिया, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर स्थित भूमि सं0 2590/7 में अवैध रूप से काबिज लोगों को हटाकर मूल भू-स्वामियों को जिलाधिकारी द्वारा कब्जा दखल न दिलाये जाने के क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर भू-स्वामियों के पक्ष में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ की खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-721 सन् 2006 में स्थगनादेश के बावजूद जिलाधिकारी द्वारा कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है ? यदि हां, तो बिना प्राधिकार भूमि पर अवैध रूप से काबिज लोगों को हटाकर मूल भू-स्वामियों को कब तक कब्जा दिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

गाटा सं0 2590/7 का अधिकांश भाग मौके पर खाली पड़ा है। आंशिक भाग पर श्रीमती रज्जन निशां बेवा तसद्दुक व मो0 नफीस पुत्र तसद्दुक का उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक 12-6-2006 के क्रम में कब्जा है। रिट याचिका संख्या-721 सन् 2006 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-8-2006 द्वारा उप संचालक चकबन्दी के आदेश को स्थगित कर दिया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना समीचीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत कृषकों को वितरित अनुदान का विवरण**

8-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष से संचालित है ? क्या इस योजना में पम्पिंग सेट वितरण में अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कितना अनुदान वर्षवार दिया गया ? क्या अनुदान प्राप्त कृषकों की सूची पुराने डीजल पम्प सेट धारकों को सम्मिलित करते हुए बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

रबी वर्ष 2007-08 से।

जी हां।

कृषकों को वर्षवार वितरित अनुदान निम्नवत् है :-

| | | |
|---|---|---|
| 2007-08 | रु0 | 5,20,000/- |
| 2008-09 | रु0 | 34,61,479/- |
| 2009-10 | रु0 | 83,96,228/- |
| 2010-11 | रु0 | 1,01,14,510/- |

जी नहीं।

अनुदान पुराने डीजल पम्प सेट पर देय नहीं है। नये डीजल पम्प सेट पर ही अनुदान दिया जा रहा है। उन कृषकों को जिनके प्रार्थना-पत्र वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्राप्त हुए थे और उनका अनुदान नहीं प्राप्त हो पाया था, उनके प्रार्थना-पत्र को भी वित्तीय वर्ष 2010-11 में सम्मिलित कर अनुदान दिया गया है।

**जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत कृषकों को पम्पिंग सेट वितरण में अनुदान अन्तर्गत डीलरों द्वारा बिक्री कर जमा करने सम्बन्धी जानकारी**

9-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 व 2010-11 में जिन कृषकों को पम्पिंग सेट वितरण में अनुदान दिया गया है वह पम्पिंग सेट किन-किन डीलरों से क्रय किये गये हैं ? क्या डीलरों द्वारा विक्रय किये गये पम्पिंग सेटों का बिक्रीकर जमा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिन कृषकों को लाभ दिया गया तथा जिन डीलरों से पम्पिंग सेट क्रय किया गया, उसकी सूची उपलब्ध कराई जायेगी ? क्या अनियमितता की जांच हेतु जिन कृषकों को लाभ दिया गया उनका भौतिक परीक्षण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत 2009-10 एवं 2010-11 में जिन कृषकों को पम्पिंग सेट वितरण में अनुदान दिया गया है, उन पम्पिंग सेट डीलरों का नाम व पते की सूची संलग्न (संलग्नक-1)† है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में उल्लिखित 20 डीलरों ने बिक्रीकर जमा किया है जबकि 37 ने अभी तक जमा नहीं किया है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में 16 डीलरों ने बिक्रीकर जमा किया है जबकि 35 ने अभी तक जमा नहीं किया है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 व 2010-11 में संलग्न सूची (संलग्न-1) के अनुसार उल्लिखित फर्मों से पम्पसेट क्रय कर अनुदान प्राप्त करने वाले कृषकों की सूची संलग्न है। (संलग्नक-2)†

† छापी नहीं गई।

कृषकों द्वारा प्रस्तुत क्रय प्रपत्र कैश मेमो के भौतिक सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही अनुदान का भुगतान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर में कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा विकास कार्य हेतु आवंटित धनराशि एवं कृत कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी**

10-श्री राजेश यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा जनपद शाहजहांपुर में विकास कार्य हेतु वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 में कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या मण्डी परिषद् द्वारा सड़क बनवाने हेतु तिलहर तहसील के अन्तर्गत मण्डी परिषदों को धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो उनमें से तिलहर मण्डी परिषद् को किस कार्य के लिये कितना धन अम्बेडकर ग्रामों को छोड़कर दिया गया है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद शाहजहांपुर में मण्डी परिषद् द्वारा सम्पर्क मार्गों एवं मण्डी स्थलों के विकास कार्यों हेतु वर्ष 2008-09 में रु0 1378.23 लाख, वर्ष 2009-10 में रु0 1748.18 लाख एवं वर्ष 2010-11 में रु0 868.46 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई है।

जी नहीं, अपितु मण्डी परिषद् द्वारा सड़क बनवाने हेतु तिलहर तहसील के अन्तर्गत मण्डी समिति, तिलहर को धन आवंटित किया गया है।

मण्डी समिति, तिलहर क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग निर्माण/मण्डी विकास कार्य हेतु वर्ष 2008-09 में मण्डी कार्य हेतु रु0 29.82 एवं सम्पर्क मार्ग हेतु रु0 63.90 लाख वर्ष 2009-10 में मण्डी कार्य हेतु 55.13 लाख एवं सम्पर्क मार्ग हेतु रु0 16.66 लाख तथा वर्ष 2010-11 में मण्डी कार्य हेतु रु0 199.00 लाख एवं सम्पर्क मार्ग हेतु रु0 80.67 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई है।

**जनपद इलाहाबाद की तहसील हंडिया के ग्राम रतीपुर की ग्राम सभा की भूमि पर आवासीय पट्टा देने वाले के विरुद्ध कार्यवाही**

11-श्री जोखू लाल यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सोनिया सिंह पत्नी विनीत सिंह, निवासिनी-ग्राम रत्तीपुर, तहसील-हंडिया, जनपद-इलाहाबाद को विगत अगस्त, 2010 को ग्राम सभा की कीमती भूमि का उप जिलाधिकारी, हंडिया द्वारा स्वप्रेरणा के आधार पर आवासीय पट्टा प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो क्या श्रीमती सोनिया सिंह जिनके पति विनीत सिंह केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं, पात्रता की श्रेणी में आती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पट्टे को निरस्त करते हुए दोषी सम्बन्धित अधिकारी एवं लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

धारा 122सी (6) ज0वि0 अधि0 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच कराई गई थी। जांच आख्या के आधार पर आवंटित पट्टा को निरस्त करने हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी को प्रकरण संदर्भित किया गया है।

दोषी लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

**प्रदेश में अनेकों जातियों को सर्वे के अनुसार अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग**

12-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के सविता, नाई, खंगार, आरख, नोनियां, चौहान जाति को इनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति का सर्वे कराकर अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु उसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

नोनिया, लोनिया चौहान जाति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अध्ययन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज की ग्राम सभा सिउरा में पशु चिकित्सालय की मांग**

13-श्री राजेश यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज की ग्राम सभा सिउरा में पशु चिकित्सालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सभा सिउरा में पशु चिकित्सालय की स्थापना करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण उक्त ग्राम में पशु चिकित्सालय की स्थापना नहीं की जा सकती है।

**प्रदेश के राज्य कर्मचारी एवं पालीटेक्निक कर्मचारी महासंघ के साथ हुए समझौते की मांगों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी**

14-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 पॉलिटेक्निक कर्मचारी महासंघ तथा प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री श्री शैलेश कृष्ण के मध्य 8 दिसम्बर, 2009 को विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में हुए समझौते में से कितनी मांगे मानी गई तथा शेष कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

दिनांक 08-12-2009 को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उ0 प्र0 एवं उ0 प्र0 पालीटेक्निक कर्मचारी महासंघ तथा प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री श्री शैलेश कृष्ण के मध्य हुए विचार-विमर्श में कुल 08 मांगों के विरुद्ध 07 मार्गों पर कार्यवाही हेतु सहमति बनी, जिनमें से 03 मांगों से सम्बन्धित अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। एक मांग वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। शेष 03 मांगों पर कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत प्रदेश के कतिपय जनपदों में लाभार्थियों को प्रदत्त सहायता राशि का विवरण**

15-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम 1995 के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में ''सतर्कता एवं निगरानी समिति'' गठित है ? यदि हां, तो वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में इलाहाबाद, बांदा, फतेहपुर व कौशाम्बी जनपद में अत्याचार के विभिन्न श्रेणियों की रिपोर्ट तथा उन पर कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रश्न जनपदों में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में विभिन्न श्रेणियों की रिपोर्ट एवं तत्क्रम में लाभार्थियों को प्रदत्त सहायता राशि का विवरण निम्नवत् है :-

| जनपद का नाम | वर्ष | अत्याचार से सम्बन्धित श्रेणीवार मामलों की संख्या | | | | | | प्रदत्त सहायता (रु0 लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | हत्या | बलात्कार लज्जा भंग | गम्भीर चोट | आगजनी लूटपाट | अन्य | योग | |
| इलाहाबाद | 2009-10 | 8 | 29 | 8 | - | 314 | 359 | 38.205 |
| | 2010-11 | 11 | 16 | 10 | 45 | 159 | 241 | 47.875 |
| बांदा | 2009-10 | 4 | 11 | - | - | 250 | 265 | 30.867 |
| | 2010-11 | 5 | 36 | - | - | 135 | 176 | 26.640 |
| फतेहपुर | 2009-10 | 2 | 8 | - | - | 114 | 124 | 13.875 |
| | 2010-11 | 7 | 5 | - | - | 95 | 107 | 23.932 |
| कौशाम्बी | 2009-10 | 8 | 11 | 2 | - | 63 | 84 | 16.125 |
| | 2010-11 | 7 | 4 | 14 | - | 40 | 65 | 20.755 |

**जनपद महामायानगर में सासनी पराग डेरी के बन्द पड़े संयंत्र को पुनः चालू कराये जाने की मांग**

16-डा0 अनिल चौधरी-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर में सासनी का ''पराग डेरी'' संयंत्र विगत कई वर्षों से बन्द होने से जनपद के पशुपालकों के हितों की हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संयंत्र को ठीक कराकर पुनर्जीवित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद महामायानगर में सासनी का ''पराग डेरी'' संयंत्र नियोजित ढंग से कार्य न करने तथा विभिन्न आन्तरिक एवं स्थानीय कारणों से संस्था के व्यवसाय में लगातार गिरावट आने के कारण एवं

संघ की देनदारियों के भुगतान हेतु वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण बन्द है। जनपद महामायानगर में निजी क्षेत्र की डेरियां पशुपालकों का दूध क्रय कर रही हैं, इसलिए जनपद के पशुपालकों के हितों की कोई हानि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति धनराशि में अनियमितताओं की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

17-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छोटे लाल निवासी-इन्दिरा नगर, लखनऊ के शिकायती-पत्र जो समाज कल्याण अधिकारी, जनपद-छत्रपति शाहूजी महराजनगर द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति धनराशि में की गई गम्भीर अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-3-2011 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु उप निदेशक, फैजाबाद मण्डल को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

**सरकार द्वारा मल्लाह, कहार, प्रजापति, विन्द आदि जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने विषयक कथित प्रकरण**

18-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के प्रथम गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या-09 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा मल्लाह, केवट, विन्द, कुम्हार, प्रजापति, भर, राजभर आदि को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रधानमंत्री जी को 04 मार्च, 2008 को पत्र भेजा गया था जिसमें भारत के महा पंजीयक की टिप्पणियों का हवाला देते हुए उपर्युक्त समुदायों में से प्रत्येक के बारे में निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत जातीय सूचना मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सूचना भेज दी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

**जनपद सीतापुर के सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम के तरणताल में कोच की तैनाती की मांग**

19-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में तरण ताल का निर्माण लगभग दो वर्ष पूर्व पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त

तरण ताल में कोच की नियुक्ति कर तरण ताल को तैराकी के लिये चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अयोध्या प्रसाद पाल)-

जी हां।

जी नहीं।

तरणताल संचालन हेतु तैराकी प्रशिक्षक (अंशकालिक) की नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये। तैराकी प्रशिक्षक के अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी। जिसके कारण तरणताल संचालित नहीं हो पा रहा है।

**जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के संजय गांधी राजकीय पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

20-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, संजय गांधी राजकीय पालीटेक्निक, जगदीशपुर जनपद-छत्रपति शाहूजी महराजनगर के विरुद्ध जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-03-2011 पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र सं0 239201/011 दिनांक 01-04-2011 द्वारा प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को जांच कराने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां, किन्तु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-2011 प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि दिनांक 31-3-2011 प्राप्त हुआ है, जिस पर मुख्य मंत्री के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 01--04-2011 द्वारा जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

जांच प्रचलित है। शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

**संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बिना पद सृजन की अनियमितता में आडिट आपत्तियों की जांच**

21-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2010 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-35 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच प्रक्रिया पूर्ण हो गई है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या है एवं दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

आडिट में उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यालय तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ0 प्र0 इलाहाबाद के मध्य गतिमान है।

प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

प्रश्न नही उठता।

**प्रदेश में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अधिसूचित राजस्व ग्राम एवं उसका क्षेत्रफल**

22-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2008 से जनवरी, 2011 तक औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कुल कितने राजस्व ग्राम अधिसूचित किये गये हैं एवं इन राजस्व ग्रामों की कुल भूमि का क्षेत्रफल क्या है ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 2008 से जनवरी, 2011 तक औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु कुल 2847 राजस्व ग्राम अधिसूचित किये गये हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 6,37,701,3360 हे0 है।

**जनपद शाहजहांपुर की मण्डी परिषद् द्वारा ब्लाक जैतीपुर में प्रस्तावित मार्गों का कथित प्रकरण**

23-श्री राजेश यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की मण्डी परिषद् द्वारा ब्लाक जैतीपुर में कौन-कौन से मार्ग वर्ष 2011-12 में निर्माण हेतु प्रस्तावित है ? प्रस्तावित मार्गों पर कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मण्डी परिषद् द्वारा नहीं अपितु मण्डी समिति द्वारा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित किये जाते हैं। मण्डी समिति द्वारा ब्लाक जैतीपुर में कोई भी मार्ग प्रस्तावित नहीं किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश के छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति की मिलने वाली धनराशि समस्त विद्यालयों को भेजे जाने के सम्बन्ध में जानकारी**

24-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में मिलने वाली धनराशि वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में समस्त विद्यालयों को भेज दी गई है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कानपुर नगर स्थित ''दयानन्द एकेडमी मैनेजमेंट आफ स्टडीज'' गोविन्द नगर, कानपुर के सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति का धन वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सभी सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति की धनराशि उक्त वित्तीय वर्षों में प्राप्त हो गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां, उत्तर प्रदेश में समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के जिन छात्रों का डाटा फीडिंग तथा अपलोडिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) के द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि

तक अपलोड हो गयी थी, उन्हें वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में छात्रवृत्ति की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रदेश में छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में मिलने वाली धनराशि वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों के लिए यथानियम ग्राम निधि-3, संयुक्त खातों एवं छात्रों के बैंक खातों में उसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत भेज दी गयी है।

जी हां, ''दयानन्द एकेडमी मैनेजमेन्ट आफ स्टडीज'' गोविन्दनगर, कानपुर के सामान्य वर्ग के 381 छात्र एवं छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2009-10 में तथा 257 छात्र-छात्राओं को वर्ष 2010-11 में छात्रवृत्ति की धनराशि उनके बैंक खातों में उसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत यथा समय प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न ही नही उठता।

वर्ष 2009-10 में ''दयानन्द एकेडमी आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज'' गोविन्दनगर, कानपुर के 91 छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु समय से मांग-पत्र प्राप्त न होने एवं उनका डाटा अपलोड न होने के कारण निर्धारित समय-सीमा तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, जिसके कारण प्रश्नगत विद्यालय के उपर्युक्त 91 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी।

**प्रदेश में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत विस्थापित कृषक परिवारों को सुविधाओं की व्यवस्था**

25-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत विस्थापित किसान परिवारों को मुआवजा तथा पुनर्वासन हेतु क्या सरकार द्वारा वर्ष 2010 में कोई नई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या जनवरी, 2011 में इलाहाबाद में करछना पावर प्लांट हेतु आच्छादित किसानों के साथ कोई समझौता किया गया था ? यदि हां, तो वह समझौता क्या है और क्या समझौता लागू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

शासनादेश दिनांक 10-8-2004 द्वारा भारत सरकार की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2003 कतिपय संशोधनों के साथ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अंगीकार की गयी थी। शासनादेश दिनांक 17-8-2010 द्वारा प्रभावित/विस्थापित परिवारों को निम्नलिखित सुविधाएं अनुमन्य किये जाने का उल्लेख है :-

1-सम्पूर्ण भूमि अर्जित करने पर पांच वर्षों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर धनराशि एक मुश्त सहायता।

2-भूमि अर्जन के फलस्वरूप सीमान्त अथवा छोटे किसान कृषक बन जाने पर क्रमशः 500 एवं 375 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर धनराशि एक मुश्त सहायता।

3-प्रभावित कृषि श्रमिक या गैर कृषि श्रमिक को 625 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर धनराशि एक मुश्त सहायता।

4-परियोजना विस्थापित परिवार को 250 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर धनराशि एक मुश्त सहायता।

5-लम्बी दूरी की परियोजनाओं यथा राजमार्ग, रेलवे लाइन, पाइप लाइन आदि से प्रभावित परिवारों को रु0 10,000 प्रति परिवार की दर से एक मुश्त सहायता।

उक्त के अतिरिक्त अधिग्रहण से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता से मण्डल स्तरीय एवं प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया।

शासनादेश दिनांक 3-9-2010 द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य सुविधाएं अनुमन्य की गयीं :-

1-प्रतिकर के अतिरिक्त 33 वर्ष के लिए रुपया 20,000 प्रति एकड़ की दर से वार्षिकी और वार्षिकी न लेने पर रु0 2.40 लाख एक मुश्त पुनर्वास अनुदान (शासनादेश दिनांक 02 जून, 2011 द्वारा रु0 20,000 के स्थान पर रु0 23,000 एवं रु0 2.40 के स्थान पर रु0 2,76 लाख की व्यवस्था की गयी है।)

2-वार्षिकी की दर में प्रतिवर्ष रु0 600 की वृद्धि।

(शासनादेश दिनांक 02 जून, 2011 द्वारा रु0 600 के स्थान पर रु0 800 की व्यवस्था की गयी है।)

3-कम्पनी प्रयोज्य हेतु अधिग्रहण की स्थिति में पुनर्वास अनुदान की धनराशि में से 25 प्रतिशत धनराशि के समतुल्य मूल्य के कम्पनी के शेयर का विकल्प।

4-लैण्ड फार डेवलपमेन्ट हेतु भूमि अधिग्रहण के अधिग्रहीत भूमि की 07 प्रतिशत भूमि मामलों में आवासीय प्रयोजन हेतु अर्जन की लागत एवं विकास शुल्क लेकर देने की व्यवस्था।

5-प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहण के मामलों में प्रभावित कृषकों को भू-खण्ड के आवंटन में 17.5 प्रतिशत का आरक्षण।

5-लैण्ड फार डेवलपमेन्ट हेतु भूमि अधिग्रहण से पूर्णतः भूमिहीन हो रहे परिवारों के एक सदस्य को योग्यता के अनुरूप कन्सेसनायर कम्पनी में सेवायोजन।

जी नहीं। आन्दोलनकारियों के उग्र प्रदर्शन से राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति को बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा समझौता नहीं बल्कि लिखित आश्वासन दिया गया था।

प्रश्न नही उठता। जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण शासन के ऊर्जा विभाग को मार्गदर्शन/निर्णय हेतु संदर्भित किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

**सुश्री मधु तिवारी, सिलाई प्रशिक्षिका, राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जगदीशपुर की अवैध नियुक्ति को समाप्त करने की मांग**

26-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, समाज कल्याण को वर्ष 1991 के बाद नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त था ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि उप निदेशक, समाज कल्याण ने 12 अगस्त, 1994 को काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत मधु तिवारी को सिलाई प्रशिक्षक के पद पर तैनात किया ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध नियुक्ति समाप्त की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

जी हां।

सुश्री मधु तिवारी, सिलाई प्रशिक्षिका, राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर की अवैध नियुक्ति को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में उन्हें कारण बताओ नोटिस देते हुए 15 दिन के अन्दर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। सुश्री तिवारी का उत्तर प्राप्त होते ही प्रकरण में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नही उठता।

**प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय जिलों में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई योजनान्तर्गत कृषकों को डीजल पम्पिंग सेटों हेतु अनुदान वितरण की जांच की मांग**

27-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं महोबा में फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन योजना के तहत स्प्रेंकलर सेट पाइप, इंजन आदि शत प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत अनुदान पर वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक कितने किसानों को दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि अपात्र लोगों का चयन कर करोड़ों रुपये का गबन प्रतिवर्ष किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक जनपद-बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं महोबा में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजनान्तर्गत अनुदान पर कुल 15042 कृषक/कृषक समूहों को स्प्रिकलर सेट, एच0डी0पी0ई0 पाइप एवं कुल 11655 डीजल इंजन/पम्प सेट उपलब्ध कराया गया है। जिसका विवरण तालिका में निम्नवत् है :-

| क्र0सं0 | जनपद | लाभान्वित कृषक/कृषक समूहों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्प्रिंकलर सेट/एच0डी0पी0ई0 पाइप | | | |
| | | 100% शासकीय व्यय पर | 75% अनुदान पर | योग | डीजल इंजन/पम्प सेट की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | बांदा | 2709 | 1634 | 4343 | 4104 |
| 2 | चित्रकूट | 2869 | 709 | 3578 | 2629 |
| 3 | हमीरपुर | 2369 | 2091 | 4460 | 2629 |
| 4 | महोबा | 1911 | 750 | 2661 | 2293 |
| | योग : | 9886 | 5184 | 15042 | 11655 |

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषकों द्वारा प्रस्तुत क्रय प्रपत्र कैश मेमों/भौतिक सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही अनुदान का भुगतान किया जाता है।

**जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय विकास खण्डों में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित मार्गों का विवरण**

28-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर विकास खण्ड-सदर, मोरना एवं जानसठ में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 में मण्डी समिति/मण्डी परिषद् द्वारा कौन-कौन से मार्ग कब-कब निर्मित कराये गये ? क्या सरकार निर्मित समस्त मार्गों की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां, जनपद मुजफ्फरनगर विकास खण्ड-सदर, मोरना व जानसठ में इंगित वर्षों में निर्मित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

| वर्ष | विकास खण्ड का नाम | सम्पर्क मार्ग का नाम | निर्मित किये जाने की तिथि |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | जानसठ, सदर मोरना | किसी भी मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया। | -- |
| 2008-09 | जानसठ | भूम्मा नहर के पुल से कुतुबपुर तक का अवशेष भाग।<br>तिसग से खानपुर। | 30-6-08<br>15-3-09 |
| | सदर | रोहाना रोड से मलीरा तक। | 30-11-08 |
| | | बब्लू के माजरे से रामपुर तक। | 30-11-08 |
| | | बडकली फाटक से बहेड़ी तक। | 30-11-08 |
| | | बाईपास से बागोवाली तक। | 31-12-08 |
| 2009-10 | जानसठ | चिन्दौड़ा भट्ठे से वसायत। | 22-3-2010 |
| | सदर | चांदपुर भोपा रोड से मखियाली तक। | 15-9-09 |
| 2010-11 | जानसठ | ग्राम जटवड़ कटिया से कासमपुर खोला। | 15-3-2011 |

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय विकास खण्डों में किसान गोष्ठियों का विवरण**

29-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना, पुरकाजी, जानसठ, खतौली में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व वर्ष 2010-11 में कृषि विभाग

द्वारा वर्षवार व विकास खण्ड वार कितनी किसान गोष्ठियां आयोजित की गई ? क्या इन किसान गोष्ठियों में राष्ट्र/ प्रादेशिक स्तर के कृषि वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

विकास खण्ड/वर्षवार आयोजित गोष्ठियों का विवरण :-

| क्र0सं0 | विकास खण्ड | वर्ष | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
| 1 | मोरना | 5 | 10 | 8 | 19 |
| 2 | पुरकाजी | 5 | 3 | 9 | 17 |
| 3 | जानसठ | 9 | 11 | 11 | 16 |
| 4 | खतौली | 8 | 8 | 9 | 16 |
| | योग : | 27 | 37 | 37 | 68 |

जी हां।

इन गोष्ठियों में सरकार बल्लभ भाई पटेल, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, बघरा एवं राजकीय गन्ना शोध संस्थान, मुजफ्फरनगर के वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के सेवानिवृत्त विषयवस्तु विशेषज्ञों एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा भाग लेकर उच्च कृषि तकनीकी एवं विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी कृषकों को दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ की तहसील बक्शी का तालाब के मड़ियांव वार्ड में बोल्टास सहकारी आवास समिति लि0 की भूमि की पैमाइश कराकर सीमांकन कराये जाने की मांग**

30-श्री सुखलाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील बख्शी का तालाब के अन्तर्गत मड़ियांव वार्ड जानकीपुरम् के खसरा नम्बर-1282 के किसानों द्वारा अपनी भूमि बोल्टास सहकारी आवास समिति लि0 मड़ियांव-जानकीपुरम् लखनऊ को बेची गई जमीन की पैमाइश कराकर सीमांकन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त जमीन की पैमाइश कराकर उसका सीमांकन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

राजस्व अभिलेख के अनुसार ग्राम मड़ियांव, तहसील बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ स्थित खसरा नं0-1282/0.0580 कल्लू पुत्र मथुरा निवासी रामपुर निस्फ के नाम दर्ज है। यह भूमि बोल्टास सहकारी आवास समिति लि0 के नाम दर्ज नहीं है। उक्त भू-खण्ड संक्रमणीय खाते में दर्ज है पैमाइश की कार्यवाही खातेदार द्वारा एल0आर0 ऐक्ट की धारा-41 के तहत आवेदन करने पर की जाती है। खातेदार का इस सम्बन्ध में कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ में तैनात आया जुबैदा खातून द्वारा नियुक्ति के समय दिये गये शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी**

31-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में तैनात आया जुबैदा खातून को 29 जुलाई, 2009 को आरोप-पत्र उनकी विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण-पत्र में तिथियां अंकित होने के सम्बन्ध में दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि नियुक्ति के समय जो शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र जुबैदा खातून द्वारा दिया गया है वह भी अवैध है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के ग्राम सिधरौली में खाद के गड्ढों पर किये गये अवैध कब्जों को हटाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

32-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिधरौली की तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई में खाद के गड्ढ़ों पर किये गये अवैध कब्जा हटवाने विषयक लोकवाणी, हरदोई में दर्ज शिकायत सं0 60801, दिनांक 27-05-2007 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त खाद के गड्ढों से अवैध कब्जा हटवाकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

ग्राम सभा सिधरौली, परगना-मल्लावां, तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई के खाद के गड्ढे की भूमि गाटा संख्या-85 क्षेत्रफल 0.063 हे0 के आंशिक भू-भाग क्षेत्रफल 0.019 हे0 पर श्री शिव नरायन पुत्र पुत्तूलाल निवासी सिधरौली द्वारा अवैध कब्जा छप्पर आदि रखकर कर लिया गया था। इस अवैध अध्यासन/कब्जा के परिप्रेक्ष्य में उ0 प्र0 ज0 वि0 अधिनियम, 1950 की धारा-122ख के तहत प्रश्नांकित भूमि से श्री शिवनरायन की बेदखली व क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली हेतु वाद न्यायालय तहसीलदार बिलग्राम (न्यायिक)/सहायक कलेक्टर, बिलग्राम द्वारा दिनांक 30-6-2006 अवैध अध्यासी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति रु0 2700/-की वसूली किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश से क्षुब्ध होकर प्रतिवादी द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर हरदोई के समक्ष निगरानी योजित की गयी, जो दिनांक 30-9-2009 को निरस्त कर दी गयी। पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध निगरानीकर्ता

द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ में एक याचिका योजित की गयी, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27-5-2011 द्वारा याचिकाकर्ता के भवन को ध्वस्त एवं बेदखल न करने का आदेश पारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**मौलिक रूप से नियुक्त प्रोबेशन अधिकारियों को उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी एवं मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति किये जाने की जानकारी**

33-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रोबेशन आफ अफेयन्डर ऐक्ट अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष तदर्थ रूप से तैनात प्रोबेशन अधिकारियों को 1984 से 1990 के मध्य पदाविहित रूप से तैनात किया गया है ? यदि हां, तो क्या तदर्थ सेवाओं की विनियमितीकरण नियमावली, 1979 की व्यवस्था के अनुरूप आदेश होने की तिथि से पदाविहित तदर्थ सेवाओं का पिछली तिथियों से विनियमित करते हुए वर्ष 2005 में जिला प्रोबेशन अधिकारियों को उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी एवं मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराते हुए पदोन्नति पाये अधिकारियों की पदोन्नति निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रोबेशन अधिकारी के पद पर तैनात कार्मिक नियमित रूप से तैनात थे। तदर्थ रूप से तैनात किसी प्रोबेशन अधिकारी की वर्ष 1984 से 1990 के मध्य पदविहित रूप से तैनात नहीं किया गया है।

वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 में इन कार्मिकों की प्रोबेशन अधिकारी के पद से जिला प्रोबेशन अधिकारी के पद पर पदासीन/विनिर्दिष्ट रूप से तैनाती की गई थी। विभागीय चयन समिति की संस्तुति दिनांक 16-8-2004 एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श पर पदासीन/विनिर्दिष्ट रूप से तैनात किये जाने की तिथि से ही इन जिला प्रोबेशन अधिकारियों को जिला प्रोबेशन अधिकारी के उक्त पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना गया था। इन अधिकारियों में से ही वर्ष 2006 में उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के पद पर एवं वर्ष 2007 में मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के कतिपय जनपदों में विधवा पेंशन स्वीकृति की जांच**

34-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा, झांसी, वाराणसी, मुरादाबाद में अनुसूचित जाति के लिये चिन्हित विधवा अनुदान में से सामान्य श्रेणी की विधवाओं को वर्ष 2005 से 15 दिसम्बर, 2010 के मध्य विधवा पेंशन स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपदों में आर्थिक अपराध अनुसंधान से स्थलीय जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों से वसूली करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बलिया के सामयिक संग्रह अनुसेवकों को समायोजित विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

35-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी बलिया के पत्र सं0-355/सी0आर0ए0 (अभि0), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 जो जनपद बलिया में कार्यरत सामयिक संग्रह अनुसेवकों को समायोजित किये जाने विषयक है, राजस्व-7 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

शासन के पत्र संख्या-877/1-7/2011-14(2)/2011, दिनांक 01 अगस्त, 2011 द्वारा जनपद बलिया में कार्यरत प्रश्नगत सामयिक संग्रह अनुसेवकों को नियमित नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कानपुर नगर की तहसील सदर के न्यायालयों में अपंजीकृत वसीयतों सम्बन्धी लम्बित वाद**

36-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर की तहसील सदर में तहसीलदार, अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के न्यायालयों में अपंजीकृत वसीयतों सम्बन्धी कुल कितने वाद लम्बित हैं ? क्या अगस्त, 2004 से 31 मार्च, 2011 तक एक भी अपंजीकृत वसीयत सम्बन्धी वाद का निस्तारण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त के लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार उक्त वादों के समयबद्ध निस्तारण की कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद कानपुर नगर की तहसील सदर में तहसीलदार, अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के न्यायालयों में अपंजीकृत वसीयतों सम्बन्धी कुल 01 वाद लम्बित हैं।

अगस्त, 2004 से 31 मार्च, 2011 के मध्य कुल 35 अपंजीकृत वसीयत सम्बन्धी वादों का निस्तारण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। समयबद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के कतिपय जनपदों में महिला कल्याण में विभागीय भवनों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि एवं भवन निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी**

37-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण में विभागीय भवनों के निर्माण हेतु जनपद रमाबाई नगर, कानपुर नगर, बिजनौर तथा मिर्जापुर में कुल कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है ? कानपुर नगर, रमाबाई नगर में भूमि उपलब्ध होने पर भी महिला कल्याण विभाग के भवन का निर्माण न कराने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती-

जनपद-रमाबाई नगर, कानपुर नगर, बिजनौर तथा मिर्जापुर में महिला कल्याण विभाग के विभागीय भवनों हेतु भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है, अपितु भूमि का आवंटन किया गया है। जनपद-रमाबाई नगर, कानपुर नगर, बिजनौर तथा मिर्जापुर में महिला कल्याण की विभागीय संस्थाओं हेतु आवंटित भूमि का विवरण निम्नवत् है :-

| जनपद | आवंटित भूमि |
|---|---|
| 1-रमाबाई नगर<br>ग्राम-नागिन जसी | 1.124 हेक्टेयर |
| 2-कानपुर नगर<br>ग्राम-अहिरवा | 1.757 हेक्टेयर |
| 3-बिजनौर<br>ग्राम-झण्डापुर | 0.668 हेक्टेयर |
| 4-मिर्जापुर<br>ग्राम-भिस्कुरी,<br>तहसील सदर | 0.4050 हेक्टेयर |

जनपद कानपुर नगर में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित अधिशासी अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, कानपुर नगर द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर भवन निर्माण के सम्बन्ध में प्राक्कलन का आगणन डिजाइन आदि न उपलब्ध कराने के कारण भवन निर्माण की कार्यवाही नहीं की जा सकी। जनपद-रमाबाई नगर को जनपद कानपुर नगर से आच्छादित किये जाने के फलस्वरूप भवन निर्माण कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

**प्रदेश के अनेकों जनपदों में जिला प्रोबेशन अधिकारियों के पदनाम के खाते बन्द होने के पश्चात् भी खाते का संचालन की जांच**

38-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रोबेशनल अधिकारियों के पद नाम से खाते खोले जाने पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद बाराबंकी, वाराणसी, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़,

सीतापुर, आगरा, कानपुर शहर में पदनाम से खाते संचालित हैं ? यदि हां, तो उन खातों में कुल कितनी धनराशि वर्ष 2005 से 15 दिसम्बर, 2010 तक निकाली एवं जमा की गई है ? क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

जनपदों में प्रोबेशन अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वाराणसी, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सीतापुर, आगरा, कानपुर शहर में जिला प्रोबेशन अधिकारियों के पदनाम से खाते संचालित नहीं हैं। जनपद बाराबंकी द्वारा दिनांक 12-3-2008 को चालू खाता संख्या-167 खोला गया था। दिनांक 11-11-2009 के द्वारा विभागीय रिसीट हेड में धनराशि जमा कर खाता बन्द कर दिया गया है।

जनपद वाराणसी, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सीतापुर, आगरा, कानपुर शहर द्वारा वर्ष 2005 से 15 दिसम्बर, 2010 तक कोई भी धनराशि निकाली एवं जमा नहीं की गयी है। जनपद बाराबंकी में निदेशालय से प्राप्त ड्राफ्ट दिनांक 27-9-2007 रु0 19,07,250/- (रु0 उन्नीस लाख सात हजार दो सौ पचास मात्र) तथा ड्राफ्ट दिनांक 17 मार्च, 2008 रु0 121.20 लाख (रु0 एक करोड़ इक्कीस लाख बीस हजार मात्र) कुल रु0 1,40,27250.00 (रु0 एक करोड़ चालीस लाख सत्ताइस हजार दो सौ पचास)।

अनुदान योजना के लाभार्थियों को वितरित किये गये अधिक धनराशि होने के कारण अवशेष धनराशि रु0 52,03,921.00 (रु0 बावन लाख तीन हजार नौ सौ इक्कीस मात्र) की चेक संख्या-841320, दिनांक 11-11-2008 के द्वारा विभागीय रिसीट हेड मे जमा कर खाता बन्द कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के कतिपय जनपदों में कानूनी सहायता हेतु महिलाओं को आवंटित धनराशि का विवरण**

39-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद-बाराबंकी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद में वर्ष 2005 से 31 दिसम्बर, 2010 तक कितनी-कितनी धनराशि महिलाओं को कानूनी सहायता के लिये आवंटित की गई है ? क्या यह सही है कि उक्त का लाभ अपात्रों को भी दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपात्रों को कानूनी सहायता धनराशि प्राप्त होने का भौतिक सत्यापन कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद बाराबंकी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद में वर्ष 2005 से 31 दिसम्बर, 2010 तक दहेज से पीड़ित महिलाओं की कानूनी सहायता के अन्तर्गत निम्नानुसार धनराशि आवंटित की गई है :-

| वर्ष | बाराबंकी | प्रतापगढ़ | इलाहाबाद |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2005-06 | 15,000 | 10.000 | 20,000 |
| 2006-07 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 2007-08 | 15,000 | 15,000 | 22,500 |
| 2008-09 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2009-10 | 12,500 | 12,500 | 15,000 |
| 2010-11 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| कुल : | 87,500 | 77,500 | 1,12,500 |

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ में निराश्रित विधवाओं को अनुदान धनराशि का वितरण**

40-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद-लखनऊ में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में निराश्रित विधवाओं की अनुदान धनराशि 31 मार्च, 2009 के पूर्व आहरित कर चेक कोषागार द्वारा अप्रैल, 2009 में बैंकों में भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार धनराशि विलुप्त के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर विलुप्त धनराशि उत्तरदाई अधिकारियों से वसूल कर सम्बन्धित विधवाओं को उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जनपद-लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2008-09 में कोई भी चेक कालातीत नहीं हुई थी। वित्तीय वर्ष 2009-10 की कुछ चेकें कालातीत हुई थीं, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2010-11 में बैंकों में भेजा गया।

जी हां।

जनपद लखनऊ में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में रु0 11035800/-की चेक लैप्स होने का मामला प्रकाश में आने पर प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित कार्मिक को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही की गई है तथा कोषागार से नान पेमेन्ट सर्टिफिकेट प्राप्त कर सम्बन्धित लाभार्थियों को धनराशि वितरित कर दी गई है।

निराश्रित विधवाओं को धनराशि वितरित कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बागपत में पशु चिकित्सालय बामनौली, जिवानामुलियान तथा कमाला में पशु चिकित्साधिकारियों तथा पशु औषधिकों के तैनाती की मांग**

41-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में पशु चिकित्सालय बामनौली, जिवानामुलियान तथा कमाला में स्वीकृत पदों के अनुरूप पशु चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की तैनाती की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जनपद बागपत में नवसृजित इन पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्साधिकारियों तथा पशु औषधिक के पद स्वीकृत हैं। विभाग में पशु चिकित्साधिकारियों तथा पशु औषधिक के काफी पद रिक्त हैं। पशु चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त हुई है, जिनकी नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन अभ्यर्थियों की पशु चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति/तैनाती के समय प्रदेश के अन्य जनपदों की रिक्तियों को देखते हुए इन पशुचिकित्सालयों में भी रिक्त पशुचिकित्साधिकारी के पद पर तैनाती हेतु विचार किया जाएगा। जहां तक पशुऔषधिक की तैनाती का प्रश्न है, पशु औषधिक के पद पर भर्ती होने पर इन पशुचिकित्सालयों पर तैनाती की जाएगी।

वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इन पशुचिकित्सालयों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु निकटतम पशुचिकित्सालय के स्टाफ की ड्यूटी लगायी गयी है।

**उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, अलीगंज, लखनऊ स्थित पौधशाला में तैनात वेतनभोगी मालियों को मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित याचिका एवं कृत कार्यवाही**

42-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अलीगंज, लखनऊ स्थित पौधशाला में तैनात दैनिक वेतन भोगी मालियों को मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित याचिका सं0-7585/एस0एस0/2009 (छविलाल साहू व अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य) में दिनांक 18-11-2009 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री नरायन सिंह)-

जी हां।

रिट याचिका संख्या-7585/एस0एस0/2009 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18-11-2009 से यह निर्देशित किया गया है कि याचीगणों के प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-10-2009 पर विचार कर नियमानुसार यथोचित आदेश पारित करें जिसके अनुपालन में निदेशालय के

पत्रांक-डी0एच0-1342-45, दिनांक 7-1-2010 द्वारा याचीगणों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-10-2009 निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद इलाहाबाद की तहसील कोरांव के ग्राम दोहत्था में स्कूल के भवन निर्माण हेतु आरक्षित भूमि में अवैध कब्जा हटवाने की मांग**

43-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद, तहसील-कोरांव, थाना-माण्डा, ग्राम-दोहत्था की भूमि संख्या-304 में चकबन्दी विभाग द्वारा 06 बीघा 11 बिस्वा 04 धुर भूमि स्कूल के भवन निर्माण हेतु आरक्षित की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा/निर्माण को हटवाकर कब्जेदारों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां, ग्राम-दोहत्था, परगना खैरागढ़ तहसील-कोरांव जिला-इलाहाबाद के जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 के नवीन परती खाते में भूमि संख्या-304 रकबा 6-11-4 बीघा दर्ज है, जो स्कूल हेतु सुरक्षित है।

जी हां, 2 व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि के 0.025 हे0 क्षेत्रफल पर विगत लगभग 15 वर्ष से पक्का मकान बनाकर तथा 5 व्यक्तियों द्वारा 0.045 हे0 क्षेत्रफल पर गैर रिहायसी कच्चा खपरैल मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है। शेष भूमि मौके पर खाली है।

जी हां, गाटा संख्या-304 की 0.070 हे0 क्षेत्रफल पर हुए अवैध कब्जे के सभी 7 अवैध कब्जेदारों को उप जिलाधिकारी कोरांव के कार्यालय से भारतीय दण्ड संहिता की धारा-441 के अन्तर्गत नोटिस जारी की जा चुकी है।

शासनादेश के अनुसार गांव में रहने वाले व्यक्तियों के उनके निजी नाम वाली चल व अचल सम्पत्ति/प्रापर्टी को हैसियत में शामिल किया जाता है।

**जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के विकास क्षेत्र कलान में कादराबाद से मंझा तक के मार्ग को बनवाने की जानकारी**

44-श्री राजेश यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर, तहसील-जलालाबाद के विकास क्षेत्र कलान में कादराबाद से मंझा तक मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पुनः बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रश्नगत मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित नहीं है। मार्ग कच्चा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के अन्तर्गत ब्लाक पट्टी के ग्राम सभाओं की भूमि को राजकीय संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रयोग में लाने की जानकारी**

45-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, मंगरौरा आसपुर देवसरा बाबा बेलखरनाथ धाम के किन-किन ग्राम सभाओं में एक एकड़ व उससे अधिक भूमि उपलब्ध है ? क्या ग्राम सभा की भूमि राजकीय संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रयोग में लायी जा सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के अन्तर्गत ब्लाक पट्टी की ग्राम सभा बीबीपुर बारडीह में ग्राम सभा नवीन परती की गाटा सं0-925मि0/0.688 हे0, 1958 मि0/0.444 हे0 90/0.467 हे0 व ऊसर खाते के गाटा सं0-1926 मि0/0.449 हे0 तथा विकास खण्ड मंगरौरा की ग्राम सभा कटारी में ग्राम सभा की भूमि नवीन परती गाटा सं0-360 मि0/0.408 हे0, 694 मि0/0.574 हे0, 693/0.408 हे0 भूमि उपलब्ध है तथा ब्लाक आसपुर देवसरा व बाबा बेलखरनाथ धाम में एक एकड़ व उससे अधिक की ग्राम सभा की कोई भूमि मौके पर खाली नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ग्राम सभाओं में एक एकड़ व उससे अधिक की जो भूमि अभिलेखों में अंकित है उनमें मौके पर वृक्ष, बाग व आबादी बनी हुई है।

नियमानुसार ग्राम सभा की खाली भूमि राजकीय संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रयोग में लायी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम गोदल पट्टी में कबीरगढ़ की भूमि को ग्राम सभा भूमि घोषित करने की मांग**

46-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम गोदल पट्टी में कबीरगढ़ के नाम से कितनी भूमि दर्ज है क्या उक्त को ग्राम सभा की भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक कठिनाई है ? यदि नहीं, तो उक्त भूमि को ग्राम सभा की भूमि घोषित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम गोदलपट्टी में कबीरगढ़ के नाम से कोई भूमि दर्ज नहीं है अपितु कबीर जू0 हाई स्कूल कबीरगढ़ गोदलपट्टी के नाम 1.012 हे0 व गुरुबचन दास चेला धरमदास नि0 कबीरगढ़ी गोदलपट्टी के नाम 8.341 हे0 भूमि अभिलेखों में श्रेणी-1क संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की श्रेणी में जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 से ही दर्ज है।

जी हां।

उक्त भूमि जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 से ही संक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी में अंकित है। अतः इसे ग्राम सभा की भूमि घोषित किया जाना औचित्यपूर्ण एवं विधिसम्मत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की मण्डी समिति द्वारा मार्गों के मरम्मत की जानकारी**

47-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-9-2010 जो मण्डी परिषद् द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में बने मार्गों की मरम्मत हेतु आपके कार्यालय के पत्र सं0-594/वी0आई0पी0/10, दिनांक 10-9-2010 द्वारा निदेशक, मण्डी परिषद् को प्रेषित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

उक्त पत्र में अंकित 08 मार्गों में से 01 मार्ग नारायणपुर हरदोई का मरम्मत कार्य कराया जा चुका है। मण्डी समिति प्रतापगढ़ की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण शेष 07 मार्गों की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर में रिजर्व लैण्ड के भू-खण्डों पर अवैध कब्जा धारकों से वसूली**

48-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर में रिजर्व लैण्ड के किन-किन भू-खण्डों पर किन-किन लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और किन-किन भू-खण्डों पर स्थायी निर्माण कर लिया गया है ? क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम सभा मदाफरपुर में रिजर्व लैण्ड की गाटा संख्या-445 मुर्दामवेशी पर राम लखन रामपाल पुत्रगण रामनाथ व रामआधार पुत्र भवानी प्रसाद तथा 171 खलिहान, 172 खाद का गड्ढा, 173 चकमार्ग पर जगदीश प्रसाद, कमलापति, इन्द्रजीत पुत्रगण प्रताप नरायन निवासी उपरोक्त ग्राम के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और इन्हीं भू-खण्डों पर इनके द्वारा पक्का मकान/स्थायी निर्माण किया गया है।

उपरोक्त अवैध कब्जा धारकों के विरुद्ध ज0वि0अधि0 की धारा-122बी के अन्तर्गत बेदखली का वाद तहसीलदार पट्टी के न्यायालय में वाद योजित किया गया है जिसमें तहसीलदार न्यायिक पट्टी के आदेश दिनांक 8-9-2009 को गाटा सं0-445 मि0 के अवैध कब्जे के सम्बन्ध में रामलखन, रामपाल पुत्रगण रामनाथ राम आधार पुत्र भवानी प्रसाद को बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति क्रमशः मु0 12000 रु0, 4000 रु0 एवं निष्पादन शुल्क 10 रुपया पारित किया जा चुका है। जिसमें 49ग जारी की गयी है। वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

## जनपद मुजफ्फरनगर की मण्डी परिषद् में खलिहान दुर्घटना एवं किसान दुर्घटना बीमा योजना की जानकारी

49-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 (जनवरी, 2011 तक) खलिहान, दुर्घटना एवं किसान दुर्घटना बीमा योजना के कितने आवेदन मण्डी परिषद् को प्राप्त हुये एवं उनमें से कितने आवेदकों को उक्त योजना से लाभान्वित कर दिया गया है ? शेष आवेदकों को लाभ मिलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? उन्हें कब तक उक्त योजना में लाभान्वित कर दिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मण्डी परिषद् में खलिहान दुर्घटना एवं किसान दुर्घटना बीमा योजना लागू नहीं है।

मण्डी परिषद् में ''खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना'' एवं ''सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता'' नामक योजनायें लागू हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 (जनवरी, 11 तक) की अवधि में जनपद मुजफ्फरनगर में मण्डी समिति मुजफ्फरनगर में 31, मण्डी समिति कैराना में 10, मण्डी समिति शामली में 32, मण्डी समिति कांधला में 07, मण्डी समिति खतौली में 37, मण्डी समिति थाना भवन में 13, मण्डी समिति शाहपुर में 16, कुल 146 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में 114 आवेदकों को योजना का लाभ दिया जा चुका है।

शेष 32 आवेदकों में से 25 आवेदकों के दावे नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण निरस्त किये जा चुके हैं। अवशेष 07 आवेदन में से 05 दावों के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। 02 दावे तहसील स्तर पर जांच हेतु प्रेषित है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही नियमानुसार निस्तारण कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद एटा के पशु चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक

50-श्री कुबेर सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी का जनपदवार विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद-एटा के अधिकतर पशु चिकित्सालय चिकित्सकों के अभाव में नहीं चल पा रहे हैं ? यदि हां, तो रिक्त पशु चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

प्रदेश में पशुचिकित्सकों की कमी का जनपदवार विवरण संलग्न† है।

जी नहीं। जनपद एटा में पशुचिकित्साधिकारियों के सृजित 13 पदों के सापेक्ष 12 पदों पर पशुचिकित्साधिकारी कार्यरत हैं और केवल 01 पशुचिकित्सालय में पशुचिकित्साधिकारी का पद रिक्त हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत निकटतम् पशुचिकित्सालय के पशुचिकित्साधिकारी की रिक्त पशुचिकित्सालय में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु ड्यूटी लगायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 161-165 पर।)

**जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर में मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये गये पात्र व्यक्तियों का विवरण**

51-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर में वर्ष 2007 से 31 मार्च, 2011 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने पात्र व्यक्तियों को महामाया पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या पात्र व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2011-12 में पेंशन प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 15-1-2010 को की गयी तथा इस योजना का शुभारम्भ 1 नवम्बर, 2010 से किया गया।

जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर में योजना के प्रारम्भ से 31 मार्च, 2011 तक उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये गये पात्र व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | योजना के आरम्भ से 31 मार्च, 2011 तक आच्छादित पात्र व्यक्तियों की संख्या | उन पात्र व्यक्तियों की संख्या जिन्हें उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना शेष है |
|---|---|---|---|
| 1 | बांदा | 23837 | 29527 |
| 2 | हमीरपुर | 14495 | 15052 |
| 3 | चित्रकूट | 28520 | 6768 |
| 4 | फतेहपुर | 42938 | -- |
| | **योग :** | 109790 | 51347 |

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का विवरण**

52-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर में वर्ष 2003 से 31 मार्च, 2011 तक कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है तथा कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दिया जाना शेष है ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 के सभी पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर में वर्ष 2003 से 31 मार्च, 2011 तक स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | वर्ष 2003 से 31 मार्च, 2011 तक स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या | उक्त पात्र व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन दिया जाना शेष है |
|---|---|---|---|
| 1 | बांदा | 37343 | 488 |
| 2 | हमीरपुर | 23850 | -- |
| 3 | चित्रकूट | 31166 | -- |
| 4 | फतेहपुर | 25443 | 1627 |
| | **योग :** | 117802 | 2115 |

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट के विकलांग व्यक्तियों को विकलांग पेंशन दिये जाने की जानकारी**

53-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट में कुल कितने विकलांग व्यक्ति हैं तथा कितने विकलांगों को पेंशन मिल रही है तथा कितने शेष हैं ? क्या शेष विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2011-12 में पेंशन प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट में कुल 105952 विकलांग व्यक्ति हैं जिनमें ऐसे भी व्यक्ति हैं जो विकलांग पेंशन हेतु पात्र नहीं हैं।

विकलांग पेंशन 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी मासिक आय रु0 1000/-से कम हो। उपर्युक्त चारों जिलों में 22431 विकलांगजन को विकलांग पेंशन दी जा रही है। विकलांग पेंशन के लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या-4628 है।

विकलांग पेंशन के लम्बित आवेदकों को उ0 प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत चयनित किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दिये गये हैं। आवेदकों को पेंशन वितरण पात्रता एवं आय-व्ययक प्रावधान पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद विकास खण्ड के ग्राम बहादुरपुर भूप में ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जे को मुक्त कराने की मांग**

54-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बहादुरपुर भूप विकास खण्ड-सहपऊ, जनपद-महामायानगर के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि हड़पने के गम्भीर आरोपों की जांच कराने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-555/रालोद/विमदल/विस/2011 दिनांक 19-4-2011 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

ग्राम बहादुरपुर भूप विकास खण्ड सहपऊ, तहसील सादाबाद, जनपद महामायानगर की गाटा संख्या-286 पशुचर भूमि व 293 चकमार्ग पर जिस अरहर, बाजरा व ज्वार चरी बो कर अनाधिकृत कब्जा ग्राम प्रधान के परिवारजनों का था। अवैध कब्जा हटा दिया गया है तथा पशुचर भूमि एवं चकमार्ग सुरक्षित है। जिसमें कास्तकारों के खाद पड़े हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र में जलालाबाद कटरा से ग्राम राजपुरा तक के क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग**

55-श्री राजेश यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र में जलालाबाद कटरा से ग्राम रजपुरा तक मण्डी परिषद द्वारा बनाया गया मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जिलाधिकारी से अनुमोदित मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं कार्य की प्राथमिकता को दृष्टिगत प्रश्नगत मार्ग का मरम्मत कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर में मण्डी समिति द्वारा विधान सभा क्षेत्र तिलहर में बनाये गये मार्गों का विवरण**

56-श्री राजेश यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में मण्डी समिति द्वारा तिलहर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से मार्ग बनवाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद शाहजहांपुर में मण्डी समिति द्वारा विधान सभा क्षेत्र तिलहर में निम्नलिखित सम्पर्क मार्ग बनवाये गये हैं :-

1-बड़ियाखुर्द अ0ग्रा0 सम्पर्क माग।

2-खानपुर खनमासी अ0ग्रा0 सं0 मार्ग।

3-बड़ियाकलां अ0ग्रा0 सं0 मार्ग।

4-तेजी गौटिया अ0ग्रा0 सं0 मार्ग।

5-मदनापुर बुधवाना मार्ग से बौरी से रघुनाथपुर गौटिया अ0ग्रा0 सं0 मार्ग।

6-जल्लापुर अ0ग्रा0 सं0 मार्ग।

7-नगरिया खुर्द अ0ग्रा0 सम्पर्क मार्ग।

8-कटरा किसान सहकारी समिति से ग्राम शिवदासपुर सं0 मार्ग।

9-समधाना सन्तोषपुर मार्ग से भुसौरी सम्पर्क मार्ग।

10-ढकिया रघा त्रिलोकपुर मार्ग से कबीरचक सम्पर्क मार्ग।

11-रानी खिरिया कुकहा मार्ग से चकुलिया होते हुए शमसान घाट तक।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के समस्त खातेदार/सहखातेदार कृषकों को जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना द्वारा देय धनराशि की जानकारी**

57-श्री कुबेर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में किसानों की कृषि कार्य करते समय आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को जीवन-यापन हेतु पूर्ववर्ती सरकार की भांति आर्थिक अनुदान की धनराशि दो लाख रुपये न्यूनतम देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में प्रदेश के समस्त खातेदार/सहखातेदार कृषक, (जिसमें जनपद एटा के कृषक भी आच्छादित है) जिनकी आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष है, के लिए जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू है। उक्त योजना से आच्छादित बीमा धारक की मृत्यु आग, बाढ़, बिजली गिरने, करेन्ट लगने, सांप काटने एवं जीव जन्तु काटने/मारने, नदी, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने, मकान गिरने, वाहन दुर्घटना, डकैती, दंगा, मारपीट तथा आतंकवादी घटना आदि अप्राकृतिक कारणों से होने पर उनके आश्रितों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

**बोल्टास सहकारी आवास समिति लि0, मड़ियांव वार्ड जानकीपुरम्, लखनऊ स्थित खसरा नं0-1262 को समिति द्वारा भू-खण्डों में परिवर्तित करके बेचा जाना**

58-श्री सुखलाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोल्टास सहकारी आवास समिति लि0, मड़ियांव वार्ड जानकीपुरम्, लखनऊ के नाम दर्ज जमीन खसरा नम्बर 1262 को समिति द्वारा भू-खण्डों में परिवर्तित करके विभिन्न व्यक्तियों को बेचा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त खसरा नम्बर के पश्चिम की जमीन अभिलेखों में किसके नाम अंकित है ? क्या यह सही है कि कुछ भू-माफियाओं द्वारा उस जमीन पर जबरन कब्जे का प्रयास करके निवासियों को आतंकित/भयभीत किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

राजस्व अभिलेख के अनुसार ग्राम मड़ियांव तहसील बक्शी का तालाब जनपद लखनऊ स्थित खसरा नं0-1262/0.5930 बोल्टास सहकारी आवास समिति लि0 के नाम दर्ज है। इस भूमि को भू-खण्डों में परिवर्तित कर विभिन्न व्यक्तियों को समिति द्वारा बेचा गया है।

प्रश्नगत भूमि गाटा सं0-1262 के पश्चिम में राजस्व ग्राम रामपुर निस्फ तह0 बक्शी का तालाब की गाटा सं0-216 बदलू आदि, 217 सड़क 224 दिनेश चन्द्र आदि, 225 सड़क, 226 तालाब के नाम अंकित हैं। लेकिन स्थल पर समिति द्वारा की गयी प्लाटिंग के ठीक पश्चिम में एक पतली पट्टी खाली पड़ी है जिसमें उपर्युक्त लिखित भू-खण्डों के साथ ही गाटा सं0-1262 की भी भूमि है। इस खाली पट्टी के पश्चिम में लगभग 1.5 मीटर चौड़ा नाला तथा नाले के पश्चिम सड़क बनी है।

ऐसा कोई प्रकरण अभी तक संज्ञान में नहीं आया है कि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त भू-खण्डों पर जबरन कब्जे का प्रयास करके निवासियों को आतंकित/भयभीत किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**उद्यान विभाग के अलीगंज स्थित पौधशाला में तैनात दैनिक वेतनभोगी मालियों को मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड पत्र**

59-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान विभाग के अलीगंज स्थित पौधशाला में तैनात दैनिक वेतनभोगी मालियों को मंहगाई भत्ते सम्बन्धित याचिका सं0-7585/ एस0एस0/2009, (छविलाल साहू एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 शासन व अन्य) में दिनांक 18-11-2009 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जी हां।

रिट याचिका संख्या-7585/एस0एस0/2009 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18-11-2009 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि याचीगणों के प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-10-2009 पर विचार कर नियमानुसार यथोचित आदेश पारित करें, जिसके अनुपालन में निदेशालय के पत्रांक-डी0एच0-1342-45, दिनांक 7-1-2010 द्वारा याचीगणों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-10-2009 निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**विभागाध्यक्ष के लिये गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि खरीद हेतु निर्धारित मानक**

60-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि विभागाध्यक्ष के व्यय के लिए कितने लीटर पेट्रोल प्रतिमाह का मानक निर्धारित है ? क्या निदेशक, महिला कल्याण उ0 प्र0 व प्रबन्ध निदेशक, महिला

कल्याण निगम द्वारा वर्ष 2009-10 व 2010-11 में मानक से बहुत अधिक दोनों संस्थानों से पेट्रोल की खपत की है ? यदि हां, तो क्या मानक से अधिक खपत पेट्रोल की कीमत सम्बन्धित अधिकारी से वसूल करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

विभागाध्यक्ष के लिए गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के लिए निर्धारित मानक मद के अन्तर्गत निर्धारित/प्राविधानित बजट सीमा के अन्तर्गत व्यय का प्राविधान है।

जी नहीं। विभागीय बजट की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद मेरठ के ग्राम धनपुर, तोफापुर के पशु चिकित्सालय में चिकित्सक व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की मांग

61-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में राजकीय पशु चिकित्सालय ग्राम धनपुर, ब्लाक-परीक्षितगढ़ में पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त नवनिर्मित पशु चिकित्सालय में चिकित्सक व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त नवनिर्मित भवन क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त के दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

शासनादेश सं0-2349/37-1-2011-2(63)/2010, दिनांक 01 जून, 2011 द्वारा पशु चिकित्सालय धनपुर, तोफापुर में डा0 ज्योति दुबे, पशु चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की गयी है। वेटनरी फार्मासिस्ट एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद रिक्त है। पशु चिकित्सालय के कार्य सम्पादन हेतु निकटतम कार्यरत श्री दीपक, ड्रेसर एवं श्री राजेन्द्र कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी लगायी गयी है जिनके द्वारा पशु चिकित्सालय का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 की कोचिंग के संचालन की मांग

62-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 की कोचिंग किन-किन जनपदों में कहां-कहां संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त कोचिंग सेन्टर की ही तरह समाज के सभी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों हेतु भी कोचिंग की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 की कोचिंग निम्न जनपदों/स्थान पर संचालित है :-

1-छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति हेतु।

2-सन्त रविदास आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 की कोचिंग केन्द्र, वाराणसी-अनुसूचित जाति हेतु।

3-डा0 भीमराव अम्बेडकर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग केन्द्र, आगरा-अनुसूचित जाति हेतु।

4-डा0 भीमराव अम्बेडकर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग केन्द्र, अलीगढ़-अनुसूचित जाति हेतु।

5-आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग सेन्टर निजामपुर, हापुड़, गाजियाबाद-अनुसूचित जाति हेतु।

6-आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (बालिका) अलीगंज, लखनऊ-अनु0 जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति हेतु।

7-पी0सी0एस0 (जे0) कोचिंग सेन्टर, इलाहाबाद अनुसूचित जाति हेतु।

उक्त के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिए जनपद गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर एवं इलाहाबाद में कोचिंग हेतु प्रशिक्षण दिया गया है।

ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधन की कमी के कारण।

63-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**जनपद एटा की तहसील जलेसर विकास खण्ड अवागढ़ की ग्राम सभा रोहिना मिर्जापुर के मजरा टोडनपुर में गाटा सं0-602 ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग**

64-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की तहसील जलेसर, विकास खण्ड अवागढ़ की ग्राम सभा रोहिना मिर्जापुर के मजरा टोडनपुर में गाटा सं0-602 आबादी ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-122 बी ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर/तहसीलदार, जलेसर, एटा के यहां बेदखली की कार्यवाही चल रही है।

न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश पारित होने पर अवैध कब्जा हटवा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

65-श्रीमती अरुणा तोमर-

[दिनांक 10-8-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या-107 द्वारा उत्तरित]

**जनपद में लेखपालों के तैनाती की समय-सीमा एवं स्थानान्तरण की जानकारी**

66-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद में एक क्षेत्र में लेखपालों की तैनाती की समय-सीमा क्या है ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अनुसार उक्त लेखपालों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति विषयक कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश सं0-1/3/96-का-4-2011, दिनांक 14 मई, 2011 के प्रस्तर-1 में किसी भी संवर्ग में किसी भी श्रेणी के कार्मिकों को स्थानान्तरण नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-6 में अपरिहार्य परिस्थितियों में जिले के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान तथा जिले के अन्दर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर, तरबगंज, करनैलगंज तथा सदर में हाट कुक्ड योजना के संचालन में अनियमितता की जांच**

67-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में हाट कुक्ड योजना में वर्ष 2009-10 में आवंटित धनराशि 64141000/-समितियों के खाते में बिना कार्य कराये हस्तान्तरित कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वित्तीय वर्ष 2009-10 में जनपद गोण्डा को हाट कुक्ड फूड योजना के लिए आवंटित रुपये 344.92 लाख के सापेक्ष जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोण्डा द्वारा रुपये 247.63 लाख अग्रिम आहरित करते हुए सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं मातृ समिति की अध्यक्षा के संयुक्त पद नाम से खुले बैंक खाते में निर्धारित व्यवस्था के तहत जमा कराया गया।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हाट कुक्ड फूड योजना के संचालन में अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर आयुक्त, देवी पाटन मण्डल द्वारा जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर, तरबगंज, करनैलगंज तथा सदर के आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें हाट कुक्ड फूड का सही क्रियान्वयन न पाये जाने पर तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोण्डा एवं अन्य अन्तर्ग्रस्त दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोण्डा में आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत सहायिकाएं**

68-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यकत्रियों के 54 पद एवं सहायिकाओं के 79 पद रिक्त होने के बाद भी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा शत-प्रतिशत संचालन दिखाकर वर्ष 2009 व 2010 में प्रतिमाह पुष्टाहार वितरण दर्शाकर धनराशि गबन कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला कार्यक्रम अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

जनपद गोण्डा में कुल 2750 आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के पद स्वीकृत हैं जिनके सापेक्ष 2663 कार्यकत्री एवं 2657 सहायिकाएं कार्यरत हैं। जनपद गोण्डा में आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका रहित शेष रिक्त केन्द्रों का संचालन निकटवर्ती कार्यकत्री/सहायिकाओं के माध्यम से कराया जा रहा है और पोषाहार का वितरण भी कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**कृषि को उद्योग का दर्जा देने की मांग**

69-श्री जोखू लाल यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

कृषि को उद्योग का दर्जा देने से किसानों को उद्योगों की भांति विभिन्न प्रकार के करों को देना पड़ सकता है तथा वर्तमान में बैंकों से सस्ती दरों पर मिलने वाला फसली ऋण तथा अन्य सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ सकता है।

**जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम राधौपुर में पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग**

70-श्री राजेश यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम राधौपुर में पशु चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त पशु चिकित्सालय का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय मानक पूर्ण न होने के कारण प्रश्नगत पशु चिकित्सालय की स्थापना नहीं की जा सकती है।

**जनपद शाहजहांपुर में मण्डी परिषद् द्वारा बनवाये गये सम्पर्क मार्गों की जानकारी**

71-श्री राजेश यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में मण्डी परिषद् द्वारा किन-किन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर कौन-कौन से मार्ग बनवाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मण्डी परिषद् द्वारा जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर सीधे मार्ग का निर्माण नहीं कराया जाता है। बल्कि जनप्रतिनिधियों के प्राप्त प्रस्ताव मण्डी समितियों को विचारार्थ भेज दिये जाते हैं। मण्डी समिति मार्गों की उपयुक्तता एवं प्रासंगिकता आदि का आंकलन करते हुए प्रस्ताव पारित करती है। तत्पश्चात् मण्डी समिति के जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर तत्समय मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता के दृष्टिगत सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कराया जाता है। जनपद शाहजहांपुर में मण्डी समितियों के जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर मण्डी परिषद् द्वारा बनवाये गये सम्पर्क मार्गों की सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद रायबरेली में स्थापित कृषि रक्षा इकाइयों/कृषि सेवा केन्द्र**

72-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में कितनी कृषि रक्षा इकाईयां/कृषि सेवा केन्द्र स्थापित हैं ? इन केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण वर्तमान वर्ष में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त नीति के तहत स्थानान्तरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जनपद रायबरेली में 13 कृषि रक्षा इकाइयां एवं 01 कृषि रक्षा केन्द्र स्थापित हैं।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 166-169 पर)

जी नहीं। वर्ष 2011-12 की शासन की स्थानान्तरण नीति में वर्तमान सत्र को शून्य घोषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत कृषकों को उपलब्ध कराये गये आई0एस0आई0 मार्का पम्प सेट**

73-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत कृषकों को पम्प सेट, आई0एस0आई0 मार्का उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो रायबरेली जनपद में किन-किन किसानों को वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में उपलब्ध कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत कृषकों द्वारा आई0एस0आई0 मार्का पम्प सेट के क्रय करने पर उसके कीमत का 50 प्रतिशत या रु0 10,000/-(रुपये दस हजार मात्र) की धनराशि जो भी कम हो, का भुगतान किये जाने का प्राविधान है।

जनपद रायबरेली में वर्ष 2008-09 में कुल 280 एवं वर्ष 2009-10 में कुल 308 किसानों को उपरोक्तानुसार एकाउन्टपेई चेक के माध्यम से अनुदान की धनराशि का भुगतान किया गया है, जिसकी सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

**रायबरेली जनपद के महराजगंज, शिवगढ़ व बछरावां विकास खण्डों के किसानों को बीजों हेतु अनुदान**

74-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 2010-11 में प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान (आयोजनागत) के अन्तर्गत सात हजार लाख रुपये का लक्ष्य था ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त योजना के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान दिया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत रायबरेली जनपद के महराजगंज, शिवगढ़ व बछरावां विकास खण्डों में भी सुविधायें दी गयी ? यदि हां, तो किन-किन किसानों को किस बीज हेतु कितना अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में आयोजनागत पक्ष में प्रमाणित बीजों पर अनुदान योजनान्तर्गत (राज्य सेक्टर) रु0 700000 हजार का प्राविधान था।

प्रमाणित बीजों पर अनुदान (राज्य सेक्टर) योजना के अन्तर्गत कृषकों में वितरित धान, गेहूं की 15 वर्ष की अधिसूचित प्रजातियों के प्रमाणित बीजों तथा ज्वार, बाजरा तथा जौ की 10 वर्ष तक

---

† (छापी नहीं गयी)

की अधिसूचित प्रजातियों के प्रमाणित बीजों के सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा किये गये वितरण पर रु0 200/-प्रति कुंतल की दर से तथा संकर धान के प्रमाणित बीजों अथवा प्रमाणित बीजों की उपलब्धता नगण्य होने की दशा में संकर धान के टुथफुल बीज जिनकी कृषकों में अच्छी मांग/लोकप्रियता हो तथा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आर0 एण्ड डी0 अनुमोदित हो, के बीजों के वितरण पर मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा रु0 4000/-प्रति कुंतल जो भी कम हो, की दर से अनुदान अनुमन्य था।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनपद रायबरेली के महराजगंज, शिवगढ़ एवं बछरावां विकास खण्डों के जिन-जिन किसानों को प्रमाणित बीजों पर अनुदान दिया गया है उसकी सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

उक्त विकास खण्डों में धान व गेहूं एवं जौ के प्रमाणित बीजों के 15 वर्ष की अधिसूचित प्रजातियों पर रु0 200/- प्रति कुंतल तथा संकर धान के बीजों पर रु0 4000/-अथवा मूल्य का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, की दर से अनुदान दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश के किसान मित्रों की नियुक्ति की जानकारी

75-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने किसान मित्र नियुक्त हैं तथा उनका मानदेय कब से नहीं दिया गया है ? किसान मित्रों के बकाया मानदेय का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

दिनांक 31 मार्च, 2010 से किसान मित्र योजना समाप्त की जा चुकी है। वर्तमान में प्रदेश में कोई किसान मित्र नियुक्त नहीं है।

किसान मित्रों का कोई मानदेय भुगतान हेतु बकाया नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना ग्राम नगला किशुन सिंह की ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जेदारों को हटाने की कार्यवाही

76-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नगला किशुन सिंह, मौजा नगलाधीर, तह0 जसराना, जिला फिरोजाबाद में ग्राम समाज की भूमि गाटा सं0-2660, 2660 पर किये जा रहे अवैध कब्जे को रोकने विषयक अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 को सम्बोधित प्रदेश अध्यक्ष, रालोद का पत्रांक-10446/रालोद/09, दिनांक 13-10-2009 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न प्राप्त होने पर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् से आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार गाटा सं0-2660 का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों में 2.339 हे0 अंकित है। जिसमें ग्राम सभा ऊसर के नाम 1.412 हे0 भूमि है। इस भूमि पर 14 व्यक्तियों के अवैध कब्जे हैं। सभी कब्जेदारों के विरुद्ध बेदखली एवं क्षतिपूर्ति हेतु धारा-122 बीज0वि0अधि0 के अन्तर्गत तहसील जसराना के न्यायालय में वाद योजित है।

**जनपद कानपुर नगर स्थित नवीन फल एवं सब्जी मण्डी, चकरपुर से होने वाली आय को विकास कार्यों पर खर्च करने की मांग**

77-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर स्थित नवीन फल एवं सब्जी मण्डी, चकरपुर से प्रतिवर्ष कुल कितनी आय हो रही है ? क्या उक्त आय का सम्पूर्ण भाग मण्डी व जिले के विकास कार्यों में न लगाकर अन्यत्र लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त मण्डी की सम्पूर्ण आय कानपुर नगर व मण्डी के विकास कार्यों में खर्च करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

फल एवं सब्जी मण्डी, चकरपुर की आय कृषि वर्षवार निम्नवत् हुई है :-

2007-2008 रु0 243.69 लाख

2008-2009 रु0 1151.04 लाख

2009-2010 रु0 1499.81 लाख

2010-2011 रु0 1314.89 लाख

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के सुसंगत प्राविधानान्तर्गत मण्डी की सम्पूर्ण आय विकास कार्यों पर खर्च किये जाने की बाध्यता नहीं है।

**प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

78-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश सं0-8459/2011, दिनांक 14-2-2011 के अनुपालन में टप्पल आदि ग्राम (जनपद अलीगढ़) के किसानों के भूमि अधि0 की धारा-48 में सुनवाई विषयक प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-526/रालोद/विमदल/वि0स0/2011, दिनांक 28-2-11 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायवाती-

जी हां।

पत्र के साथ प्राप्त श्री राधाचरण पुत्र श्री परसादी निवासी ग्राम जहानगढ़, परगना टप्पल, जनपद-अलीगढ़ का प्रत्यावेदन मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-2-2011 के अनुपालन में कार्यालय आदेश संख्या-754/77-3-11-07 आर/10, दिनांक 29-4-2011 द्वारा निस्तारित कर याची को निस्तारण आदेश भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद में ग्राम सर्मेचीपुर तक मार्ग के निर्माण की जानकारी**

79-श्री राजेश यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद में ग्राम सर्मेचीपुर तक मण्डी परिषद द्वारा मार्ग बनाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग उक्त ग्राम से जुड़ा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार मार्ग को उक्त ग्राम से जोड़ते हुए पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जुड़ा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर की ग्राम सभा हरदिहा जलाल के तालाबों के पट्टे का आवंटन**

80-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर की ग्राम सभा हरदिहा जलाल के अन्तर्गत कितने तालाबों के पट्टे किन-किन समुदाय के लोगों को दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर की ग्राम सभा हरदिहा जलाल के अन्तर्गत किसी भी तालाब का पट्टा किसी भी समुदाय के व्यक्ति के नाम नहीं किया गया है।

आवंटन योग्य न होने के कारण आवंटन नहीं किया जा सका।

**जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम मिलावली के गाटा सं0-1019 के अभिलेखों में अंकित भूमि**

81-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम मिलावली, मजरा नगला किशुन सिंह में चारागाह की भूमि गाटा सं0-1019 व गाटा सं0-1025 वन विभाग व चारागाह के लिए आरक्षित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त जमीन का अन्य

लोगों को पट्टा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन के पट्टों को निरस्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम मिलावली एक राजस्व ग्राम है। नगला किशुन सिंह एक मजरा है जो राजस्व ग्राम नगलाधीर का एक भाग है। ग्राम मिलावली के गाटा सं0-1019 का क्षेत्रफल 1488 एकड़ (5.956 हे0) तथा गाटा सं0-1025 क्षेत्रफल 7.44 एकड़ (1.860 हे0) बन्दोबस्त सी0एच0-45 ऊसर दर्ज है। गाटा संख्या-1019 रकबा 2.967 हे0, गाटा संख्या-1025 रकबा 2.424 ऊसर खाते से वन विभाग राजस्व अभिलेखों में 29-5-93 को दर्ज हुई। जो वर्तमान खतौनी के खाता संख्या-741 पर वन विभाग के नाम आज भी विद्यमान है। वन विभाग के खाता संख्या-741 में अंकित भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है।

**जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड निघासन की ग्राम सभा लुधौरी में पशु चिकित्सालय की स्थापना की मांग**

82-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड निघासन की ग्राम सभा लुधौरी में पशु चिकित्सालय है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्राम सभा लुधौरी में पशु चिकित्सालय की स्थापना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण उक्त ग्राम में पशु चिकित्सालय की स्थापना नहीं की जा सकती है।

**जनपद शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक की कतिपय न्याय पंचायतों के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग**

83-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के भावलखेड़ा ब्लाक की न्याय पंचायत पैना बुजुर्ग, शाहगंज, जमुही तथा भावलखेड़ा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में जिन वृद्धावस्था पेंशन धारी लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत है उनको पेंशन नियमित रूप से न मिलकर रुक-रुक कर तथा कई-कई बार गैप होने के बाद मिलती है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2007 में जिन पात्र लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत थी उनकी वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा अप्रैल, 2011 तक की नियमित पेंशन अवमुक्त होकर उनके खातों में पहुंच गई है एवं कितने लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन अभी उनके खातों में नहीं पहुंची है ? क्या सरकार सभी वंचित लाभार्थियों की पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

शाहजहांपुर जनपद के भावलखेड़ा ब्लाक की न्याय पंचायत पैना बुजुर्ग शाहगंज, जमुही तथा भावलखेड़ा के अन्तर्गत आने वाले समस्त पात्र लाभार्थियों को नियमित वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

वर्ष 2007 में स्वीकृत पात्र लाभार्थियों की पेंशन वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं मार्च, 2011 तक नियमित रूप से उनके खातों में प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में कुपोषित बच्चों को बचाने की योजना**

84-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुपोषित बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उसे दूर करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

वर्तमान समय में प्रदेश में कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए विभाग द्वारा 06 माह से 03 वर्ष की आयु के अति कुपोषित बच्चों को उच्च गुणवत्तायुक्त सुपाच्य एवं पौष्टिक माइक्रोन्यूट्रीयन्ट फूड/रेडी टू ईट (वीनिंग फूड) 200 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है जिसमें बच्चे को 800 कैलोरी एवं 26.00 ग्राम प्रोटीन दैनिक रूप से मिलती है। इसी प्रकार 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर दैनिक रूप से पका पकाया भोजन के अतिरिक्त उच्च गुणवत्तायुक्त सुपाच्य एवं पौष्टिक माइक्रोन्यूट्रीयन्ट फूड (एमाइलेज रिच एनर्जी फूड)/लाईचना/गुड़ चना सुबह के नास्ते के रूप में दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**सार्वजनिक पोखरों एवं तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाकर संरक्षित करने की कार्ययोजना**

85-श्री कुबेर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक पोखरों एवं तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाकर संरक्षित करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी में पारित आदेश दिनांक 25-7-2001 के अनुपालन में प्रदेश के सार्वजनिक तालाबों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 8-10-01 एवं राजस्व परिषद् के आदेश दिनांक 24-1-02, 20-2-08, 04 जून, 08, 3-7-07, 16-1-09, 12-10-10 तथा 8-12-10 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गये हैं। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 24-2-2011 एवं इसके क्रम में राजस्व परिषद् के आदेश दिनांक 07 मार्च, 2011 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, उ0 प्र0 के अन्तर्गत जल स्रोतों/तालाबों के सृजन, संवर्धन, संरक्षण के सम्बन्ध में निर्देश भेजे गये हैं। तद्नुसार जनपदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपदों में लेखपालों का स्थानान्तरण किये जाने सम्बन्धी जानकारी**

86-श्री कुबेर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपदों में एक क्षेत्र में लेखपालों की तैनाती की समय-सीमा क्या है ? क्या लेखपालों की तैनाती की समय-सीमा शासन की निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आती है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अनुसार उक्त लेखपालों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति विषयक कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश सं0-1/3/96-का-4-2011 दिनांक 14 मई, 2011 के प्रस्तर-1 में किसी भी संवर्ग में किसी भी श्रेणी के कार्मिकों को स्थानान्तरण नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-6 में अपरिहार्य परिस्थितियों में जिले के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान तथा जिले के अन्दर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**उ0प्र0 राज्य महिला आयोग की स्थापना, अध्यक्ष एवं उनके द्वारा व्यय की गयी धनराशि का विवरण**

87-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में महिला आयोग की स्थापना कब की गयी तथा वर्ष 2002 से 31 मार्च, 2004, 20 अगस्त, 2004 से 15-5-2007 तथा जून, 2007 से 31 मार्च, 2011 तक इस पद पर कौन-कौन महिलायें अध्यक्ष के रूप में पदासीन रही तथा उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान वेतन तथा भत्ते, वाहन व्यय आदि में क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि दी गयी ?

सुश्री मायावती-

उ0 प्र0 राज्य महिला आयोग की स्थापना जून, 2002 में हुई थी। अध्यक्ष के रूप में दिनांक 26 जून, 2002 से 19 जनवरी, 2004 तक श्रीमती पूनम सागर, दिनांक 20 अगस्त, 2004 से 15 मई, 2007 तक श्रीमती रंजना बाजपेयी तथा दिनांक 21 जून, 2007 से 31 मार्च, 2011 तक

श्रीमती आभा अग्निहोत्री पदासीन रहीं। उक्त अवधि में दी गई धनराशियों का विवरण निम्नलिखित है :-

| नाम | मानदेय | यात्रा भत्ता | वाहन व्यय |
|---|---|---|---|
| 1-श्रीमती पूनम सागर | रु0 4,26,325/- | रु0 2,741/- | -- |
| 2-श्रीमती रंजना बाजपेयी | रु0 1,47,634/- | रु0 4,90,020/- | रु0 85,447/- |
| 3-श्रीमती आभा अग्निहोत्री | रु0 18,13,333/- | रु0 1,94,407/- | -- |

**प्रदेश की मण्डी समितियों से होने वाली आय को विकास कार्यों पर खर्च करने की मांग**

88-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डी समितियों से होने वाली आय का अधिकांश भाग कृषि विश्वविद्यालयों को एवं अन्य कार्यों हेतु आवंटित किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार मण्डी समितियों व कृषकों के विकास कार्यों के लिए अलग से धन आवंटन करती है ? क्या सरकार मण्डी समितियों से होने वाली सम्पूर्ण आय को मण्डी समितियों तथा किसानों के विकास में खर्च करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

शासनादेश संख्या-3088/67 कृशिअ-1500 (63)/06, दिनांक 11-11-10 द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों एवं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् को रु0 81.46 करोड़ की धनराशि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद को अपनी निधियों से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये जिसमें रु0 45.67 करोड़ प्रतिवर्ष देने वाली धनराशि भी सम्मिलित है के अनुपालन में रु0 21.36 करोड़ की धनराशि दिनांक 18-12-10 को अवमुक्त की गयी।

जी नहीं।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के सुसंगत प्राविधानान्तर्गत मण्डी की सम्पूर्ण आय विकास कार्यों पर खर्च किये जाने की बाध्यता नहीं है।

**जनपद उन्नाव में विधवा पेंशन हेतु गलत ड्राफ्ट भेजने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही**

89-श्री सुखलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में गलत खाता संख्या एवं अन्य त्रुटियों के कारण कितनी चेक/ड्राफ्ट वापस आये तथा कितने त्रुटिपूर्ण ड्राफ्टों का निस्तारण किया गया ? क्या इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद-उन्नाव में निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत गलत खाता संख्या एवं अन्य त्रुटियों के कारण वित्तीय वर्ष 2009-10 में 6 ड्राफ्ट वापस आये तथा 2010-11 में 13 ड्राफ्ट वापस आये। पेंशनार्थियों से सम्पर्क करके उनका नाम पता तथा खाता संशोधन करते हुए पुनः बैंकों में संशोधित ड्राफ्टों का लाभार्थियों को भुगतान हेतु प्रेषित करते हुए निस्तारण किया गया।

प्रकरण में दोषी पाये जाने पर श्री मिथलेश कुमार, कनिष्ठ लिपिक को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

90-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[दिनांक 05-08-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या-183 द्वारा उत्तरित]

**जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में शारदा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों के बेघर हुए परिवारों को अन्यत्र बसाने की मांग**

91-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन की ग्राम पंचायत लुधौरी, अदलाबाद, झण्डी, पचपेड़ी आदि ग्रामों में शारदा नदी की बाढ़ से प्रभावित परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिए लाल राशन कार्ड व दैवीय आपदा राहत दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शारदा नदी की बाढ़ से प्रभावित सभी गांवों जैसे खम्भरिया मजरा लुधौरी के बाढ़ पीड़ितों को बसाने के लिए सरकार द्वारा भूमि की व्यवस्था कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील लखीमपुर जनपद खीरी की तहसील निघासन की ग्राम पंचायत लुधौरी, अदलाबाद, झण्डी, पचपेड़ी आदि ग्रामों में शारदा नदी की बाढ़ से प्रभावित परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिये दैवी आपदा मद से अहेतुक सहायता गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान, कृषि निवेश, कृषि भूमि कटान व नाव भाड़ा आदि के रूप में कुल 2,70,94,500-00 रु0 का वितरण किया गया है। लुधौरी में 400, अदलाबाद में 68 झण्डी में 229 तथा पचपेड़ी में 375 लाल राशन कार्ड बने हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील निघासन में शारदा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्राम लुधौरी, अदलाबाद, झण्डी, पचपेड़ी में कटान नहीं हुआ था। बल्कि ग्राम खमरिया के मजरा रसालटांडा के 208 परिवार आवासीय भूमि कट जाने के कारण बेघर हो गये थे। यद्यपि सी0आर0एफ0 गाईड लाईन में कटान से बेघर हुये लोगों को अन्यत्र बसाये जाने का प्राविधान नहीं है, फिर भी आवश्यकता के आधार पर ग्राम के 33 परिवारों को ग्राम लुधौरी की गाटा संख्या-1073/0.405 हे0 में तीन-तीन डिसमिल भूमि नापकर बसने के लिये दी गई है। शेष 175 परिवार अपने संसाधनों से अन्यत्र बस गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर में वन भूमि पर निवासित अनुसूचित जनजाति के लोगों को पट्टा एवं कब्जा दिये जाने की जानकारी

92-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत जनपद गोण्डा और बलरामपुर के वन क्षेत्रों में वन भूमि पर निवासित अनु0 जाति, जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को खाली वन भूमि के पट्टे का आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन तहसीलों में कितने-कितने लोगों को पट्टों का कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जनपद गोण्डा के तरबगंज तहसील के अन्तर्गत महेशपुर वन ग्राम के 33 अन्य परम्परागत दावेदारों को पट्टे का कब्जा दिया गया है।

जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर में 121 अनुसूचित जनजाति के लोगों को पट्टों का कब्जा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की आयोजनागत योजनाओं में व्यय धनराशि का उपयोग एवं समर्पित धनराशि की जानकारी

93-श्री लालजी यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2010-11 में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की कितनी धनराशि का उपयोग न होने के कारण वापस करनी पड़ी ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार इसके लिये दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

वित्तीय वर्ष 2010-11 में उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की आयोजनागत योजनाओं हेतु रु0 1576.89 करोड़ के प्राविधान के सापेक्ष रु0 201.32 करोड़ की धनराशि तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 748.51 करोड़ के प्राविधान के सापेक्ष रु0 4.91 करोड़ की धनराशि समर्पित की गयी है। इस प्रकार कुल रु0 2325.40 करोड़ के प्राविधान के सापेक्ष रु0 206.23 करोड़ की धनराशि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत समय से समर्पित करते हुए पुनर्ग्रहीत करायी गयी है।

यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन

94-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन के लिये वित्तीय वर्ष 2010-11 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या यह सही है कि स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र भी जिला प्रोवेशन अधिकारियों से प्राप्त किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनपद बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, आगरा सहित वर्ष 2008 से अब तक किन-किन जनपदों से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-2011 में कुल रु0-57516.684 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

जी हां।

जनपद सुल्तानपुर तथा फर्रुखाबाद से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है। अवशेष जनपदों से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद बागपत के ग्राम गोगनौली में पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग

95-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ग्राम गोगनौली में पशु चिकित्सालय खोले जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण उक्त ग्राम में पशुचिकित्सालय की स्थापना नहीं की जा सकती है।

## श्री चन्द्रपत मल्लाह तहसील मधुबन, जनपद मऊ की भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कब्जा दिलाने विषयक पत्र

96-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रपत मल्लाह पुत्र स्व0 श्री प्रसाद, नि0 सरफौरा, तह0 मधुबन, जनपद मऊ की भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कब्जा दिलाने विषयक श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 14-02-08 प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भू-स्वामी को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 14-02-2008 न होकर दिनांक 20-02-2008 प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। वस्तुतः प्रकरण से सम्बन्धित न्यायालय उपजिलाधिकारी मधुवन में विचाराधीन है।

वाद विचाराधीन रहने तक प्रशासनिक हस्तक्षेप किया जाना सम्भव नहीं है।

**आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की चयन/नियुक्ति में कतिपय अभ्यर्थियों के अंक पत्र/आय प्रमाण-पत्र फर्जी होने के विरुद्ध पत्र की जांच**

97-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के वि0 खं0 सदर में वर्ष 2004 में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की चयन/नियुक्ति में कतिपय अभ्यर्थियों के अंक पत्र/आय प्रमाण-पत्र फर्जी होने के विरुद्ध पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित श्री मनोज कुमार सिंह एडवोकेट का पत्र दिनांक 30-11-09 व श्री ओम प्रकाश पाण्डेय एडवोकेट का पत्र दिनांक 18-09-09 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मनोज कुमार सिंह एडवोकेट व श्री ओम प्रकाश पाण्डेय एडवोकेट के शिकायती-पत्रों में से मात्र श्री ओम प्रकाश पाण्डेय एडवोकेट प्रतापगढ़ का शिकायती-पत्र दिनांक 18-9-09 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के शिकायती प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ है।

प्राप्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच उप जिलाधिकारी, रानीगंज, प्रतापगढ़ से करायी गयी। जांच आख्या के आधार पर जांच में श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय, आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार रानीगंज द्वारा अपने आदेश दिनांक 23-3-11 द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण बाल विकास परियोजना अधिकारी, सदर प्रतापगढ़ के कार्यालय आदेश संख्या-सी-06, दिनांक 03-5-11 द्वारा श्रीमती पाण्डेय की मानदेय आधारित सेवा समाप्त कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कानपुर नगर के मंडी परिषद् के अधीन क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत की मांग**

98-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के सरसौल, विधनू, बिल्हौर व कल्याणपुर ब्लाकों के अन्तर्गत मंडी परिषद् के अधीन कुल कितने मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? क्या क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है ? यदि हां, तो किन-किन मार्गों की मरम्मत कराया जाना प्रस्तावित है ? प्रस्तावित मार्गों के मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद कानपुर नगर के सरसौल, विधनू व कल्याणपुर ब्लाकों के अन्तर्गत कुल 43 नग मार्ग क्षतिग्रस्त हैं। बिल्हौर ब्लाक में कोई मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं है।

जी नहीं।

कोई मार्ग मरम्मत हेतु प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चमरौली जनपद उन्नाव की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की मांग**

99-श्री दीपक कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चमरौली, परगना झलोतर अजगैन, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के नाम खाता संख्या 266 गाटा संख्या 221, 223, 389, 400, 420, 424 में कितनी भूमि दर्ज है और विद्यालय की कितनी भूमि पर कितने लोगों का अवैध कब्जा है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय की भूमि से अवैध कब्जा हटवाकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद उन्नाव के परगना झलोतर अजगैन के तहसील हसनगंज के ग्राम चमरौली के नाम खतौनी सन् फसली 1413,1418 के खाता सं0-266 के गाटा सं0-221/087हे0, 223/0.063 हे0, 389/0.126 हे0, 400/0.759 हे0, 420/1/0.90 हे0, 424/0.759 हे0 कुल 6 किता रकबा 2.770 हे0 भूमिधर दर्ज है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चमरौली की भूमि पर क्षेत्रफल 0.809 हे0 कुल 07 व्यक्तियों का कब्जा है। जिसमें से गाटा सं0-424/0.759 हे0 पर से कब्जा हटा दिया गया है। शेष क्षेत्रफल 0.050 हे0 पर मौके पर 15-16 वर्षों से आबादी बनी है, जिसकी बेदखली की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज कर की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील मुख्यालय में मण्डी बनाये जाने की मांग**

100-श्री लाल जी यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील मुख्यालय पर मण्डी न होने के कारण किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बांसी तहसील मुख्यालय पर मण्डी बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं। जनपद-सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील मुख्यालय पर नवीन मण्डी स्थल न होते हुए भी किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है।

जनपद-सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील मुख्यालय पर ग्राम-बभनी में 5.219 हे0 भूमि अर्जन हेतु धारा-4(1)/17 का प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद् भेजा गया है। भूमि अधिग्रहण के उपरान्त नियमानुसार नवीन मण्डी स्थल का निर्माण कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने की मांग**

101-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम भारत सरकार की वित्तीय सहायता से चल रहा है, इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं के पदों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार इन्हें मानदेय पर रखा जाता है।

**प्रदेश में आग, बाढ़, पाला व अन्य दैवी आपदाओं से किसानों की नष्ट हो रही फसलों की क्षतिपूर्ति दिये जाने की मांग**

102-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आग, बाढ़, पाला व अन्य दैवी आपदाओं से किसानों की नष्ट हो रही फसलों का कृषि बीमा योजना लागू किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

वर्ष 2000-2001 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रदेश में प्रत्येक रबी एवं खरीफ मौसम में क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान खरीफ, 2011 में यह योजना प्रदेश के जनपद बुलन्दशहर, पीलीभीत, बिजनौर एवं ज्योतिबाफूले नगर को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी 68 जनपदों में संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों को आग, बाढ़, पाला व अन्य दैवी आपदाओं से क्षति की स्थिति में बीमा कवर प्रदान करते हुए योजना के प्राविधानों के अनुसार बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इस योजना में ऋणी कृषकों को अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी कृषकों को स्वैच्छिक आधार पर कवर किया जाता है।

खरीफ, 2011 में प्रदेश के चार जनपदों-बुलन्दशहर, पीलीभीत, बिजनौर एवं ज्योतिबाफूले नगर में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को पायलेट आधार पर लागू किया गया है। इस योजना में भी अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों को आग, बाढ़, पाला व अन्य दैवी आपदाओं से क्षति की स्थिति में बीमा कवर प्रदान करते हुए योजना के प्राविधानों के अनुसार बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत ऋणी कृषकों को अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी कृषकों को स्वैच्छिक आधार पर कवर किया जाता है।

खरीफ, 2011 में प्रदेश के तीन जनपदों-बागपत, औरैया एवं मैनपुरी में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मौसम आधारित फसल बीमा योजना को पायलेट आधार पर लागू किया गया है। योजनान्तर्गत ऋणी कृषकों को अनिवार्य आधार पर कवर किया गया है तथा गैर ऋणी कृषकों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना अथवा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में से किसी एक योजना में

अपनी इच्छानुसार सम्मिलित होने का प्राविधान है। इस योजना में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों को कम व अधिक वर्षा, कम व अधिक तापमान आदि जोखिम के अन्तर्गत बीमित कृषकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कानपुर नगर में चकरपुर स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में ठेके पर सफाई कराने वाले ठेकेदारों के बकाया धनराशि के भुगतान की मांग**

103-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में चकरपुर स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में ठेके पर सफाई कार्य कराने वाले कुल कितने ठेकेदारों की 31 मार्च, 2011 तक कितनी धनराशि बकाया है ? क्या सरकार बकाया धनराशि का भुगतान ब्याज सहित कराते हुये इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

नवीन फल एवं सब्जी मंडी में ठेके पर सफाई कार्य करने वाले कुल 03 (तीन) ठेकेदार मै0 कुमार एसोसिएट्स साकेत नगर, कानपुर के दिनांक 08-06-2008 से दिनांक 17-06-2008 तक की अवधि का रु0 36,502.00 बकाया है।

उक्त ठेकेदार का सफाई कार्य सन्तोषजनक न होने से ठेका निरस्त किया गया था एवं जमानत जब्त की गयी थी। अतः बकाया बिल का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा सकता। इस कारण उक्त अवधि का भुगतान उक्त ठेकेदार को नहीं किया गया है। शेष 31 मार्च, 2011 तक समस्त ठेकेदारों के देयकों का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद बागपत, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा में 35 वर्ष से कम आयु पर पुनः विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजनान्तर्गत धनराशि का वितरण**

104-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बागपत, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा में कुल कितनी महिलाओं को 35 वर्ष से कम आयु पर पुनः विवाह करने पर विभाग द्वारा संचालित योजना में 11,000/- रुपये की धनराशि दी गयी है ? क्या सरकार वर्ष 2008 से 15 जनवरी, 2011 के मध्य लाभार्थियों को दी गयी धनराशि तथा उनके नाम व पते सहित विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद बागपत, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा में 35 वर्ष से कम आयु पर पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजनान्तर्गत रु0 11,000/-की धनराशि कुल 88 महिलाओं को दी गई जिनका जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है :-

1-बागपत-15

2-इटावा-29

3-फिरोजाबाद-21

4-आगरा-23

जी हां। वर्ष 2008 से 15 जनवरी, 2011 के मध्य लाभार्थियों को दी गई धनराशि तथा उनके नाम व पते सहित विवरण जनपदवार संलग्न† हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के बाहर देश के अन्य प्रान्तों में शिक्षा ग्रहण कर रहे पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की मांग**

105-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बाहर देश के अन्य प्रान्तों में शिक्षा ग्रहण कर रहे पिछड़े वर्ग के छात्रों को जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त श्रोतों से एक लाख से कम है को सामान्य व अनुसूचित जाति के छात्रों की भांति छात्रवृत्ति दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधेश कुमार वर्मा)-

उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य प्रान्तों में शिक्षा ग्रहण कर रहे पिछड़े वर्ग के छात्रों को उक्त सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

**जनपद गोण्डा में वर्ष 2008-2009 में किसान हित योजना के अन्तर्गत विकास खण्डवार आवंटित धनराशि एवं कराये गये कार्य का विवरण**

106-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में किसान हित योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर, छपिया, वजीरगंज, नवाबगंज में किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना धन आवंटित कर कार्य कराया गया ? क्या कराये गये कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों का स्थलीय परीक्षण करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

वित्तीय वर्ष 2008-09 में किसान हित योजना के अन्तर्गत विकास खण्डवार निम्नवत् धनराशि आवंटित कर कार्य कराये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2008-09

| क्र0सं0 | विकास खण्ड | आवंटित धनराशि (रु0) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | मनकापुर | 6,12,000.00 |
| 2 | छपिया | 4,17,821.00 |

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 170-175 पर।)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | वजीरगंज | शून्य |
| 4 | नवाबगंज | 3,68,50.00 |

वित्तीय वर्ष 2009-10 व 2010-11 में विकास खण्डों में किसान हित योजना की कोई परियोजना स्वीकृत नहीं रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के ग्राम धनीखेड़ा कटरा, ग्राम हिलौली की भूमि गाटा सं0-3130/2 में अपात्र लोगों के नाम पट्टा**

107-श्री लाल जी यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के ग्राम धनीखेड़ा कटरा, ग्राम पंचायत किलौली स्थित गाटा सं0-3824 तालाब सं0-3130/2 को खेती करने हेतु अपात्र लोगों के नाम पट्टा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को खाली कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। प्रश्नगत गाटा सं0-3824, जिसका पुराना गाटा सं0-3130/2 ग्राम हिलौली, परगना मौरावां, तहसील पुरवा रकबा 0.006 हे0 है। यह गाटा तालाब नहीं है। ब्रहमा प्रसाद पुत्र मन्ना व राम आसरे आदि निवासी धनीखेड़ा मजरा हिलौली के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। इसका कोई पट्टा नहीं किया गया है। उक्त स्थिति में किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

**जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिये जने की जानकारी**

108-श्री कुबेर सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बी0पी0एल0 सूची-2002 में अंकित परिवारों के पात्र वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाना अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के मा0 विधायकों को जाति प्रमाण-पत्र व आय प्रमाण-पत्र जारी करने के अधिकार की मांग**

109-श्री कुबेर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मा0 विधायकों को जाति प्रमाण-पत्र व आय प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी अलग से कोई राजाज्ञा जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ में उपजिलाधिकारी सदर के न्यायालय में दायर हुए वादों के निस्तारण की जानकारी**

110-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसीलवार पिछले 15 माह में माहवार कितने वाद उप जिलाधिकारियों के कोर्ट में दायर हुये हैं ? क्या एस0 डी0 एम0 के लिये न्यायालय वाद कार्य हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ? यदि हां, तो जिन तहसीलों में शासनादेशों का अनुपालन वाद ग्रहण करने में नहीं किया गया है उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ में पिछले 15 माह में उपजिलाधिकारी सदर न्यायालय में 847 वाद, कुण्डा में 815 वाद, पट्टी में 561 वाद रानीगंज में 851 वाद व लालगंज में 949 वाद कुल 4223 वाद दायर किये गये हैं।

जी हां।

उपजिलाधिकारी न्यायालय में 60 वाद प्रति माह निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित है।

वाद ग्रहण करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, इटावा, फिरोजाबाद में विधवा पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृत की जानकारी**

111-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, इटावा, फिरोजाबाद में जनवरी, 2008 से 15 जनवरी, 2011 तक विधवा पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर कितनी महिलाओं को विधवा पेंशन स्वीकृत की गयी तथा कितने अवशेष हैं तथा उन पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपदवार पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों का विवरण निम्नवत् है :-

| | | |
|---|---|---|
| बागपत | - | 1374 |
| मेरठ | - | 3855 |
| मुजफ्फरनगर | - | 5371 |
| सहारनपुर | - | 7504 |
| मथुरा | - | 1666 |
| बुलन्दशहर | - | 4077 |
| मुरादाबाद | - | 11920 |
| इटावा | - | 2160 |
| फिरोजाबाद | - | 7960 |

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्वीकृति/अवशेष का विवरण निम्न प्रकार है :-

| जनपद का नाम | स्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या | अवशेष आवेदन-पत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| बागपत | 1374 | -- |
| मेरठ | 3855 | -- |
| मुजफ्फरनगर | 4768 | 605 |
| सहारनपुर | 7135 | 309 |
| मथुरा | 1666 | -- |
| बुलन्दशहर | 3408 | 587 |
| बागपत | 2634 | 2230 |
| इटावा | 1237 | 925 |
| फिरोजाबाद | 7886 | 124 |

अवशेष लाभार्थियों को इस योजना से आच्छादित करने का कार्य नियमित रूप से किया जाता रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बागपत के निर्वाचित क्षेत्र बरनावा के ग्राम वोपरा में मृतक की पत्नी श्रीमती वारिशा को मा0 मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता**

112-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बागपत के निर्वाचन क्षेत्र बरनावा के ग्राम बोपरा नि0-मैनुद्दीन पुत्र हकीमुद्दीन की कुएं में मिट्टी से दबने से मृत्यु होने पर परिवार को

1,00,000/- रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-02-2008 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मृतक परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-2-2003 राजस्व विभाग में प्राप्त न होकर मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से मृतक की पत्नी श्रीमती वारिशा को रु0 12,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त घटना के तुरन्त बाद मृतक की पत्नी श्रीमती वरिशा को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत रु0 20,000/-की धनराशि भी उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोण्डा में सरकारी कृषि फार्मों से हो रही लाभ तथा हानि**

113-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में कुल कितने सरकारी कृषि फार्म हैं तथा कौन-कौन से फार्मों में सरकार को लाभ हुआ एवं किन फार्मों से हानि हुई है ? क्या सरकार उक्त कृषि फार्मों को आधुनिक तकनीकि से जोड़कर लाभ प्राप्त करने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जनपद गोण्डा में कुल 05 सरकारी कृषि फार्म हैं। राजकीय कृषि प्रक्षेत्र कस्तुआ, कल्याणनपुर, कटहा एवं लक्षमणपुर से लाभ हुआ है तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र डोमा कालपी से हानि प्राप्त हो रही है।

कृषि फार्मों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर लाभ प्राप्त करने की कार्य योजना है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर में आलू के बीज की निर्धारित दर**

114-श्री राजेश यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2007, 2008, 2009 व 2010 में किसानों को निर्धारित दर पर मांग के अनुरूप कितने क्विंटल आलू का बीज उपलब्ध कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2007 में 280.50 कुन्टल, वर्ष 2008 में 49.50 कुन्टल, वर्ष 2009 में 285.00 कुन्टल एवं वर्ष 2010 में 215.00 कुन्टल आलू का बीज शासन द्वारा निर्धारित दर पर कृषकों को उपलब्ध कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर में नया कारागार बनाने का विचार**

115-श्री राजेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जिला कारागार में कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु उक्त जनपद में नया कारागार बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में एक मिनी स्टेडियम बनाने की मांग**

116-श्री राजेश यादव-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या सरकार एक मिनी स्टेडियम बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी नहीं।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में अभी तक ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु कोई भूमि विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं की गयी है।

**जनपद शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट में लिपिक व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग**

117-श्री राजेश यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट में वर्तमान में लिपिक व चतुर्थ श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्तमान में कलेक्ट्रेट शाहजहांपुर में नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिकों के 03 पद तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के 39 पद रिक्त हैं।

लिपिक वर्ग में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जिलाधिकारी स्तर पर विचाराधीन है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2052/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8-9-2010 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत आवंटित धनराशि की जानकारी**

118-श्री कुबेर सिंह-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद एटा में पुष्टाहार हेतु अनुमानित व्यय रु0 16.6 लाख में से विधान सभा क्षेत्र जलेसर हेतु कितनी धनराशि दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद एटा में विधान सभा क्षेत्र जलेसर को जिला विकास योजना अन्तर्गत कोई धनराशि नहीं दी गई है बल्कि जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद एटा में पुष्टाहार ढुलाई हेतु रुपये 1.66 लाख की धनराशि आवंटित की गयी जिसका उपभोग वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुपूरक पुष्टाहार की ढुलाई मद में किया गया।

विधान सभा क्षेत्र जलेसर के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वित्तीय वर्ष 2009-10 का पुष्टाहार ढुलाई की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं को शेष नहीं था। इस कारण विधान सभा जलेसर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जनपद में आवंटित धनराशि रुपये 1.66 लाख के सापेक्ष धनराशि आवंटित नहीं की गयी।

**जनपद एटा में जिला विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति कल्याण हेतु व्यय की गयी धनराशि का विवरण**

119-श्री कुबेर सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद एटा में अनुसूचित जाति कल्याण हेतु अनुमानित व्यय रु0 64.11 लाख में से विधान सभा क्षेत्र जलेसर हेतु कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार व्यय का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद एटा में अनुसूचित जाति कल्याण हेतु वास्तविक व्यय रु0 64.11 लाख में से विधान सभा क्षेत्र जलेसर में कुल रु0 17.19 लाख की धनराशि निम्नवत् व्यय की गयी :-

| क्र0सं0 | मद | लाभार्थी संख्या | वितरित सहायता राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | निर्धन अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु सहायता | 145 | 14.50 लाख |
| 2 | अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता | 12 | 2.69 लाख |

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**निदेशक, महिला कल्याण उ0 प्र0 द्वारा चाय, नाश्ते पर व्यय की जानकारी**

120-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, महिला कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कुल कितनी धनराशि चाय, नाश्ते पर व्यय की गयी ? क्या उक्त धनराशि व्यय करने का अधिकार निदेशक, महिला कल्याण को है ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

महिला कल्याण निदेशालय द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कुल रु0 1,46,510/-की धनराशि कार्यालय व्यय मद में व्यय की गयी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**महिला कल्याण विभाग द्वारा बेरोजगार महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित योजनायें**

121-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण विभाग द्वारा बेरोजगार महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं को कार्यक्रम संचालन हेतु वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में वितरित किये गये किटों की कीमत शासन से अनुदान के रूप में बाजार भाव से अधिक कीमत अदा कर घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग से इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

122-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

**जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर की ग्राम सभा हरदिहा में तालाबों का आवंटन**

123-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेदकर नगर की तहसील आलापुर की ग्राम सभा हरदिहा जलाल में कुल 18 तालाबों जिनका क्षेत्रफल 3041 हेक्टेयर का पट्टा अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त तालाबों का पट्टा कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर की ग्राम सभा हरदिहा जलाल में कुल 16 तालाब हैं। जिनका क्षेत्रफल 3.041 हे0 राजस्व अभिलेखों में अंकित है। ग्राम सभा हरदिहा जलाल के अन्तर्गत कोई भी तालाब मत्स्य पालन पट्टा योग्य नहीं था। वर्तमान में गाटा संख्या-286/0.279 हे0 के तालाब का आवंटन योग्य हो जाने के कारण आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

**प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा नये परियोजना केन्द्र खोले जाने की मांग**

124-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिला कल्याण विभाग में नये परियोजना केन्द्र खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम भारत सरकार की वित्तीय सहायता से चल रहा है, जिसमें नये परियोजना केन्द्र भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा खोले जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ में मण्डी परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत एवं नये मार्ग के निर्माण कराने विषयक प्राप्त पत्र**

125-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-569, 567, 568/2010, दिनांक 27-12-2010 जो जनपद प्रतापगढ़ में मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत एवं नये मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

उक्त पत्रों में अंकित 15 मार्गों में से 03 मार्गों का मरम्मत कार्य कराया जा चुका है। 03 नग मार्गों का प्रस्ताव समिति से प्राप्त नहीं है। शेष 09 नग मार्गों का मरम्मत कार्य मण्डी समिति प्रतापगढ़ की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण कराये जाने में कठिनाई है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ में सामान्य जाति के मुसलमानों द्वारा पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

126-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सामान्य जाति के अल्पसंख्यक मुसलमानों द्वारा पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने की शिकायत प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5-1-2011 द्वारा प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ सहित अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा दूलापुर, ब्लाक बेलखरनाथ धाम के प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

जी हां।

समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-685/26-3-2011, दिनांक 28 फरवरी, 2011 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रकरण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विचाराधीन है। समिति के निर्णय के उपरान्त ही अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम रामकोला में ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की जानकारी**

127-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा होशियारपुर के मूल निवासी श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री पयागदीन गुप्ता द्वारा ग्राम रामकोला में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर स्थायी निर्माण करा लिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, पट्टी को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-1-2011 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम सभा होशियारपुर के मूल निवासी श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री पयागदीन गुप्ता द्वारा ग्राम रामकोला में ग्राम सभा की भूमि गाटा सं0-370/0.019 हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। इनके विरुद्ध उ0 प्र0 स0वि0अधि0 की धारा-122बी के अन्तर्गत योजित वाद में दिनांक 29-3-2011 को बेदखली का आदेश पारित किया जा चुका है। साथ ही पुलिस बल के साथ वाद ग्रस्त भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाने का आदेश भी दिया जा चुका है।

**जनपद रायबरेली में नई तकनीकी की जानकारी हेतु किसानों को अन्य प्रदेशों में भ्रमण एवं उन पर व्यय का विवरण**

128-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि की नई तकनीकी की जानकारी हेतु किसानों को प्रदेश से बाहर भ्रमण पर भेजा जाता है ? यदि हां, तो रायबरेली जनपद में किन-किन कृषकों को वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 व 2009-10 में प्रदेश से बाहर किन-किन प्रदेशों में भेजा गया ? क्या सरकार प्रत्येक वर्ष के व्यय का ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

प्रदेश के कृषकों को जनपद-रायबरेली से (आत्मा योजनान्तर्गत एक्सपोजर विजिट इन्टर स्टेट के अन्तर्गत) एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भ्रमण पर भेजा जाता है। जनपद-रायबरेली से अन्य प्रदेशों में भेजे गये कृषकों की सूची संलग्न[†] है।

2-वर्ष 2007-08 में भेजे जाने वाले कृषकों की संख्या शून्य है।

3-वर्ष 2008-09 में कुल 05 कृषकों को दिल्ली भ्रमण पर भेजा गया।

4-वर्ष 2009-10 में कुल 95 कृषकों को क्रमशः नई दिल्ली एवं पंजाब भ्रमण भेजा गया।

प्रत्येक वर्ष अन्य प्रदेशों में भेजे गये कृषकों पर व्यय का विवरण निम्नवत् है :-

1-वर्ष 2007-08 में भेजे जाने वाले कृषकों की संख्या शून्य है।

2-वर्ष 2008-09 में कुल 05 कृषकों को दिल्ली भ्रमण पर भेजा गया, जिस पर रु0 30000.00 व्यय हुआ।

3-वर्ष 2009-10 में कुल 95 कृषकों को क्रमशः नई दिल्ली एवं पंजाब भ्रमण भेजा गया जिस पर रु0 570000.00 व्यय हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर पोषाहार दिये जाने की जानकारी**

129-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है ? क्या सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों की अब तक कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो उसमें कितने बच्चे अब तक कुपोषित चिन्हित किये गये हैं ? क्या सरकार ने उनके लिए कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

---

[†] (देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 176-180 पर)

जी नहीं।

विभाग द्वारा संचालित केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा के 06 वर्ष आयु तक के पंजीकृत बच्चों का वजन लेकर कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाता है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 131 लाख बच्चों का वजन लिया गया जिनमें लगभग 53 लाख (लगभग 40 प्रतिशत) बच्चे कुपोषित तथा लगभग 2600 (0.21 प्रतिशत) बच्चे अति कुपोषित चिन्हित किये गये।

जी हां।

सामान्य बच्चों के सापेक्ष अति कुपोषित बच्चों को दो गुनी मात्रा में पोषाहार दिया जाता है जिसमें 06 माह से 03 वर्ष आयु के अति कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से वीनिंग फूड टेक होम राशन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार 03 से 06 वर्ष आयु के अति कुपोषित बच्चों को सामान्य बच्चों की भांति हाट कुक्ड फूड एवं मार्निंग स्नैक दैनिक रूप से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को टेक होम राशन के रूप में 75 ग्राम प्रतिदिन प्रति लाभार्थी की दर से माइक्रोन्यूट्रीयन्ट फोर्टीफाइड फूड/एमाइलेज रिच एनर्जी फूड उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही स्वास्थ्य सेवायें भी प्रदान की जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर में जनसमस्याओं के निराकरण हेतु चलाये जा रहे तहसील दिवसों में सांसद/विधायक एवं जनप्रतिनिधियों की बैठने की व्यवस्था**

130-श्री राजेश यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में जनसमस्याओं के निराकरण हेतु चलाये जा रहे तहसील दिवसों में सांसद/विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों के सम्मिलित होने पर क्या सरकार द्वारा रोक लगायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या तहसील दिवस में भाग लेने पर सांसद/विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों के बैठने हेतु कोई व्यवस्था की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

मा0 सांसद/विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के उपस्थित होने पर उनके बैठने हेतु यथोचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम कुन्डरिया में बाढ़ प्रभावितों को राहत/मुआवजा दिये जाने का विवरण**

131-श्री राजेश यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम कुड़रिया में वर्ष 2010 की बाढ़ से प्रभावितों को क्या कोई राहत/मुआवजा उपलब्ध कराया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त बाढ़ पीड़ितों को कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम कुन्डरिया में वर्ष 2010 की बाढ़ से प्रभावितों को निम्नानुसार राहत/मुआवजा उपलब्ध कराया गया :-

| मद का नाम | प्रभावितों की संख्या/दर | वितरित धनराशि |
|---|---|---|
| (क)-गृह अनुदान | | |
| 1-पूर्णतयः नष्ट पक्के मकान | 8×35000 | 2,80,000 |
| 2-पूर्णतयः नष्ट कच्चे मकान | 41×10000 | 4,10,000 |
| 3-क्षतिग्रस्त झोपड़ियां | 199×2000 | 3,98,000 |
| 4-आंशिक क्षतिग्रस्त मकान | 15×1500 | 22,500 |
| (ख)-अहेतुक सहायता | | |
| 1-कपड़ा, बर्तन आदि | 192×2000 | 3,84,000 |
| 2-पूड़ी पैकेट | 493×15 | 7,395 |
| (ग)-अनुग्रह अनुदान | | |
| 1-मानव मृत्यु | 1×1,00,000 | 1,00,000 |
| (घ)-कृषि निवेश अनुदान | | |
| 1-फसल नष्ट होने पर | 509 | 4,33,634 |
| कुल योग :- | | 20,35,529 |

सभी पात्रों को राहत वितरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर की तहसील सदर के राजस्व ग्राम धन्योरा, कोहनी की गर्रा नदी की बाढ़ से पीड़ितों को अनुदान**

132-श्री राजेश यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील सदर के राजस्व ग्राम धन्योरा, कोहनी के घर गर्रा नदी की बाढ़ से कट गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों के बाढ़ पीड़ितों को बसाने हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्ष 2010 में गर्रा नदी की बाढ़ से ग्राम धन्योरा में 6 कच्चे मकानों में आंशिक क्षति होने पर रु0 1,500/-की दर से कुल 9000/-रु0 की सहायता वितरित की गयी है। इसके अतिरिक्त ग्राम कोहनी में गर्रा नदी की बाढ़ से 17 कच्चे मकानों में पूर्णतया कटान हो जाने के कारण इनके गृह स्वामियों को रु0 10,000/-की दर से कुल रु0 1,70,000/-गृह अनुदान वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक झोपड़ी कटान होने पर रु0 2000/-की गृह अनुदान सहायता 14 कच्चे मकानों में अधिकांश कटान होने पर रु0 2,500/-की दर से रु0 35000/-की सहायता तथा 17 कच्चे

मकानों में आंशिक नुकसान होने पर रु0 1,500/-की दर से रु0 25,500/-की सहायता चेकों के माध्यम से वितरित की जा चुकी है।

बाढ़ पीड़ितों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार सहायता दी जा चुकी है। अन्य जगह बसाने की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के गांवों में कृषक गोष्ठियों का आयोजन एवं व्यय की जानकारी**

133-श्री राजेश यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के किन-किन गांवों में वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल कितनी कृषक गोष्ठियां आयोजित की गई हैं तथा उन गोष्ठियों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में जनपद शाहजहांपुर के 13 ग्राम-चांदापुर, मोहनपुर, विचोला, हारगुरैया, भौती, रुजवारी, खिरिया, सण्डाखास, चांदपुर, मियांपुर, वसगौलाअर्जुनपुर, मकसूदापुर एवं इटोली तथा 14 विकास खण्ड सभागार पुवायां, दण्डा, खुटार, भावलखेड़ा, ददरौल, कांट, मदनापुर, तिलहर, निगोही, जैतीपुर, खुदागंज, कलान, मिर्जापुर एवं जलालाबाद तथा कृषि विज्ञान केन्द्र नियामतपुर, प्रांगण/सभागार में 02 दिवसीय किसान मेला/कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया जिन्हें मिलाकर कुल 28 गोष्ठियों का आयोजन किया गया। उक्त 28 गोष्ठियों पर कुल धनराशि रु0 8,95,500/-(रु0 आठ लाख, पच्चानबे हजार, पांच सौ मात्र) का व्यय हुआ।

**प्रदेश में आलू क्रय केन्द्र खोले जाने की मांग**

134-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को आलू की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु क्या सरकार आलू क्रय केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जी नहीं।

वर्तमान में प्रदेश की प्रमुख आलू मण्डियों में कृषकों की आलू उत्पादन लागत के सापेक्ष थोक आलू बाजार भाव अधिक चल रहे हैं। इसलिए आलू क्रय केन्द्र खोले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**प्रदेश की विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन दिये जाने की जानकारी**

135-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है ? क्या इन पेंशनरों का निर्धारित समय पर सत्यापन कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान में कुल 16,29,266 निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद रायबरेली से दूसरे जनपद में अध्ययन भ्रमण हेतु भेजे गये कृषकों का विवरण**

136-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कृषकों को एक जनपद से दूसरे जनपद में अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा जाता है ? यदि हां, तो रायबरेली जनपद से किन-किन कृषकों को किस जनपद में वर्ष 2007-08 तथा 2009-10 में भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

रायबरेली जनपद से दूसरे जनपद में अध्ययन भ्रमण हेतु भेजे गये कृषकों की सूची संलग्न† है, जिनका जनपदवार विवरण निम्नवत् है :-

1-वर्ष 2007-08 में भेजे जाने वाले कृषकों की संख्या शून्य है।

2-वर्ष 2009-10 में कुल 110 कृषकों को क्रमशः लखनऊ, कानपुर व नैनी, इलाहाबाद अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद रायबरेली में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन को निर्मित कराने की मांग**

137-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्मित है ? क्या सभी जनपदों में भवन बनाये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो रायबरेली जनपद में भी उक्त भवन बनवाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रदेश में कुल 14787 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्मित कराये जा चुके हैं।

जी नहीं।

जनपद रायबरेली में 145 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्मित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 181-185 पर।)

**जनपद रायबरेली के महराजगंज बछरावां शिवगढ़ वि0 खण्ड में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण एवं निरीक्षण की मांग**

138-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कुल कितना पोषाहार किस-किस फर्मों से मंगाया जाता है ? रायबरेली जनपद के प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों को कितना पोषाहार दिया जाता है ? क्या उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए प्रदेश में जिला तथा ब्लाक स्तर पर कोई समिति बनायी गयी है ? यदि हां, तो रायबरेली जनपद के महराजगंज, बछरावां, शिवगढ़ वि0 खण्ड में उक्त समिति ने वर्ष 2010 से 31 मार्च, 2011 तक कितने केन्द्रों का निरीक्षण किया ? क्या उक्त केन्द्रों पर वितरण सही पाया गया ? यदि नहीं तो इसके दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या के आधार पर प्रदेश की 897 परियोजनाओं में औसत रूप से 58,000 एम0टी0 अनुपूरक पोषाहार की मासिक आपूर्ति होती है। उक्त आपूर्ति मे0 ग्रेट वैल्यू फूड, ग्रेटर नोएडा, मे0 पी0बी0एस0 फूड प्रा0 लि0, ग्रेटर नोयडा, मे0 क्रिस्टीफाइड ग्राम इंडस्ट्री, मेरठ, मे0 त्रिकाल फूड्स एण्ड एग्रो प्रा0लि0, बरेली, मे0 लालजी एनर्जी फूड्स प्रा0लि0, ग्रेटर नोयडा, मे0 सुरुचि फूड्स प्रा0लि0, मथुरा/नोयडा, मे0 कान्टीनेन्टल मि0इ0लि0, नोयडा, मे0 नीलगिरि फूड्स प्रा0लि0, उन्नाव तथा मे0 देवेश फूड्स प्रा0लि0 बरेली, उ0 प्र0 से करायी जाती है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार की आपूर्ति औसत रूप से बच्चों की संख्या के आधार पर की जाती है, जिसमें एक केन्द्र पर 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों हेतु 07 से 09 बैग वीनिंग फूड, गर्भवती/धात्री महिलाओं के लिए 04 से 05 बैग एमाइलेज रिच एनर्जी फूड एवं 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों के लिये मार्निंग स्नैक हेतु 02 बैग एमाइलेज रिच एनर्जी फूड मासिक रूप से दिया जाता है।

जी नहीं।

परियोजनाओं/आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आपूर्ति होने वाले पोषाहार की गुणवत्ता की जांच हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था है। (1) आपूर्तिकर्ता फर्में परियोजनाओं पर आपूर्तित अनुपूरक पुष्टाहार के प्रत्येक बैच की जांच रिपोर्ट स्वयं के लैब की तथा एन0ए0बी0एल0 प्रमाणित विश्लेषण इकाई की प्रस्तुत करते हैं। (2) उत्पादन इकाईयों से प्रत्येक माह अनुपूरक पुष्टाहार के सैम्पुल विभागीय अधिकारी लेते हैं और उनकी जांच एन0ए0बी0एल0 प्रमाणित विश्लेषण इकाई से कराते हैं। (3) जनपद/परियोजनाओं से प्रत्येक माह पोषाहार के नमूने निदेशालय भेजे जाते हैं जिन्हें प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर स्थित एन0ए0बी0एल0 प्रमाणित विश्लेषण इकाइयों को भेजकर जांच करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद रायबरेली के सी0डी0पी0ओ0 कार्यालय में किराये पर लिये गये वाहनों की जानकारी**

139-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों के सी0डी0पी0ओ0 कार्यालयों को वाहन (जीप) उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो इनमें से रायबरेली जनपद के अन्तर्गत कितने सी0डी0पी0ओ0 हैं, जिनके पास सरकारी वाहन नहीं हैं क्या उन्हें किराये पर वाहन लिए जाने का आदेश शासन से प्राप्त है ? यदि हां, तो रायबरेली में वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 में किराये पर लिए गये वाहनों का विवरण क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जहां वाहन उपलब्ध नहीं है, वहां किराये पर वाहन लिये जाने की व्यवस्था है।

जनपद रायबरेली में 16 में से 11 बाल विकास परियोजना कार्यालयों में सरकारी वाहन नहीं हैं। जनपद स्तर पर मांग के परिप्रेक्ष्य में 05 वाहनों को किराये पर लिये जाने की अनुमति निदेशालय द्वारा दी गयी।

वर्ष 2008-09 में 01 वाहन एवं वर्ष 2009-10 में कुल 03 वाहन किराये पर लिये गये हैं।

**जनपद अम्बेडकर नगर तहसील जलालपुर ग्राम मालीपुर में गाटा सं0-776 पर अतिक्रमण होने की जानकारी**

140-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर तहसील कादीपुर की ग्राम सभा डोमापुर स्थित गाटा संख्या-776 घूर गड्ढा की जमीन है पर राजमणि पुत्र राम दयाल, ग्राम गड़ौरा द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर पक्के मकान का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे रोकते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में अभिलेखों के अनुसार स्थलीय जांच करायी गयी। जांच में पाया गया कि गाटा सं0-776 रकबा 0.028 हे0 राम आसरे, राम किशोर व राम शिवजोर पुत्रगण द्वारिका निवासी ग्राम मालीपुर तहसील जलालपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। इस भू-खण्ड के अगल-बगल भी कोई भू-खण्ड खाद गड्ढा की श्रेणी का नहीं है। गाटा सं0-776 पर खातेदार काबिज है। किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कानपुर नगर के ग्राम गदनखेड़ा में चकबन्दी अधिकारी द्वारा अनधिकृत लोगों को सीरदारी हक प्रदान किये जाने की जांच**

141-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर स्थित ग्राम गदनखेड़ा में चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान चकबन्दी अधिकारी द्वारा गाटा संख्या-57 रकबा-2 बीघा व गाटा संख्या-155, रकबा 1 बीघा 16 बिस्वां तथा गाटा संख्या-157 रकबा 1 बीघा पर मूल भू-स्वामियों के

स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को खड़ा करके फर्जी सहमति के आधार पर सीरदारी हक, अनधिकृत लोगों को प्रदान कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्जी कार्यवाही में मूल भू-स्वामियों के अंगूठा निशानों का मिलान कराकर फर्जी कार्यवाही कूटरचना धोखाधड़ी एवं जालसाजी के लिप्त दोषियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही करने तथा चकबन्दी अधिकारी के आदेश को निरस्त कर उक्त भूमि पर मूल काश्तकारों के नाम दर्ज करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

चकबन्दी अधिकारी के वाद संख्या-2120 ता0फै0 02-08-1976 के अन्तर्गत धारा-9 क (2) के अन्तर्गत जमुना देवी आदि के द्वारा गाटा सं0-57 रकबा 2 बीघा व गाटा-155, 1 बीघा 16 बिस्वा तथा गाटा सं0-157 रकबा 1 बीघा से सुलहनामा के आधार पर श्रीमती जमुना देवी पत्नी शिवचरन सिंह, निवासी चकरपुर मजरा संचेण्डी व श्रीमती पानकुंवरि पत्नी लाखन सिंह नि0 सेरसा, जिला जालौन का नाम खारिज करके बाबू सिंह पुत्र पंचम सिंह के नाम बतौर सीरदार दर्ज किया गया है।

ए0आर0के0 (सी) की आख्या दिनांक 27-7-11 के अनुसार वाद संख्या-2120 बाबू सिंह बनाम जमुना देवी आदि ता0फै0 2-8-1976 ग्राम गदनखेड़ा परगना व जिला कानपुर नगर की पत्रावली दिनांक 9-1-1997 को नष्ट की जा चुकी है। इसलिए मूल भू-स्वामियों के अंगूठा निशानों का मिलान कराया जाना संभव नहीं है। चकबन्दी अधिकारी के आदेश को निरस्त कराने हेतु न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में क्षुब्ध पक्षकार द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।

न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही योजित किये जाने पर यथाशीघ्र निस्तारण किया जायेगा। अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद कानपुर नगर स्थित ग्राम गदनखेड़ा चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान गाटा संख्या-172 की भूमि का क्षेत्रफल कम करने विषयक जानकारी**

142-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर स्थित ग्राम गदनखेड़ा में चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान आकार पत्र-41 व 45 में गाटा संख्या-172 का रकबा 4-0-14 बीघा अंकित किया गया है ? जबकि उक्त भूमि का कुल रकबा 6-13-12 बीघा था ? यदि हां, तो शेष रकबा आकार पत्र 41 व 45 से बिना प्राधिकार हटाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि आकार पत्र-23 के आधार पर चकबन्दी अधिकारी द्वारा मूल्यांकन में हेरा-फेरी करके अधिक मालियत का निर्धारण कर भूमि के क्षेत्रफल को कम किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं च0 अधि0 की धारा-52 (2) के अन्तर्गत त्रुटियों का सुधार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

आकार-पत्र 41 में गाटा सं0-172 का क्षेत्रफल 4-0-12 (4 बीघा 14 बिस्वांशी) अंकित है जो आकार-पत्र 45 की संख्या-17 में अंकित किया गया है। उक्त खाता श्रीमती जमुना देवी पत्नी शिवबरन सिंह निवासी चकरपुर मजा संचेण्डी के नाम अंकित है।

आकार-पत्र 23 भाग-1 की चक संख्या 12 में प्रस्तावित रकबा 6-13-12 (6 बीघा 13 बिस्वा 12 बिस्वांशी) अंकित किया गया था, परन्तु उक्त चक में चकबन्दी अधिकारी के वाद संख्या-2120 दिनांक 2-8-76 को सुलहनामा के आधार पर आदेश किया गया है कि खातेदार के मूल गाटा संख्या-57 रकबा 2-0-0 (2 बीघा) व 155 रकबा 1-16-0 (1 बीघा) से श्रीमती जमुना देवी पत्नी शिवबरन सिंह, निवासी चकरपुर मंजरा संचेण्डी व श्रीमती पानकुंवरि पत्नी लाखन सिंह नि0 सेरसा, जिला जालौन का नाम खारिज कर बाबू सिंह पुत्र पंचम सिंह के नाम सीरदार दर्ज किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में 1/2 अंश के आधार पर चक संख्या-15 से उपसंचालक चकबन्दी के द्वारा रकबा 2-3-17 (2 बीघा 3 बिस्वा 17 बिस्वांशी) कम किया गया है तथा उक्त चक में ब0अ0च0 द्वारा चक संशोधन में मूल्यांकन के अनुसार चक प्रदिष्ट करते समय 0-9-1 (9 बिस्वा 1 बिस्वांशी) कम किया गया है। इस प्रकार कुल 2 बीघा 12 बिस्वा 18 बिस्वांशी रकबा कम किया गया है।

नहीं।

चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान उक्त गाटे से सम्बन्धित कोई अनियिमतता नहीं की गयी है। इसलिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है तथा धारा-52 (2) के अन्तर्गत सुधार करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम सिऊरा में पशु चिकित्सालय के स्थापना की मांग**

143-श्री राजेश यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम सिऊरा में पशु चिकित्सालय नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण उक्त ग्राम में पशुचिकित्सालय स्थापित किया जाना संभव नहीं है।

**जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में अत्याधुनिक मिनी स्टेडियम बनाये जाने की मांग**

144-श्री कुबेर सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या सरकार अत्याधुनिक मिनी स्टेडियम बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

विधान सभा क्षेत्र जलेसर में युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है, जो जलेसर शहर के निकट निधौलीकला रोड पर स्थित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के कस्बा जैतीपुर एवं खुदागंज को मण्डी अथवा उपमण्डी घोषित करने की मांग**

145-श्री राजेश यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के कस्बा कटरा, जैतीपुर एवं खुदागंज को मण्डी अथवा उपमण्डी घोषित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां। कटरा (मीरानपुर कटरा) प्रधान मण्डी स्थल एवं खुदागंज उपमण्डी स्थल पूर्व में ही घोषित है।

उपमण्डी घोषित करने हेतु निर्धारित मानकों के पूर्ण न होने के कारण जैतीपुर को उपमण्डी स्थल घोषित किया जाना विपणन के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है।

**जनपद शाहजहांपुर के ब्लाकों में चकबन्दी का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग**

146-श्री राजेश यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के किन-किन ब्लाकों में चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा किन-किन ब्लाकों में चकबन्दी का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ? क्या सरकार ने प्रस्तावित ब्लाकों में चकबन्दी करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

चकबन्दी का कार्य ब्लाकवार न होकर राजस्व ग्रामवार किया जाता है। जनपद शाहजहांपुर में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या-2336 है, जिनमें प्रथम चक्र के कुल 2281 ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पूर्ण हो चुकी हैं। प्रथम चक्र के 58 ग्रामों में धारा-4(1) के प्रकाशन एवं द्वितीय चक्र के 31 ग्रामों में धारा-4(2) के प्रकाशन के उपरान्त वर्तमान में चकबन्दी क्रियायें गतिमान है।

ब्लाक जैतीपुर में कुल 10 ग्राम, ब्लाक मदनापुर में कुल 05 ग्राम, ब्लाक तिलहर में कुल 01 ग्राम, ब्लाक ददरौला में कुल 04 ग्राम, ब्लाक भावलखेड़ा में कुल 05 ग्राम, ब्लाक कांट में कुल 01 ग्राम, ब्लाक जलालाबाद में कुल 29 ग्राम, ब्लाक कलान में कुल 04 ग्राम, ब्लाक मिर्जापुर में कुल 20 ग्राम, ब्लाक निगोही में कुल 06 ग्राम, ब्लाक खुदागंज में कुल 02 ग्राम, ब्लाक पुवायां में कुल 01 ग्राम, ब्लाक खुदार में कुल 01 ग्राम तथा ब्लाक सिंधौली में तथा ब्लाक बड़ा में प्रत्येक चकबन्दी प्रक्रिया अन्तर्गत नहीं है। नियोजित कार्यक्रम के अनुसार ब्लाक जैतीपुर में कुल 03 ग्राम माह नवम्बर, 2011 में, 01 ग्राम माह जनवरी, 2013 में, 03 ग्राम माह फरवरी, 2014 में, 03 ग्राम मार्च, 2015 में, ब्लाक मदनापुर में 01 ग्राम माह फरवरी, 2013 में, 03 ग्राम माह मार्च, 2013 में, 01 ग्राम माह फरवरी, 2014 में, ब्लाक तिलहर में 01 ग्राम मार्च, 2013 में, ब्लाक ददरौला में 01 ग्राम माह फरवरी, 2012 में, 01 ग्राम माह मार्च, 2012 में, 01 ग्राम माह मार्च, 2013 में तथा 01 ग्राम माह मार्च, 2015 में, ब्लाक भावलखेड़ा में 01 ग्राम जुलाई, 2011 में, 01 ग्राम माह मार्च, 2013 में, 02 ग्राम माह मार्च, 2014 में, 01 ग्राम धारा-6 (1) हेतु, ब्लाक कांट में 01 ग्राम माह मार्च, 2012 में, ब्लाक जलालाबाद में 09 ग्राम माह फरवरी, 2013 में, 09 ग्राम माह मार्च, 2013 में, 03 ग्राम माह जनवरी, 2013 में, 02 ग्राम दिसम्बर, 2012 में, 01 ग्राम दिसम्बर, 2011 में, 03 ग्राम माह मार्च, 2014 में, 02 ग्राम माह फरवरी, 2014 में, ब्लाक कलान में 01 ग्राम माह फरवरी, 2013 में, 01 ग्राम माह

मार्च, 2013 में, 02 ग्राम माह मार्च, 2014 में, ब्लाक मिर्जापुर में 02 ग्राम माह नवम्बर, 2011 में, 01 ग्राम माह जनवरी, 2013 में, 05 ग्राम माह मार्च, 2013 में तथा 12 ग्राम धारा-6 (1) हेतु, ब्लाक निगोही में 01 ग्राम माह जुलाई, 2011 में, 01 ग्राम माह नवम्बर, 2011 में, 01 ग्राम माह मार्च, 2013 में, 01 ग्राम माह जनवरी, 2013 में, 01 ग्राम माह जनवरी, 2014 में, 01 ग्राम धारा-6(1) हेतु, ब्लाक खुदागंज में 01 ग्राम माह मार्च, 2013 में, 01 ग्राम माह मार्च, 2014 में, चकबन्दी करने हेतु समय-सीमा निर्धारित की गयी है तथा ब्लाक पुवायां में 01 ग्राम एवं ब्लाक खुटार में 01 ग्राम मा0 उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश से प्रभावित होने के कारण कार्य रुका हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग**

147-श्री राजेश यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी का जनपदवार विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद शाहजहांपुर के अधिकतर पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों का अभाव है ? यदि हां, तो रिक्त पशु चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी का जनपदवार विवरण संलग्न है*।

जी नहीं। जनपद शाहजहांपुर में पशुचिकित्साधिकारियों के सृजित 23 पदों के सापेक्ष 19 पदों पर पशुचिकित्साधिकारी कार्यरत हैं और केवल 04 पद वर्तमान में रिक्त हैं। विभाग में पशुचिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त हुई है, जिनकी नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन अभ्यर्थियों की पशुचिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति/तैनाती के समय प्रदेश के अन्य जनपदों की रिक्तियों को देखते हुए जनपद शाहजहांपुर में भी रिक्त पदों पर तैनात किये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद उन्नाव के बैंक आफ इण्डिया, शाखा पुरवा के कृषकों को कृषि ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड आदि जारी करने की जानकारी**

148-श्री लाल जी यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पैदा होने वाली फसल पर उपलब्ध कराने की नीति है ? यदि हां, तो जनपद उन्नाव, तहसील पुरवा की बैंक आफ इण्डिया में कितने ऐसे कृषकों के मामले हैं जिनके आवेदन के 5-5 माह बाद भी किसानों को कृषि ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत/जारी नहीं किये गये हैं ? क्या श्री महेन्द्र सिंह राजपूत, स0वि0स0 का एतद्विषयक-पत्र सं0-क-3-362878, दिनांक 19 मई, 2011 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित कृषकों को शासकीय नीति के अनुसार कृषि ऋण कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* (देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 186-190 पर)

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

व्यवसायिक एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को कृषि ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है जो कि भारत सरकार की नीति से आच्छादित है। प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के समस्त ग्रामों के कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करने की योजना कृषि विभाग के माध्यम से वर्ष 2011-2012 में चलायी जा रही है जिससे प्रदेश सरकार के कार्मिक कृषकों से किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन-पत्र पूर्ण कराकर सम्बन्धित सर्विस एरिया की बैंक में जमा कराने का कार्य करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से जारी होने वाले कृषि ऋण का उपयोग कृषक द्वारा पैदा होने वाली फसलों पर किया जाता है।

बैंक आफ इण्डिया, शाखा-पुरवा, जनपद उन्नाव में 05 माह से पूर्व प्राप्त कृषि ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड का कोई भी आवेदन-पत्र लम्बित नहीं है। सभी पात्र कृषकों को कृषि ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत/जारी कर दिये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड बुलन्दशहर व अगौता में पिछड़े वर्ग की लड़कियों के विवाह हेतु दिये गये अनुदान का विवरण**

149-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड बुलन्दशहर व अगौता में पिछड़े वर्ग की लड़कियों के विवाह में अनुदान दिये जाने हेतु वर्ष 2009-10 व 2010-11 एवं 2011-12 में कितने लोगों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने आवेदकों को अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड बुलन्दशहर व अगौता में पिछड़े वर्ग की लड़कियों के विवाह में अनुदान दिये जाने हेतु वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्त आवेदन-पत्र तथा धन की उपलब्धता के आधार पर आवेदकों को दिये गये अनुदान का विवरण निम्नवत् है :-

| विकास खण्ड का नाम | वित्तीय वर्ष | वर्ष में कुल प्राप्त आवेदन-पत्र | अपात्र आवेदन-पत्र | चयनित एवं अनुदानित आवेदन-पत्र | पर्याप्त धनराशि प्राप्त न होने के कारण लम्बित/निरस्त आवेदन-पत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| बुलन्दशहर | 2009-10 | 109 | 32 | 39 | 38 |
| | 2010-11 | 153 | 30 | 88 | 35 |
| | 2011-12 | 42 | 07 | 35 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| अगौता | 2009-10 | 48 | 10 | 20 | 18 |
| | 2010-11 | 49 | 11 | 20 | 18 |
| | 2011-12 | 09 | 01 | 08 | 0 |

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सभी लम्बित आवेदन-पत्र नियमावली की व्यवस्था के तहत निरस्त माने जाते हैं।

**प्रदेश के समस्त खातेदार/सहखातेदार कृषकों हेतु लागू जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना**

150-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के किसानों की कृषि कार्य करते समय अचानक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को जीवन-यापन हेतु पूर्व की भांति न्यूनतम अनुदान की धनराशि रु0 1 लाख देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्तमान में प्रदेश के समस्त खातेदार/सहखातेदार कृषक (जिसमें जनपद बुलन्दशहर के कृषक भी आच्छादित है) जिनकी आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष है, के लिए जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू है।

उक्त योजना से आच्छादित बीमा धारक की मृत्यु आग, बाढ़, बिजली गिरने, करेन्ट लगने, सांप काटने एवं जीव जन्तु काटने/मारने, नदी, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने, मकान गिरने, वाहन दुर्घटना, डकैती, दंगा, मारपीट तथा आतंकवादी घटना आदि अप्राकृतिक कारणों से होने पर उनके आश्रितों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर में दूध की मांग एवं आपूर्ति में अन्तर के सम्बन्ध में जानकारी**

151-श्री राजेश यादव-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में दूध की मांग एवं आपूर्ति में कितना अन्तर है ? क्या अन्तर को समाप्त करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद शाहजहांपुर में दूध की मांग 137688 किलोग्राम प्रतिदिन है जबकि दुग्ध आपूर्ति 315165 किलोग्राम प्रतिदिन है। जनपद शाहजहांपुर में दूध की मांग एवं आपूर्ति के अन्तर में आपूर्ति मांग से 177477 किलोग्राम प्रतिदिन अधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखीमपुर खीरी की जिला कारागार में राजनैतिक बन्दियों को खराब खाना दिये जाने की जानकारी**

152-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की जिला कारागार में दिनांक 7-3-11 से दिनांक 9-3-11 तक निर्दोष सामाजिक कार्यकर्ताओं को बन्द किया गया था ? क्या यह सही है कि दिनांक 7-3-11 के बन्दियों को रात्रि 11 बजे कच्ची तहरी जिसमें बदबू आ रही थी, खिलायी गयी थी तथा दिनांक 8-3-11 के बन्दियों को रात्रि 11 बजे पूड़ी सब्जी खिलाई गई जिसमें पूड़ी में खटास थी जो कि खराब आटा की बनाई गई थी एवं दिनांक 9-3-11 के बन्दियों को रात्रि में भोजन ही नहीं दिया गया ? यदि हां, तो राजनैतिक बन्दियों को इस प्रकार भूखा प्यासा एवं खराब खाना खिलाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

153-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**प्रदेश में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में आवंटित धनराशि की जानकारी**

154-श्री कुबेर सिंह-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-2011 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? क्या उक्त धनराशि को स्वीकृत मदों पर ही व्यय किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

प्रदेश में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में सरकार द्वारा रु0 1245.95 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद एटा के किसानों को आलू के बीज उपलब्ध कराने की मांग**

155-श्री कुबेर सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में 2010-11 में आलू किसानों को प्रमाणीकृत बीज मानक के अनुरूप उपलब्ध कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जी हां।

जनपद एटा में वर्ष 2010-11 में 400.00 कुन्टल आलू बीज की मांग के सापेक्ष 368.00 कुन्टल प्रमाणीकृत आलू बीज कृषकों को उपलब्ध कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद एटा के कलेक्ट्रेट में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग**

156-श्री कुबेर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के कलेक्ट्रेट में वर्तमान में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने-कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

कलेक्ट्रेट एटा के नियमित अधिष्ठान में लिपिक वर्ग के स्वीकृत 92 पदों के सापेक्ष 06 पद रिक्त हैं तथा नजारत अधिष्ठान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल स्वीकृत 122 पदों के सापेक्ष 09 पद रिक्त हैं।

लिपिक वर्ग के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जिलाधिकारी स्तर पर विचाराधीन है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2052/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8-9-2010 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद एटा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की मांग**

157-श्री कुबेर सिंह-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी नहीं।

जनपद एटा में खेल विभाग द्वारा एक स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल, जिम्नेजियम हाल टेनिस कोर्ट एवं बास्केटबाल कोर्ट का निर्माण पूर्व में ही कराया जा चुका है तथा विभागीय प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है जिसमें जनपद के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल का अवसर प्राप्त हो रहा है।

**जनपद एटा में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू करने की मांग**

158-श्री कुबेर सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषक फसल बीमा योजना प्रदेश के किन-किन जिलों में लागू है ? क्या सरकार उक्त योजना को जनपद एटा में भी लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

कृषक फसल बीमा योजना नाम से प्रदेश में फसल बीमा योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही हैं अपितु वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है।

प्रदेश के जनपद बुलन्दशहर, पीलीभीत, बिजनौर एवं ज्योतिबाफुले नगर को छोड़कर प्रदेश के अवशेष सभी 68 जनपदों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जनपद बुलन्दशहर, पीलीभीत, बिजनौर एवं ज्योतिबाफुलेनगर में पायलेट आधार पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं जनपद बागपत, औरैया एवं मैनपुरी में पायलट आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू है।

जनपद एटा में वर्तमान खरीफ में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू है, जिसमें फसल धान, मक्का, बाजरा, अरहर व मूंग को न्याय पंचायत स्तर पर फसल गन्ना को विकास खण्ड स्तर पर अधिसूचित किया गया है। उक्त फसलों को उन सभी क्षेत्रों (न्याय पंचायत/विकास खण्ड जो लागू हो) में अधिसूचित किया गया है जहां इन फसलों के अन्तर्गत पर्याप्त क्षेत्रफल उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

**केन्द्रीय राहत फण्ड सी0आर0एफ0 की गाइड लाइन**

159-श्री कुबेर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय राहत फण्ड (सी0आर0एफ0) की गाइड लाइन क्या है ? क्या उसके सापेक्ष दैवीय आपदाओं से पीड़ितों को राहत प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

दैवीय आपदा निधि (सी0आर0एफ0) गाइड लाइन्स प्राकृतिक/दैवी आपदाओं (बाढ़/सूखा/अग्निकाण्ड/भू-कम्प/भू-स्खलन/शीतलहरी/लू-प्रकोप/ओलावृष्टि/अतिवृष्टि/आकाशीय विद्युत प्रभाव/बादल का फटना/हिम स्खलन/कीट आक्रमण इत्यादि) से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश हैं। सी0आर0एफ0 गाइडलाइन्स भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी है जिसकी प्रति मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे अवलोकित किया जा सकता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग**

160-श्री कुबेर सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त पशु चिकित्सालय खोले जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में पूर्व से ही पशु चिकित्सालय क्रियाशील है।

**आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं तथा सुपरवाइजरों के मानदेय में वृद्धि की मांग**

161-श्री कुबेर सिंह-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी में 30 प्रतिशत तक की गयी वृद्धि के अनुरूप क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं तथा सुपरवाइजरों के मानदेय में वृद्धि करने तथा कार्य को गति प्रदान करने हेतु अतिरिक्त सुपरवाइजरों की नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि कर दी गयी है। मुख्य सेविकाओं की सेवायें मानदेय आधारित नहीं है।

भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही निर्धारित मानक के अनुरूप सुपरवाइजर (मुख्य सेविका) के पद स्वीकृत किये जा चुके हैं, अतः संस्तुति किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

**कारागार विभाग लखनऊ मण्डल के बन्दीरक्षक संवर्ग के कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने की मांग**

162-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार विभाग के लखनऊ मण्डल में 26 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा होने पर बन्दी रक्षकों को समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु दिनांक 4 मई, 2010 को कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन बन्दी रक्षकों को उक्त लाभ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। समस्त राज्य कार्मिकों हेतु सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा की गयी है।

लखनऊ मण्डल के बंदीरक्षक संवर्ग के 176 कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया गया है, जिनकी सूची संलग्न* है।

प्रश्न नहीं उठता।

**कारागार विभाग में प्रधान बन्दी रक्षकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति करने की मांग**

163-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार विभाग में प्रधान बन्दी रक्षकों के रिक्त पदों पर पात्र बन्दी रक्षकों को पदोन्नत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

---

* (देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 191-196 पर।)

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-4030/2011 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम प्रेम कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के कारण पदोन्नति की कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है।

**जनपद गोण्डा की तहसील कर्नलगंज के ग्राम परसपुर गाटा सं0-991-011 से अतिक्रमण हटाये जाने की मांग**

164-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परसपुर, तह0 कर्नलगंज, जिला गोण्डा के गाटा संख्या-991-011 डिसमिल बंजर भूमि पर गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अतिक्रमण को हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

भू-खण्ड संख्या-991मि0/0.03 डि0 पर बद्री प्रसाद पुत्र भगीरथ, निवासी ग्राम परसपुर का पक्का चौपाल बना हुआ है। प्रश्नगत वाद न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0) के यहां वाद संख्या-सा0 वाद-1147/2011 बद्री प्रसाद मिश्र बनाम चन्द्र दिवाकर आदि लम्बित हैं। इस सम्बन्ध में न्यायिक प्रक्रिया में पारित आदेश के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

**जनपद एटा के ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं के लिए अत्याधुनिक स्टेडियम बनवाने की मांग**

165-श्री कुबेर सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में बन्द कताई मिलों के श्रमिकों/कर्मचारियों के बकाये वेतन भत्ते आदि के भुगतान की जानकारी**

166-श्री कुबेर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी कताई मिले हैं, उनमें से कितनी मिलें वर्तमान समय में बन्द हैं तथा कितनी कताई मिलें संचालित हैं ? क्या यह सही है कि उक्त मिलों के श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बन्द कताई मिलों को पुनः संचालित करने एवं उसमें तैनात श्रमिकों/कर्मचारियों को वेतन भत्ते आदि का भुगतान कराये जाने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्तमान में प्रदेश में कुल 21 कताई मिलें हैं। जिनमें निगम समूह के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की 10 कताई मिलें तथा सहकारी क्षेत्र की 11 कताई मिलें हैं।

वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र की 07 मिलें बन्द हैं तथा 03 मिलें संचालित हैं। सहकारी क्षेत्र की 06 मिलें विधिक रूप से बन्द हैं, 05 मिलें जॉबवर्क पर संचालित थीं, परन्तु श्रमिकों द्वारा वी0आर0एस0 ले लेने के कारण बन्द हैं।

उक्त सभी मिलों के श्रमिकों/कर्मचारियों को बी0आर0एस0 का भुगतान कर दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की 10 बन्द कताई मिलों के पुनर्वासन का प्रकरण मा0 बी0आई0एफ0आर0 को संदर्भित है। सहकारी क्षेत्र की 11 मिलें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट रिसीवर के कब्जे में हैं। जिनके परिसमापन की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त मिलों के श्रमिकों/कर्मचारियों के बकाये वेतन भत्ते आदि का भुगतान परिसम्पत्तियों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि से होना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद एटा के ब्लाकों में चकबन्दी कराने हेतु निर्धारित समय-सीमा**

167-श्री कुबेर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के किन-किन ब्लाकों में चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा किन-किन ब्लाकों में अभी प्रस्तावित है ? क्या सरकार द्वारा पुनः चकबन्दी कराने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद एटा के समस्त ब्लाकों में जिन ग्रामों को धारा-4(2) के अन्तर्गत गजट किया गया था, उनकी चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्तमान में ब्लाक शीतलपुर में एक, सकीट में दो, निधौलीकलां में एक, जलेसर में तीन तथा जैथरा ब्लाक में एक ग्राम, कुल 8 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रचलित है।

कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

168-श्री कुबेर सिंह-

[दिनांक 08-08-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या-184 द्वारा उत्तरित]

**नवसृजित जनपद कांशीरामनगर में जिला कारागार निर्मित कराने की मांग**

169-श्री कुबेर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के जिला कारागार में क्षमता से अधिक कैदी रखे गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नयी कारागार बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

जिला कारागार एटा में कुल बन्दी क्षमता 607 के सापेक्ष वर्तमान में 889 बन्दी निरुद्ध हैं, जिनमें 478 बन्दी नवसृजित जनपद कांशीरामनगर के हैं। नवसृजित जनपद कांशीरामनगर में जिला कारागार निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण पूर्ण होने पर जिला कारागार एटा की ओवर क्राउडिंग समाप्त हो जायेगी।

**जनपद आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर, ग्राम अतरौलिया के श्री हरिश्चन्द्र पुत्र रामसमुझ की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने का कथित प्रकरण**

170-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विधायक श्री रमापति उर्फ रमाकान्त, हाटा, कुशीनगर का पत्र दिनांक 13-7-2010 जो श्री हरिश्चन्द्र पुत्र रामसमुझ नि0 साकिन, अतरौलिया जनपद-आजमगढ़ की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री हरिश्चन्द्र की जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। ग्राम अतरौलिया, परगना अतरौलिया, तह0 बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ में हरिश्चन्द्र पुत्र रामसमुझ नाम का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। हरिश्चन्द्र पुत्र रामसमुझ के नाम अभिलेख में कोई भूमि अंकित नहीं है।

**जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में तहसील भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग**

171-श्री राजेश यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में तहसील भवन खण्डहर हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तहसील भवन का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत तहसील भवन की मरम्मत के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 में रु0 9.74 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 में रु0 1.50 लाख कुल रु0 11.24 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त आवंटित धनराशि से तहसील भवन का मरम्मत कार्य कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदारों के न्यायालय, संग्रह कार्यालय, राजस्व निरीक्षक, तिलहर का कार्यालय तथा उप जिलाधिकारी के कार्यालय तथा कम्प्यूटर कक्ष का नया निर्माण हुआ है। भवन में सभी कार्यालय ठीक प्रकार से सुविधाजनक रूप से संचालित हो रहे हैं। ऐसी दशा में तहसील भवन में किसी प्रकार के पुनर्निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है।

**जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम गोदल पट्टी में कबीरगढ़ी के नाम से भूमि दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी**

172-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम गोदल पट्टी में कबीरगढ़ी के नाम से कितनी भूमि दर्ज है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त भूमि को ग्राम सभा की भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक कठिनाई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे ग्राम सभा की भूमि घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम गोदलपट्टी में कबीरगढ़ के नाम से कोई भूमि दर्ज नहीं है अपितु कबीर जू0हाई0 स्कूल कबीरगढ़ी गोदलपट्टी के नाम 1.012 हे0 व गुरुबचन दास चेला धरमदास नि0 कबीरगढ़ी गोदलपट्टी के नाम 8.341 हे0 भूमि अभिलेखों में श्रेणी-1क संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की श्रेणी मे जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 से ही दर्ज है।

जी हां।

उक्त भूमि जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 से ही संक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी में अंकित है। अतएव इसे ग्राम सभा की भूमि घोषित किया जाना औचित्यपूर्ण एवं विधिसम्मत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, मंगरौरा, आसपुर, देवसरा, बाबा बेलखरनाथ धाम में ग्राम समाज की भूमि का राजकीय संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रयोग**

173-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, मंगरौरा, आसपुर, देवसरा, बाबा बेलखरनाथ धाम की किन-किन ग्राम सभाओं में एक एकड़ व उससे अधिक भूमि (रिजर्व लैंड को छोड़कर) उपलब्ध है ? प्रत्येक भूमि का गाटा संख्या, रकबा एवं भूमि का प्रकार क्या है ? क्या ग्राम सभा की भूमि राजकीय संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रयोग में लायी जा सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के अन्तर्गत ब्लाक पट्टी की ग्राम सभा बीबीपुर बारडीह में ग्रामसभा नवीन परती की गाटा सं0-925मि0/0.688 हे0, 1958 मि0/0.444 हे0, 90/0.467 हे0 व ऊसर खाते के गाटा सं0-1926मि0/0.449 हे0 तथा विकास खण्ड मंगरौरा की ग्राम सभा कटारी में ग्राम सभा की भूमि नवीन परती गाटा सं0-360मि0/0.408 हे0, 694/0.574 हे0, 693/0.408 हे0, भूमि (रिजर्व लैण्ड को छोड़कर) उपलब्ध है। ब्लाक आसपुर देवसरा व बाबा बेलखरनाथ धाम में एक एकड़ व उससे अधिक की ग्राम सभा की कोई भूमि मौके पर खाली नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ग्राम सभाओं में एक एकड़ व उससे अधिक जो भूमि अभिलेखों में अंकित है उनमें मौके पर वृक्ष, बाग व आबादी बनी हुई है।

नियमानुसार ग्राम सभा की खाली भूमि राजकीय संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रयोग में लायी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के थाना निगोही के श्री प्रह्लाद नरायण पुत्र लोकराम की भूमि से अवैध कब्जा हटाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

174-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रहलाद नरायण पुत्र लोकराम, निवासी सतवां खुर्द, थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम0-/239940/2011, दिनांक 21-4-2011 द्वारा यथोचित कार्यवाही किये जाने विषयक आदेश प्रमुख सचिव/सचिव राजस्व एवं आपदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। प्रश्नगत प्रकरण की जांच करने पर विदित हुआ है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् इलाहाबाद में निगरानी संख्या-6768/88-89 मेवाराम बनाम प्रहलाद नरायन विचाराधीन है। वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

**जनपद शाहाजहांपुर की तहसील जलालाबाद, ग्राम संगहा में स्वर्गीय श्री रामेश्वर पुत्र बल्देव कहार की लावारिस भूमि को ग्राम समाज के नाम दर्ज करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही**

175-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम संगहा, तहसील-जलालाबाद, शाहजहांपुर में श्री रामेश्वर पुत्र बल्देव कहार, जिनकी मृत्यु 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है, की लावारिस भूमि रकबा 8 बीघा को ग्राम समाज के नाम दर्ज किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0-/239431/2011, दिनांक 8-4-2011 प्रमुख सचिव/सचिव राजस्व एवं आपदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रश्नगत भूमि को उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 की धारा-189(क) सपठित उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 की धारा-194 एवं उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम-172 के अन्तर्गत कार्यवाही कर भूमि को राज्य सरकार में निहित करते हुए उप जिलाधिकारी जलालाबाद के न्यायालय के आदेश दिनांक 18-7-2011 द्वारा राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रबन्धक समिति संगहा को कब्जे में दिया गया।

**जनपद शाहजहांपुर के श्री विकास सिंह पुत्र स्व0 सूरजपाल सिंह, निवासी रेलवे कालोनी रौजा को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन करने की जानकारी**

176-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विकास सिंह पुत्र स्व0 सूरजपाल सिंह, निवासी क्वार्टर नं0 जी-27बी/ए, रेलवे कालोनी रौजा, शाहजहांपुर को मृतक आश्रित के रूप में कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में सेवायोजित किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आपके पत्र संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम0-/239427/2011, दिनांक 8-4-2011 द्वारा यथोचित कार्यवाही किये जाने का दिया गया आदेश प्रमुख सचिव/सचिव राजस्व एवं आपदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? कि यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु श्री विकास सिंह द्वारा लगभग 24 वर्ष बाद दिनांक 19-10-2007 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण कालबाधित होने के कारण उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार श्री विकास सिंह को मृतक आश्रित का लाभ अनुमन्य किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**बाल विकास परियोजना शाहजहांपुर के सुपरवाइजर श्रीमती शान्ती भण्डारी, माधुरी पाण्डेय तथा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का आर्थिक शोषण किये जाने विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही**

177-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना शाहजहांपुर में सुपरवाइजर श्रीमती शान्ती भण्डारी, माधुरी पाण्डेय तथा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का आर्थिक शोषण किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/239423/2011, दिनांक 8-4-2011 द्वारा जांच कराकर यथोचित कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रमुख सचिव/सचिव महिला कल्याण बाल विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रकरण की जांच निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा करायी गयी। जांच में सुपरवाइजरों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का आर्थिक शोषण किया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया। जांच के दौरान प्रकाश में आये अन्य अनियमितताओं के प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये जाने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका तथा लिपिक का स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम सभा मदाफरपुर में रिजर्व लैण्ड की भूमि से अवैध कब्जा धारकों को हटाये जाने की जानकारी**

178-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम सभा मदाफरपुर में रिजर्व लैण्ड के किन-किन भूखण्डों पर किन लोगों द्वारा कब्जा करके स्थायी निर्माण करा लिया गया है ? क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम सभा मदाफरपुर में रिजर्व लैण्ड की गाटा संख्या-445 मुर्दामवेशी पर राम लखन रामपाल पुत्रगण रामनाथ व रामअधार पुत्र भवानी प्रसाद तथा 171 खलिहान, 172 खाद का गड्ढा, 173 चकमार्ग पर जगदीश प्रसाद, कमलापति, इन्द्रजीत पुत्रगण प्रताप नरायन निवासी उपरोक्त ग्राम के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और इन्हीं भूखण्डों पर इनके द्वारा पक्का मकान/स्थायी निर्माण किया गया है।

उपरोक्त अवैध कब्जा धारकों के विरुद्ध ज0वि0 अधि0 की धारा-122बी के अन्तर्गत बेदखली का वाद तहसीलदार पट्टी के न्यायालय में वाद योजित किया गया है जिसमें तहसीलदार न्यायिक पट्टी के आदेश दिनांक 08-09-2009 को गाटा सं0-445मि0 के अवैध कब्जे के सम्बन्ध में राम लखन रामपाल पुत्रगण रामनाथ व रामअधार पुत्र भवानी प्रसाद को बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति क्रमशः मु0 12000 रु0, 4,000 रु0 एवं निष्पादन शुल्क 10 रुपये पारित किया जा चुका है। जिसमें 49ग जारी की गयी है। वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

**एजेन्सियों से भी निर्धारित अवधि में मण्डी शुल्क न जमा करने पर विलम्ब शुल्क लेने की मांग**

179-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी धान क्रय एजेन्सियों/राइस मिल मालिकों एवं सरकारी क्रय एजेन्सियों द्वारा देय मण्डी शुल्क निर्धारित अवधि 15 दिन के अन्दर जमा करने में भेद-भाव किया जाता है ? यदि हां, तो क्या मिल मालिकों/फर्मों की तरह सरकारी क्रय एजेन्सियों से भी निर्धारित अवधि पन्द्रह दिन में मण्डी शुल्क न जमा करने पर विलम्ब शुल्क लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मिल मालिकों/फर्मों की तरह सरकारी क्रय एजेन्सियों से भी निर्धारित अवधि पन्द्रह दिन में मण्डी शुल्क न जमा करने पर समान रूप से विलम्ब शुल्क लिये जाने की व्यवस्था है।

180-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**प्रदेश में समस्त पी0आर0डी0 के जवानों का पारिश्रमिक बढ़ाये जाने की मांग**

181-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समस्त पी0आर0डी0 के जवानों को बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुये पारिश्रमिक को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री वेद राम भाटी)-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**भारत सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को उत्तर प्रदेश में संचालित एवं क्रियान्वयन प्रारम्भ किये जाने की मांग**

182-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना उत्तर प्रदेश में संचालित है ? यदि हां, तो उक्त योजना को केन्द्र सरकार की मंजूरी कब दी गयी थी ? क्या सरकार इस योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि राज्य में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये एक दशक से भी अधिक समय से डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना चलाई जा रही है तथा उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अतः प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि को बिना शर्त राज्य सरकार की योजना डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के निमित्त स्थानान्तरित कर दिया जाय। साथ ही प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना में निर्धारित धनराशि कम होने के कारण भारत सरकार से योजना के वर्तमान स्वरूप पर पुनर्विचार किये जाने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।

**जनपद मैनपुरी के लोहिया पार्क के रख-रखाव हेतु व्यवस्था की मांग**

183-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के लोहिया पार्क की स्थिति बहुत खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके रख-रखाव हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जनपद मैनपुरी में राजकीय पौधशाला कम्पनी बाग को अलंकृत बाग के रूप में विकसित किये जाने हेतु वर्ष 2005-06 में कार्यदायी संस्था (उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 मैनपुरी इकाई) को रु0 3.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कराकर अभी तक उद्यान विभाग को उपरोक्त पार्क, हस्तांतरित नहीं किया गया है।

कार्यदायी संस्था द्वारा हस्तान्तरण के उपरान्त उद्यान विभाग द्वारा इसके रख-रखाव की व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद हेतु अर्जित की गई जमीनों में हेराफेरी प्रकरण की जांच**

184-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद हेतु अर्जित की गई जमीनों का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 03-03-2004 को तहसीलदार सोरांव को पत्र भेजा गया था ? क्या अर्जित गाटों में गाटा संख्या-989 के स्थान पर 989 क, भेजकर अभिलेखों में हेराफेरी की गई थी ? यदि हां, तो विशेष भूमि अधिकारी द्वारा अभिलेखों में की गई कूट रचना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण की जांच आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद से कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

**जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र, जलेसर के शनि देव मन्दिर/बड़े मियां की मजार के चढ़ावे हेतु प्रशासक नियुक्त कर उक्त धन को सरकारी कोष में जमा करने की मांग**

185-श्री कुबेर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र, जलेसर के शनि देव मन्दिर/बड़े मियां की मजार के चढ़ावे हेतु प्रशासक नियुक्त कर सरकारी कोष में उक्त धन को जमा कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-2-2011 के सम्बन्ध में जिला अधिकारी एटा का पत्रांक-1014/न्याय सहायक, दिनांक 18 फरवरी, 2011 उप सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जिलाधिकारी, एटा के पत्र दिनांक 18-02-2011 के साथ संलग्न तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी जलेसर की संयुक्त आख्या दिनांक 17-02-2011, में उल्लिखित अंश ''अत्यधिक भीड़ एकत्रित होने के कारण कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल भी तैनात किया जाता है'' एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा की आख्या में उल्लिखित अंश कस्बा जलेसर स्थित शनि देव मन्दिर/बड़े मियां की मजार के चढ़ावे के धन को लेकर पूर्व में स्थानीय गुटों में संघर्ष होने अथवा वर्तमान में कोई

विवाद की स्थिति परिलक्षित नहीं हुयी हैं, के तथ्यों को ध्यानान्तर्गत रखते हुये ''भारतीय संविधान के अनुच्छेद-26 एवं 300 ए के अन्तर्गत प्रत्येक धार्मिक संस्था को प्रदत अधिकारों में शासन द्वारा प्रशासक नियुक्त कर सरकारी कोष में उक्त धन को जमा कराने सम्बन्धी हस्तक्षेप नियमतः नहीं किया जा सकता।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुयी)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे)

**श्री इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा के निलम्बन प्रस्ताव को वापस लिये जाने तथा पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से उनके आचरण के लिये माफी मंगवाये जाने का अनुरोध (क्रमागत)**

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन आपके द्वारा ही उठाया गया था, हम समझते हैं कि आप उस समस्या का समाधान लेकर आएं होंगे। मा0 अध्यक्ष जी सदन जिस मामले को लेकर आपने उठाया था, हम याचना करते हैं कि आप उस समस्या का कोई समाधान लेकर आए होंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 आजम खां साहब, हमने इसी सदन में, उस समस्या को जिसको लेकर के सदन अव्यवस्थित हुआ है, उसके लिए मैंने एक व्यवस्था का निवेदन किया था। अब उसके बाद आपने कहा कि नहीं मा0 मंत्री जी माफी मांगे, मंत्री जी ने कहा कि मैं माफी नहीं मागूंगा। मैंने उसके बाद अनुरोध किया कि मा0 नेता प्रतिपक्ष जी आप अपने इस पद की गरिमा का बड़प्पन दिखाते हुए इस मसले का पटाक्षेप करा दें। इस अनुरोध के बाद भी कुछ नहीं हुआ, सदन में व्यवधान आया, मैंने सदन को स्थगित किया और आज भी मा0 नेता प्रतिपक्ष जी आप अपने इस पद की गरिमा का बड़प्पन दिखाते हुए इस मसले का पटाक्षेप करा दें। इस अनुरोध के बाद भी कुछ नहीं हुआ, सदन में व्यवधान आया, मैंने सदन को स्थगित किया और आज भी मा0 नेता आजम खां जी मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं कि हाउस चले, इसमें सभी सहयोग भी करें। सभी दलों के नेताओं ने अपने विचारों को रखा मा0 नेता प्रमोद तिवारी जी ने हाथ भी जोड़े पूरे सदन से कि सदन को चलाया जाए, मैं तो एक बार अनुरोध कर चुका हूं, और भरोसा भी रखा था कि मा0 नेता प्रतिपक्ष जी इस विषय का पटाक्षेप कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब थोड़े शब्द बदल गए हैं, अध्यक्ष जी आपके आने पर उस वक्त तो आपने फरमाया था कि क्षमा कर दें और अब पटाक्षेप कितना डायलूट होता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

उस पर आपने भी कहा कि यह कह दें नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इससे अच्छा होता कि आप कोई बीच का रास्ता निकालते, क्षमा और पटाक्षेप के बीच का कोई रास्ता होता तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष-

बीच का रास्ता क्या है ? आप ही कोई बीच का रास्ता बता दीजिए। सदन में कभी-कभी अध्यक्ष पीठ से मा0 सदस्य की, वरिष्ठ नेता की राय ली जाती है। हम नहीं कहते हैं कि हम ही वरिष्ठ हैं, आपको भी एक लम्बा अनुभव है, आप ही बीच का रास्ता निकाले, आपके माध्यम पर ही मैं इस प्रकरण को छोड़ दें रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने तो कहा था लेकिन यह प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

इसे प्रतिष्ठा नहीं बनाइये, नेता जी आप सदन के वरिष्ठ सदस्य है। यहां प्रतिष्ठा कहीं नहीं बनाई जा रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी यह बात सही है, लेकिन आप इस सदन की प्रतिष्ठा बचाइये। यही तो हम चाहते हैं, मान्यवर। सदन की प्रतिष्ठा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे ही आपका वाक्य खत्म हुआ, वैसे ही उधर से मंत्री जी उठकर खड़े हुए और उन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया कि न कल और न आज और मान्यवर, आपने कल जो मंशा उनकी बताई थी, उन्होंने कहा कि वह मंशा मेरी नहीं थी, आपकी बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है, आपकी बात को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। आपकी बात पूरी तरह से खारिज होने से प्रतिष्ठा जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हमारी बात खारिज नहीं की थी, मा0 मंत्री जी का अपना निर्णय है।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप इसको दिखवा लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

हमने यह नहीं कहा था कि मा0 मंत्री जी आप क्षमा मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की है, मैं क्षमा नहीं मागूंगा। हमने कहा होता कि आप क्षमा मांगिए, और तब वह कहते कि मैं क्षमा नहीं मांगूगा तब अलग बात होती। मैंने तो नेता प्रतिपक्ष से ही यह अनुरोध किया था कि आप ही इनको क्षमा कर दें और मामले का पटक्षेप कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जो आपने कहा, जो उन्होंने कहा और जो मैंने निवेदित किया, ये सारी चीजें हैं। आप जरा इनको देख लें। आपको ध्यान होगा मेरा यह कहना है कि आपने यह कहा कि वे भावुक हो गए तब उन्होंने ऐसे शब्द कह दिए, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी यही कहा और आपके कहते ही मा0 मंत्री जी ने कहा कि न कल कहा न आज कहूंगा और कभी भी नहीं कहूंगा, आपकी बात को उन्होंने खारिज कर दिया। मान्यवर, आप जैसी भावना, उनकी समझ रहे थे, उस

कारण से उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, मान्यवर, वह अपराध का बोध था, जो उनके विरुद्ध सी0जे0एम0 में मुकदमा चलाया है, हत्या का उसके कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए थे।

श्री अध्यक्ष-

अब यह दूसरी बात आप बोल रहे है, यह फिलॉसफी आपकी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण जेल काटना पड़ेगा, उस जेल के डर से आंसू उनकी आंख में थे।

श्री अध्यक्ष-

यह फिलॉसफी आपकी अलग है।

श्री अम्बिका चौधरी-

पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में नहीं थे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह उचित नहीं है और आपने इन्हें अनुमति नहीं दी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमको उन्होंने कल गाली दी थी, उसका पश्चाताप उनसे नहीं हुआ, आपने गलत समझा। उनको पश्चाताप नहीं है, उसका जो उन्होंने किया।

श्री अध्यक्ष-

इतने अंतरआत्मा के ज्ञाता आप हो गए है, चौधरी जी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी इसके आंसू नहीं थे उनको, उनको इसका पश्चाताप नहीं है जो उन्होंने किया आपने गलत समझा मान्यवर, आपने उसको सही नहीं समझा है।

श्री अध्यक्ष-

आप कह रहे हैं कि इसलिए आंसू आए। एक सदस्य भावुक होकर इस तरह की भावना रख रहे है।

(श्री अम्बिका चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री श्री लालजी वर्मा एवं श्री अध्यक्ष के एक साथ अपनी-अपनी बात रखने पर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जिस पर कत्ल का मुकदमा चल जायेगा और बेचारा निर्दोष होगा तो आंसू तो आ ही जायेंगें।

श्री अध्यक्ष-

एक सदस्य भावुक होकर के इस तरह की भावना रख रहे है और आप उसको डायवर्ट कर रहे हैं कि वह अपराधों का प्रायश्चित कर रहे थे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस गवर्नमेण्ट में, बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेण्ट में तफ्तीश का मुकदमा, हत्या का मुकदमा चल जाय, वह रोये नहीं तो क्या करे। मान्यवर, इस प्रदेश में फर्जी मुकदमों से बहुत लोग रोये हैं। मुकदमा चल गया हत्या का।

श्री अध्यक्ष-

आप सदन को चलाना ही नहीं चाहते हैं, आप परिवर्तित कर रहे हैं, जिस भावना से उन्होंने कहा, आप उसको परिवर्तित कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सी0जे0एम0 एटा ने आदेश कर दिया और आप जानते हैं कितने जालिम लोगों की सरकार है, अपने लोगों को भी कलम आसानी से कर देते हैं। हो सकता है, इन पर नजर हो, अगला नम्बर इनका हो। इस सरकार में बैठे लोग अपने को सुरक्षित न समझें। फर्जी मुकदमा करने के मामलें में नम्बर वन और उनको सजा देने के मामले में नम्बर वन।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, कौन सुरक्षित है कौन सुरक्षित नहीं है, अब इसकी गारण्टी तो मा0 चौधरी साहब नहीं ले पायेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हम तो एफ0आई0आर नहीं दर्ज कराये, हम उसके गवाह नहीं है, हमने सिर्फ यह कहा है कि उन पर मान्यवर, सी0जे0एम0 ने मुकदमा चलाये जाने के आदेश कर के विवेचना करने का आदेश किया और इस सरकार ने अपने तमाम मंत्रियों को जो खास जाति के नहीं थे, उनको मान्यवर कलम करने का काम किया है, हो सकता है मान्यवर, उनका नम्बर हो, उस डर से उनकी आंखों में आंसू हों। मान्यवर, आंख में आंसू उन कारणों से था आपने समझा यह पश्चाताप के आंसू है। आपकी भावना मान्यवर ठीक है, लेकिन उनकी भावना ठीक नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, कौन सुरक्षित है, कौन नहीं है, अब इसकी गारण्टी तो चौधरी साहब नहीं ले पायेंगे, अगर इतने सर्वशक्तिमान हैं, तो यह तो अमर हो गये। सुरक्षा की यह कोई गारण्टी नहीं ले पाता है कि कौन कितना सुरक्षित है और कितना असुरक्षित है ? यह सर्वशक्तिमान नहीं है।

मान्यवर, आपकी बातों की बार-बार अवहेलना की जा रही है, आपने एक निर्देश दिया मान्यवर, उसके बाद भी आपके आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन की वेल से सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

**विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री चन्द्रभान आजाद के निधन पर शोकोद्‌गार**

श्री अध्यक्ष-

अब मैं निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ले रहा हूं।

(समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन की वेल से अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्रभान आजाद की 26 मार्च, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री चन्द्रभान आजाद का जन्म 01 जनवरी, 1936 को हुआ था। उन्होंने हिन्दी विशारद की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री चन्द्रभान आजाद वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र नरैनी, जिला बांदा से कम्युनिष्ट पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुये थे। श्री चन्द्रभान आजाद किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबन्धक तथा देशमित्र नवयुवक संघ के अध्यक्ष रहे थे। अध्ययन में वे रूचि रखते थे। श्री चन्द्रभान आजाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

माननीय श्री चन्द्रभान आजाद, पूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरी सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक-संतप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचवा दूंगा।

मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि दो मिनट के लिए मौन धारण कर ले।

(तत्पश्चात् सदन के सभी सदस्यों द्वारा खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

माननीय सदस्यगण कृपया स्थान ग्रहण करें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पुनः सदन की वेल में आ गये और लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थान पर बैठ जायें, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय नेता, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी, माननीय नेता लोकदल, अभी आप लोगों का विचार था कि सदन चले, चौधरी साहब आप समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी सभी दलों के हैं और सभी प्रतिपक्ष दलों के लोग चाह रहे हैं कि सदन चलाया जाय, सदन को व्यवस्थित चलाया जाय। लेकिन आप सदन चलाना ही नहीं चाहते हैं, चलिये छोड़िये।

## नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

अब मैं नियम-301 की सूचनाएं लेता हूं।

आज दिनांक 11 अगस्त, 2011 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुई। जिसमें निम्नलिखित सूचनायें स्वीकार की गयी :-

पहली सूचना श्रीमती नन्दिता शुक्ला की समाज कल्याण विभाग में मृतक आश्रित नियुक्तियों तथा वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में हैं।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर सूचना अस्वीकार की गई)

दूसरी सूचना श्री वीरन्द्र सिंह सिरोही की बुलन्दशहर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् में जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में हैं। तीसरी सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ कैन्ट विधान सभा के अन्तर्गत मोहन होटल से होते हुये मुन्नी लाल धर्मशाला जर्जर मार्ग को शीघ्र

निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री सलिल विश्नोई की उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग की 17 वैश्य जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने एवं पिछड़े वर्ग की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री दीपक कुमार की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोसी में मनरेगा में किये जा रहे भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के सम्बन्ध में है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर, सूचना अस्वीकार की गई)

छठवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जनपद सीतापुर के कस्बा महोली में जर्जर विद्युत तारों एवं उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये जाने की सम्बन्ध में है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर, सूचना अस्वीकार की गई)

सातवीं सूचना डा0 वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच में दरगाह शरीफ रोड पर बन रहे ओवर ब्रिज के कारण हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर, सूचना अस्वीकार की गई)

आठवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद बलरामपुर में किसान बालिका इण्टर कालेज, सादुल्लाहनगर की भूमि को बगैर बैनामा कराये जोर जबर्दस्ती से नहर बनाये जाने एवं मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर, सूचना अस्वीकार की गई)

नवीं सूचना श्री कमलेश चन्द्र दिवाकर की कानपुर नगर के बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पलिया बुजुर्ग मार्ग की जर्जर हालत को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर सूचना अस्वीकार की गई)

दसवीं सूचना डा0 राम प्रकाश कुशवाहा की विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर, जिला कानपुर नगर में स्थित बाबा मार्केट शिवली रोड से संभलपुर सुरार तक का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर, सूचना अस्वीकार की गई)

ग्यारहवीं सूचना श्री राजेश यादव की ग्राम-पल्हरी, पो0 सैरपुर, चिनहट, जनपद लखनऊ के मुख्य मार्ग से सैदापुर मार्ग तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग को सी0सी0 मार्ग न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। (सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर, सूचना अस्वीकार की गई) बारहवीं सूचना श्री राधेलाल रावत की शासन द्वारा स्थानान्तरित पुलिस कर्मियों को कार्य मुक्त करने के सम्बन्ध में है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर, सूचना अस्वीकार की गई)

तेरहवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह की आयुर्वेद यूनानी विभाग उ0प्र0 में तैनात तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की तैनात एवं समायोजन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। (सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर, सूचना अस्वीकार की गई) चौदहवीं सूचना श्री सुन्दर सिंह की जनपद बुलन्दशहर में स्याना विधान सभा की विधायक निधि से सम्बन्धित पत्रावलियों को जिला मुख्य विकास अधिकारी द्वारा लम्बित किये जाने के सम्बन्ध में है।

पंद्रहवीं सूचना श्री कांशीराम की उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम, हरदोई में ड्यूटी के नाम पर संविदा चालक एवं परिचालकों से माहवारी वसूल किये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री अब्दुल समद अंसारी की कानपुर नगर के श्री धर्मवीर की मोटर साइकिल से हुई टक्कर की प्राथमिकी दर्ज न करने के सम्बन्ध में है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर, सूचना अस्वीकार की गई)

स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं पुनरावृत्ति के कारण अस्वीकार की जाती हैं :-

1-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल,

2-श्रीमती सीमा द्विवेदी,

3-श्री जावेद अंसारी एडवोकेट,

4-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा,

5-श्री इमरान मसूद,

6-श्री राजेश कुमार,

7-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,

8-श्री राधेश्याम जायसवाल,

9-डा0 पी0के0 राय,

10-श्री राजाराम त्यागी तथा

11-श्री अमित गौरव।

**बुलन्दशहर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् में जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[महोदय, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् में विद्युत तारों की बहुत ही जर्जर स्थिति है जिसके कारण आये दिन अनेकों स्थानों पर विद्युत तार टूटते रहते है जिसको ठीक करने में काफी समय लग जाता है। साठा, राधानगर, बुलन्दशहर शुगर फैक्ट्री के सामने अनुसूचित बस्ती तथा अन्य कई बस्तियों में विद्युत तारों की स्थिति अत्यन्त खराब है। सार्वजनिक हित में जर्जर विद्युत तारों को प्राथमिकता के आधार पर बदला जाना आवश्यक है क्योंकि विद्युत तार टूटने से घटना घटित होती रहती है जिससे जान-माल की भी क्षति होती है। इसलिए शीघ्र विद्युत तारों को बदलकर घटनाओं को रोका जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने की मांग करता हूं। ]

**लखनऊ कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मोहन होटल से होते हुये मुन्नीलाल धर्मशाला जर्जर मार्ग को शीघ्र निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र कैंट लखनऊ के अन्तर्गत मोहन होटल से पानदरीबा होते हुए मुन्नी लाल धर्मशाला रोड के अत्यन्त जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र कैंट लखनऊ के अन्तर्गत मोहन होटल से पानदरीबा होते हुए मुन्नी लाल धर्मशाला मार्ग अत्यन्त जर्जर हालत में है। इस मार्ग में जगह-जगह बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसके कारण आवागमन बाधित हो रहा है और आये दिन दुर्घटनायें भी हो रही हैं। राजधानी लखनऊ के मार्गों की हालत अत्यन्त दयनीय होना खेद का विषय है। यह इस क्षेत्र का प्रमुख मार्ग है जो कई मुख्य मार्गों को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। जनहित में इस मार्ग को शीघ्र निर्मित किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र इस मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग की 17 वैश्य जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने एवं पिछड़े वर्ग की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सलिल विश्नोई-

[राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग की 17 जातियां जिनमें अग्रहरि वैश्य, भुरतिया वैश्य, केसरवानी वैश्य, वरनवाल वैश्य, दोसर वैश्य, कमलापुरी वैश्य, उमर वनिया तुल गुलहरे वैश्य, तथा पोरवाल व पुरवार वैश्य जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की संस्तुति की गयी थी किन्तु दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी शासन द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी जिस कारण इन वैश्य जातियों के उत्थान में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा नवजवानों को पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली विशेष सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**जनपद बुलन्दशहर में स्याना विधान सभा की विधायक निधि से सम्बन्धित पत्रावलियों को जिला मुख्य विकास अधिकारी द्वारा लम्बित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सुन्दर सिंह-

[महोदय,

जनपद बुलन्दशहर में मेरी विधान सभा का विकास मुख्य विकास अधिकारी (सी0डी0ओ0) द्वारा ही बाधित हो रहा है विधायक निधि से सम्बन्धित पत्रावली कई माह से सी0डी0ओ0 कार्यालय में लंबित है मैंने शासन की योजना के अनुरूप लगभग 3 माह पूर्व एक प्रस्ताव यू0पी0 लघु उद्योग निगम लि0 जो एक शासकीय संस्था है के माध्यम से विधायक निधि में विकास हेतु दिया था समान प्रस्ताव ही माननीय विधायक जेवर श्री होराम सिंह द्वारा भी दिया गया था। दोनों पत्रावलियां पर परियोजना निदेशक बुलन्दशहर द्वारा अपनी संस्तुति दिनांक 02-07-2011 को सी0डी0ओ0 को भेजी गयी थी। जेवर क्षेत्र के कार्य की पत्रावली सी0डी0ओ0 द्वारा स्वीकृति कर दी गयी है तथा विकास कार्य आरम्भ हो गया है। परन्तु मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित पत्रावली अभी तक स्वीकृति नहीं कि गयी है। प्रकरण मेरे क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है इसलिये प्रश्न लोक महत्व का है तथा समय रहते हुए निधि के उपयोग का है, इसलिये अविलम्बनीय है।

अतः मेरा आग्रह है या तो मेरे क्षेत्र का विकास का कार्य किसी अन्य अधिकारी से कराये जायें या सी0डी0ओ0 बुलन्दशहर को कहीं अन्यत्र भेज दिया जाये जिससे विकास समय रहते हो सकें।

इनका आचरण भी असंसदीय है।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, हरदोई में ड्यूटी के नाम पर संविदा चालक एवं परिचालकों से माहवारी वसूल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी राम-

[मा0 अध्यक्ष जी सदन का ध्यान लोक महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के हरदोई डिपो एवं हरदोई क्षेत्र में तैनात श्री मनोज शर्मा जोकि यातायात अधीक्षक है और वर्तमान में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्य देख रहे हैं जो कि नियम विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त श्री पी0के0 गंगवार, (सीनियर फोरमैन) श्री लज्जा राम, (स्टोर कीपर) श्री अमरनाथ पाण्डेय, (टी0आई0) विशेषकर चेकिंग के नाम पर चालक/परिचालकों से अवैध उगाही करते हैं उपरोक्त सभी लोग ड्यूटी के नाम पर संविदा चालक एवं परिचालकों से माहवारी वसूलते हैं तथा पुरानी बस बदलने के एवज में नई बस देने पर 4 से 6 हजार रूपये तक वसूल करते हैं। यह घोर भ्रष्टाचार का प्रतीक है। अगर उक्त प्रकरण की गुप्त जांच करायी जाय तो ऐसे तमाम उदाहरण संज्ञान में आयेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने एवं उपरोक्त सभी भ्रष्ट अधिकारियों को जांच करने से पहले कहीं दूरस्थ स्थानों पर स्थानान्तरण किये जाने की भी मांग करता हूं।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

## औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 अगस्त, 2011 को नियम-300 के अन्तर्गत 16 सूचनायें प्राप्त हुयीं।

पहली सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की माननीय रेशम उद्योग मंत्री द्वारा वक्तव्य न दिये जाने से सदन की गरिमा व माननीय सदस्यों के सम्मान को ठेस पहुंचाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की माननीय पूर्व विधायकों की विधवा/विधुर को पेंशन दिये जाने विषयक मार्च, 2010 में जारी शासनादेश में सभी पूर्व विधायकों को पेंशन का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों को राज्य अतिथि घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री अम्बिका चौधरी की है जो माननीय नेता विरोधी दल को अनुमन्य आवास सुविधा दिये जाने एवं प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की है जो परिषदीय विद्यालयों में कक्षा-6 से 8 तक की पुस्तकें प्रदेश के विद्यालयों में शासन द्वारा उपलब्ध न कराये जाने से गरीब छात्रों एवं अभिभावकों के समक्ष उत्पन्न विषम स्थिति के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की है जो जनहित उत्तर प्रदेश गारण्टी अधिनियम, 2011 को व्यापक व प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की है जो जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में मिनी स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री लाल जी यादव की है जो चमरमंगता समुदाय को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने के

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की है जो प्रदेश के वन मजदूरों (टांगिया) को नागरिक अधिकार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की है जो प्रदेश के नगर निगमों द्वारा गृह कर टैक्स में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की है जो प्रदेश में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री सुनील शर्मा की है जो जनपद-गाजियाबाद के ग्राम सभा खोड़ा की आबादी व क्षेत्रफल को देखते हुये नगर पालिका परिषद बनाये जाने हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 में की गई व्यवस्था अनुसार जिलों की प्रशासनिक सीमाओं में कोई परिवर्तन न किये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की है जो जनपद-लखीमपुर खीरी के तिकोनिया खाद गोदाम में खाद न मिलने से किसानों के सामने उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री उदयराज यादव की है जो बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार योजना की 70 प्रतिशत धनराशि ग्राम सभाओं तथा 20 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायतों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री जगदीश सोनकर की है जो सदस्य को जनपद-जौनपुर, कारागार में निरुद्ध होने पर दी जाने वाली सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के आरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत कहार, कश्यप, केवट आदि जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में है।

(चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी को पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि नियम 300 की सभी सूचनाओं को अग्राह्य कर दें, नियम 300 की कोई भी सूचना नियमों के अनुसार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं सभी सूचनाओं को अग्राह्य करता हूं।

(समाजवादी पार्टी के वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे)

**उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन** †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापा नहीं गया।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी अवध पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी अवध पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ब्रज दर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ब्रज दर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी हस्तिनापुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी हस्तिनापुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(सदन के फ्लोर पर खड़े समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार नारे लगाते रहे।)

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी पश्चिमांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी पश्चिमांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के

† छापे नहीं गये।

लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने आसनों पर वापस जायें, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, आप लोग सदन चलाने के लिए प्रयत्न करें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बड़े दल की होती है, इससे छोटे दलों के मा0 सदस्यों का हक मारा जायेगा, आप लोग बैठ जाइये।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी सत्यदर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी सत्यदर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी त्रिवेणी परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी त्रिवेणी परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी गंगा सरयू परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी गंगा सरयू परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापे नहीं गये।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी गढ़मुक्तेश्वर परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी गढ़मुक्तेश्वर पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी संगम परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी संगम परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ताज शिल्प पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ताज शिल्प पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी बुन्देलखण्ड परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी बुन्देलखण्ड परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइये सदन चलाने में मदद कीजिये।

---

† छापे नहीं गये।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ब्रज परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ब्रज परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ज्ञानोदय परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ज्ञानोदय परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी मध्यांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी मध्यांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी शाहजहांपुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी शाहजहांपुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी सिद्धार्थ परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी सिद्धार्थ परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी हिण्डन पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी हिण्डन पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ताज विरासत पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी ताज विरासत पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी पांचाल परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी पांचाल परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी बिठूर परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी बिठूर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी अध्यावसायी परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी अध्यावसायी परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी अभ्यारण्य परिपथ पर्यटन लिमिटेड वर्ष 2010 का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ की सहायक कम्पनी अभ्यारण्य परिपथ पर्यटन लिमिटेड के दिनांक 31-3-2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) †**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(सदन में व्यवधान बना रहा)

---

† छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष-

इस मद संख्या-28 में कुछ नहीं है।

**जनपद सोनभद्र के ग्राम-आरंगी, ब्लाक-घोरावल में बेलन नदी से लिफ्ट द्वारा पानी उठाकर शाहगंज रजवाहा में छोड़े जाने विषयक श्री राम अवध कुशवाहा तथा श्री राजेन्द्र भारती निवासीगण जनपद सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका** ††

श्री अनिल कुमार मौर्या-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सोनभद्र के ग्राम-आरंगी, ब्लाक-घोरावल में बेलन नदी से लिफ्ट द्वारा पानी उठाकर शाहगंज रजवाहा में छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री राम अवध कुशवाहा तथा श्री राजेन्द्र भारती निवासीगण जनपद सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

**जनपद सोनभद्र के ब्लाक-घोरावल के ग्राम-लक्ष्मनपुर लिफ्ट योजना जो शासन में विचाराधीन है को स्वीकृत कर बेलन नदी से लिफ्ट द्वारा पानी उठाकर ग्राम-लक्ष्मनपुर में छोड़े जाने विषयक श्री जयनाथ मौर्य तथा श्री रामलखन त्यागी निवासीगण जनपद सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका** ††

श्री अनिल कुमार मौर्या-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सोनभद्र के ब्लाक-घोरावल के ग्राम-लक्ष्मनपुर लिफ्ट योजना जो शासन में विचाराधीन है, को स्वीकृति कर बेलन नदी से लिफ्ट द्वारा पानी उठाकर ग्राम लक्षमनपुर में छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री जयनाथ मौर्य तथा श्री राम लखन त्यागी निवासीगण जनपद सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस मद संख्या-30 में कुछ नहीं है।

(घोर व्यवधान)

**कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2011 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 11 अगस्त, 2011 से 12 अगस्त, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 11 अगस्त, 2011 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय।

2-दिनांक 12 अगस्त, 2011 को नियम-51 व 301 की सूचनायें ली जायं तथा नियम 56, 300, 311 की सूचनायें न ली जायं।

---

†† छापी नहीं गयी।

**अगस्त, 2011**

11 गुरुवार

1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011

(ख) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011

(ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011

(घ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011

12 शुक्रवार

1-श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कानपुर नगर की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर नगर को विभक्त करते हुए कानपुर दक्षिणी नाम से एक नया जनपद गठित किया जाय।''

2-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के महानगरों में बाहरी सीमा पर रहने वाले दलित एवं मलिन बस्तियों का विद्युतीकरण निःशुल्क किया जाय।''

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

इस मद संख्या-32 में कुछ नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के वेल में की जा रही लगातार नारेबाजी से घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

**चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 11 अगस्त, 2011 को स्वीकृत हुआ है, के संबंध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है यह सदन चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 11 अगस्त, 2011 को स्वीकृत हुआ है, के संबंध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

**नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 अगस्त, 2011 को नियम-311 की 5 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 50 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी हैं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

1-(1) श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शिवबालक पासी, श्री रामसेवक, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अजयपाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री ईश्वरचन्द्र शुक्ला, श्री संजय कपूर, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधो पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह, श्री अजय कपूर, श्रीमती अमीता सिंह तथा श्री पंकज मलिक,

(2) डा0 अजय तोमर,

(3) श्री जावेद अंसारी,

(4) श्री शम्भू चौधरी,

(5) श्री शैलेन्द्र यादव ललई,

(6) श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा

(7) श्री लालजी यादव की प्रदेश में विद्युत कटौती एवं विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2-श्री उदयभान करवरिया की प्रदेश में लगातार घटते भू-जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3-श्री अनूप सण्डा की प्रदेश के सहकारी बैंकों में खाताधारकों की जमा धनराशि का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4-श्री राम विशुन आजाद की प्रदेश में वनों एवं हरे वृक्षों की अवैध कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव तथा श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ शहर में यातायात की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6-श्री विश्वनाथ तथा डा0 पी0के0 राय की प्रदेश में आवश्यक वस्तु वितरण प्रणाली में हो रही लूट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7-श्रीमती सै0 शादाब फातिमा की पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटक आवासों एवं स्थलों का मैनेजमेंट कान्ट्रैक्ट पर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8-श्री बैजनाथ दूबे की प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत हो रही धांधली एवं अनियमिता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9-श्री राधेश्याम जायसवाल की सीतापुर के ब्लाक खैराबाद में तैनात ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में।

10-डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री पूरन प्रकाश तथा श्रीमती मिथलेश पाल की आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी के ग्राम कोरई के श्री राकेश चौधरी एवं उनके परिवार की हुई नृशंस हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11-श्री सतीश महाना की प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

12-श्री कृष्ण गोपाल पटेल की उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति आदेश जारी कराये जाने के सम्बन्ध में।

13-श्री सुरेश्वर सिंह की उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार एक्ट के अन्तर्गत जमींदारों के अधिकार क्षेत्र से भूमि का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

14-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया की फतेहपुर के ग्राम सभा बैगांव के नौबस्ता घाट पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

15-श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सिद्धार्थ नगर के इटवा तहसील अन्तर्गत परसोहन घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

16-श्री राधेश्याम जायसवाल की राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत शौचालय के लिये आवंटित किये गये धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

17-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों का भवन निर्माण एवं उसका संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

18-श्री प्रदीप माथुर की मथुरा के जी0टी0जेड0 जोन में होने के कारण मथुरा के उद्योगों को शहर के बाहर स्थापना हेतु अलग से औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।

19-डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी में यातायात की समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

20-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की महिला कल्याण विभाग में सहायक निदेशक के पद पर गलत तरीके से मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

21-श्री राजेश यादव की शाहजहांपुर में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से हो रहे रेत खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

22-श्री राजाराम त्यागी की प्रदेश के जनपदों में क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

23-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की सीतापुर के महमूदाबाद में साधन सहकारी समितियों द्वारा किसानों का गेहूं मूल्य का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

24-श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में मच्छरों द्वारा फैल रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

25-श्री दीपक कुमार की उन्नाव में मंझवार जाति को प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित न होने के कारण अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा,

2-डा0 आर0ए0 उस्मानी,

3-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,

4-श्री राजकिशोर सिंह,

5-महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी,

6-श्री अनूप कुमार गुप्ता,

7-श्री कुबेर सिंह,

8-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,

9-श्री दीप नारायण सिंह,

10-श्री उत्कर्ष वर्मा,

11-श्री पूरन प्रकाश,

12-श्रीमती मिथलेश पाल,

13-श्री कैलाश चौरसिया,

14-श्री अरविन्द सिंह यादव,

15-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

16-श्री पंकज कुमार मलिक,

17-श्री सनातन पाण्डेय, तथा

18-श्री विद्या सागर गुप्ता।

आज नियम-56 के अन्तर्गत जितनी सूचनाओं को सुनने के लिये मैंने निर्णय लिया था, वह सभी सूचनायें अग्राह्य की जाती हैं और जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अग्राह्य की गयीं, उसकी सूचना मैं दे चुका हूं। आज की सभी सूचनायें अग्राह्य की जाती हैं।

**संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

संशोधन प्रस्ताव कोई रख रहा है ?

(किसी सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं रख रहा है, इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

**संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011**

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

**विधेयक**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा-4 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1983 की धारा-4 का संशोधन

''(2) उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन सात व्यक्तियों में से पांच व्यक्ति, जिसमें चार चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं, राज्य सरकार द्वारा एक ऐसे पैनेल में से जिसे निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति द्वारा बनाया जायेगा, नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे :-

(एक) निदेशक, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ;

(दो) कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ;

(तीन) कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय ;

(चार) निदेशक, आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ;

(पांच) निदेशक, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ ;

(छः) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ;

(सात) संस्थान के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो विख्यात चिकित्सा विशेषज्ञ ;

(आठ) सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन;

(नौ) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (संयोजक)।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

**उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

संशोधन प्रस्ताव कोई रख रहा है।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं रख रहा है, इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

**उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011**

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

**विधेयक**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974 द्वारा परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11, सन् 1973 की धारा-17 का संशोधन

2-(एक) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-17 में उपधारा (1) के परन्तुक को निकाल दिया जायेगा और उसे सदैव से निकाला हुआ समझा जायेगा।

(दो) ऐसे लोप के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा पारित भूमि को वापस करने के आदेश सहित कृत किसी कार्य या की गई कोई कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

संशोधन प्रस्ताव कोई रख रहा है ?

(किसी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं रख रहा है, इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक**

**सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011**

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

**विधेयक**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

अधिनियम संख्या-21 सन् 1860 की नयी धारा-4-ख का बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा-4-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''4-ख (1) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण के समय उस सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों की सूची सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता और व्यवसाय उल्लिखित करते हुए रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायेगी। रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों की सूची की शुद्धता का परीक्षण सोसाइटी की साधारण सभा की सदस्यता पंजिका और उसकी कार्यवृत्त पंजिका, कैश बुक, सदस्यता शुल्क की रसीद बुक के आधार पर करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों की सूची में किसी सदस्य के आगमन, हटाए जाने, त्याग-पत्र अथवा मृत्यु के कारणों से किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के दिनांक से एक माह के भीतर साधारण सभा के सदस्यों की एक उपांतरित सूची रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाने वाली साधारण सभा के सदस्यों की सूची सोसाइटी के दो पदाधिकारियों और दो कार्यपालक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक**

**उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011**

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

**विधेयक**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-15 में, उप धारा (13) में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33, सन् 1961 की धारा-15 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (13) में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे। — धारा-28 का संशोधन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 अगस्त, 2011 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 80 सूचनाएं प्राप्त हुईं, निम्नांकित सभी सदस्यों की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :-

1-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश में आयुष चिकित्सकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है। 2-श्री अनूप सण्डा की सुल्तानपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी की कार्य-प्रणाली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। 3-डा0 पी0 के0 राय की कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र सेवरही में जले हुये ट्रान्सफार्मरों को बदलने एवं नये ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि किये जाने

के सम्बन्ध में है। 4-श्री सुधीर कुमार की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र नाथ अग्निहोत्री को भू-खण्ड दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। 5-श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद बलरामपुर के उतरौला तहसील में राप्ती नदी पर सिंगारजोत घाट पर बने पुल के पार उक्त तहसील में पहुंच मार्ग न बनाये जाने के सम्बन्ध में है। 6-श्री अनिल कुमार दोहरे की जनपद बरेली में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत पंचम मण्डल सिंचाई कार्य में वर्ष 1993 से रिक्त पड़े तार बाबू के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। 7-श्री जोखू लाल यादव की जिला क्षय केन्द्र हरदोई में 10 वर्षों से तैनात कनिष्ठ लिपिक द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 8-श्री दुर्गा प्रसाद यादव की उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सेवा काल में मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है। 9-श्री काशीराम की लखनऊ स्थित डायमण्ड डेरी कालोनी का अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। 10-श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में जर्जर विद्युत तार बदलवाने एवं ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। 11-श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के पुनर्वासित परिवारों को मुआवजे में मिली भूमि का मालिकाना हक दिलाये जाने एवं बंगला भाषियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है। 12-श्री सनातन पाण्डेय की जनपद बलिया के रसड़ा में स्थापित किसान सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों की दयनीय दशा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 13-श्री उदयराज की पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के वाहन चालकों को स्थायी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 14-श्री राजकिशोर सिंह की जौनपुर के थाना बख्शा ग्राम गढ़ाबाघराय में कुछ लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा करके परेशान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 15-श्री अरविन्द सिंह यादव की कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत निगम लि0, मेरठ में तैनात शौसिंह का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 16-श्री उत्कर्ष वर्मा की जनपद लखीमपुर में क्षतिग्रस्त विद्युत तारों एवं ट्रान्सफार्मरों को न बदलवाये जाने से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 17-श्री संजीव दरियाबादी की कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 18-श्री महबूब अली की गन्ना समिति अमरोहा जनपद जे0 पी0 नगर के कर्मचारियों का बकाया वेतन आदि का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 19-श्री जावेद अंसारी एडवोकेट की जनपद जौनपुर में राज्य सरकार द्वारा संचालित उ0 प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, सिद्दीकपुर के श्रमिकों का वेतन न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 20-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की बांदा में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विश्व बैंक की योजना द्वारा सम्भावित विद्यालयों में एल0 टी0 लाइन लगाये जाने के सम्बन्ध में है। 21-डा0 राजेन्द्र सिंह की आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में जल स्तर गिरने के कारण नये हैण्डपम्प, रि-बोर तथा टी0टी0एस0पी0 लगाये जाने के सम्बन्ध में है। 22-डा0 अजय तोमर की बागपत में पूर्वी यमुना नहर में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 23-श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद गोण्डा की नगरपालिका परिषद् के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन और कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति न किये जाने के सम्बन्ध में है। 24-श्री बैजनाथ दुबे की छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के विकास खण्ड गौरीगंज में स्थायी ए0डी0ओ0, पंचायत की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है। 25-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की

जनपद महराजगंज के क्षेत्र पंचायत घुघली एवं परतावल के गांवों में नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है। 26-श्री कैलाश चौरसिया की जनपद महोबा के वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पठन-पाठन में हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में है। 27-श्रीमती विद्या चौधरी आजमगढ़ के मेहनगर में विधायक निधि के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों को पूर्ण कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। 28-श्री प्रमोद तिवारी की प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में पेयजल की समस्या दूर किये जाने के सम्बन्ध में है। 29-श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बघरा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 30-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा में विकास खण्ड हथगॉम की ग्राम सभा अखरी में लगे नलकूप संख्या-232 द्वारा पानी की आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 31-श्री कृष्ण गोपाल पटेल की उर्सला मेडिकल कालेज, कानपुर में अप्रेन्टिस कर रही महिला प्रशिक्षणार्थियों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है। 32-श्री अशोक कुमार सिंह की जनपद रायबरेली के सरेनी स्थित नहरों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 33-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की उत्तर प्रदेश के दृष्टिबाधित एवं विकलांगों के कल्याण हेतु मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं का पालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 34-श्री शम्भू चौधरी की कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र निधि से आपूर्ति की गयी हाईमास्ट की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। 35-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ शहर के मध्य जिमखाना मैदान पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है। 36-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की प्रदेश के निजी मान्टेसरी स्कूलों द्वारा किये जा रहे आर्थिक एवं मानसिक शोषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 37-श्री विद्या सागर गुप्ता की लखनऊ में मालवीय नगर स्थित वार्ड गुडशेड रोड ऐशबाग में जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। 38-श्री सुरेश्वर सिंह की बहराइच के चहलारी घाट मार्ग पर स्थित भगवानपुर चौराहे से जाने वाले सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। 39-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की बुलन्दशहर के अगौता शुगर फैक्ट्री की तरफ जाने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। 40-श्री अनुग्रह नारायण सिंह की उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग की परिधि में ट्रेनिंग के समय से ही सेवा अवधि एवं वेतन दिये जाने सम्बन्धी विसंगति को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है। 41-श्री विशम्भर सिंह यादव की बांदा के बबेरू-कमासिन मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। 42-श्री निर्मल वर्मा की सीतापुर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। 43-श्री अवस्थी बाला प्रसाद की लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में पुराने गन्ना सेन्टर से वीर सिंह पुर तिराहे तक ध्वस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। 44-श्री सुशील सिंह की चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र धानापुर की ध्वस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। 45-श्री सुन्दर सिंह की बुलन्दशहर के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विधायक निधि से सम्बन्धित प्रकरण को लम्बित किये जाने के सम्बन्ध में है। 46-श्री राजेश यादव की बरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्यारा में तैनात कम्प्यूटर कम संग्रहक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच किये जाने के सम्बन्ध में है। 47-श्री अमित गौरव की राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रोफेसर की बिना पद के निरर्थक, निष्प्रोज्य, विधि विपरीत प्रभारी होम्योपैथी निदेशालय के रूप में तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है।

48-श्रीमती मिथलेश पाल की सिंचाई विभाग की अनूपशहर शाखा खण्ड मेरठ में पदस्थापित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध वर्ष 2005 में की गयी जांचों के सम्बन्ध में है। 49-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल की उ0 प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा पूर्व सैनिकों, शहीदों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों को प्रदान की जा रही सुविधाओं में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में है। 50-श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मनरेगा योजना के संचालन में की गयी धांधली की विधिक जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। 51-श्री ओम प्रकाश, (ओ0 पी0 सिंह) की सुल्तानपुर के कतिपय विकास खण्डों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कैमरे की केन्द्रीयकृत खरीद में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। 52-श्री महेश चन्द्र गुप्ता की उत्तर प्रदेश के किसान मित्रों के बकाये मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में है। 53-डा0 आर0 ए0 उस्मानी की लखनऊ के राजकीय महिला पालीटेक्निक, फैजाबाद रोड में व्याप्त अनुशासनहीनता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। 54-डा0 अनिल चौधरी की अर्बन सर्किल मुरादाबाद में कार्यरत अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है। 55-श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू' की आजमगढ़ के सदर में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। 56-श्री राधेश्याम जायसवाल की सीतापुर के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में धनाभाव के कारण भवन निर्माण पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में है। 57-श्रीमती सीमा द्विवेदी की प्रदेश में समूह 'क' श्रेणी के अधिकारियों की नियम विरुद्ध की गयी पदोन्नति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। 58-श्री दीपक कुमार एवं श्री सुधीर कुमार की उन्नाव के सर्वे बन्दोबस्त अभिलेख कार्यालय में अधिकारियों व लेखपालों के उपलब्ध न रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 59-श्री पूरन प्रकाश की मथुरा के कतिपय सम्पर्क मार्गों का मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। 60-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं के निरुद्ध संवासी/संवासनियों के कुपोषण की शिकार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 61-चौ0 सत्यपाल सिंह की मेरठ के स्वास्थ्य विभाग में किये गये घोटाले की जांच में पाये गये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। 62-श्री राजेश कुमार गौतम की लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड लखीमपुर, फूलबेहड़ में मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। 63-श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल की वाराणसी में समय से बिजली न आने एवं जले हुए ट्रान्सफार्मरों को न बदले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 64-श्री अब्दुल समद अंसारी की वाराणसी में स्थायी हज हाउस न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 65-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की सीतापुर के कतिपय ब्लाकों में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत दाईयों को मानदेय का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है। 66-श्री विजय बहादुर यादव की गोरखपुर के विकास खण्ड खोरावार में जल निकासी हेतु पम्प स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में है। 67-श्री उदयभान करवरिया की इलाहाबाद में हाउस टैक्स में बेतहाशा वृद्धि को समाप्त करने के सम्बन्ध में है 68-श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग से पानीपत खटीमा मार्ग तक बाईपास का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। 69-महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 70-श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह की कुशीनगर स्थित छोटी गंडक नदी में हो रही कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 71-श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर की पुवायां चीनी मिल (सहकारी) के कर्मचारियों के बकाये वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में है। 72-श्री राधेश्याम गुप्ता की

विधान सभा नगर क्षेत्र फतेहपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज फतेहपुर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है। 73-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की वित्तीय वर्ष 2009-10 में बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् प्रतापगढ़ में धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद कार्यादेश निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में है। 74-श्रीमती नन्दिता शुक्ला की उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ में एक ही स्थान पर 20 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है। 75-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल की सिद्धार्थनगर में लो0 नि0 विभाग बांसी के द्वारा शासन स्तर से आदेश होने के बाद भी भूमि अध्याप्ति द्वारा किसानों को मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में है। 76-श्रीमती कृष्णा राज की लखीमपुर खीरी के थाना नीमगांव के अन्तर्गत 15 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुराचार किये जाने एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीपापोती किये जाने के सम्बन्ध में है। 77-श्री प्रदीप माथुर की मथुरा में वृन्दावन स्थित के0सी0 घाट का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में है। 78-श्री अनिल मौर्य की मा0 श्री काशीराम जी स्मारक से कानपुर रोड को जोड़ने वाली वी0आई0पी0 रोड के दाहिने ओर बने सम्पर्क मार्ग को चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में है। 79-श्री दीपक कुमार की समाज कल्याण विभाग में मृतक आश्रित की नियुक्तियों, वृद्धा पेंशन के भुगतान आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। 80-श्री रामपाल राजवंशी की उ0 प्र0 सचिवालय प्रशासन में प्रमुख सचिव/सचिव के कैम्प कार्यालय में कार्यरत अन्य विभागों के कर्मचारियों को हटाये जाने के सम्बन्ध में हैं।

(घोर व्यवधान)

**जनपद आजमगढ़ स्थित मेंहनगर में अधूरे पड़े डाक बंगले का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा ....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अधीन श्रीमती विद्या चौधरी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना दिनांक 08-08-2011 में उल्लिखित है कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर आजमगढ़ के अन्तर्गत मेंहनगर में डाक बंगला स्वीकृत है। डाक बंगला का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लेकिन धन के अभाव के कारण निर्माण कार्य रुक गया है। आगणन बनाकर शासन को भेज दिया

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया है। डाक बंगला का निर्माण कार्य न होने से जनता में काफी आक्रोश है। यह निर्माण करना जनहित में आवश्यक है।

2-इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मेंहनगर में 04 कक्षीय निरीक्षण गृह के निर्माण कार्य हेतु मूल आगणन लागत रु0 39.01 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित पूर्ण धनराशि शासनादेश दिनांक 20-02-2008 द्वारा निर्गत की गई थी। शासन द्वारा निर्गत की गई धनराशि रु0 39.01 लाख अवमुक्त होने के पश्चात् तत्सम्बन्धी कार्य जुलाई, 2009 से प्रारम्भ किया गया, जिसे कुर्सी क्षेत्रफल दर 2009 के आधार पर शासन को प्राप्त पुनरीक्षित आगणन लागत रु0 48.42 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 30-12-2010 तथा अवशेष अन्तर की धनराशि रु0 09.41 लाख शासनादेश दिनांक 27-01-2011 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। कार्यालय प्रमुख अभियन्ता से उक्त धनराशि रु0 09.41 लाख के पी0एल0ए0 से आहरण की स्वीकृति के प्राप्त प्रस्ताव पर यह स्थिति पाई गई कि रु0 39.01 लाख के विरुद्ध मात्र 45 प्रतिशत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति ही परिलक्षित है। इस प्रकार उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के पास अभी भी रु0 21.46 लाख की कार्यशील पूंजी अवशेष के रूप में उपलब्ध है। अतः पूर्व स्वीकृत धनराशि रु0 39.01 लाख के सापेक्ष 75 प्रतिशत की धनराशि के सदुपयोग के पश्चात् अवशेष धनराशि रु0 09.41 लाख को पी0एल0ए0 से आहरित किया जा सकेगा। तद्नुसार इसके लिये शासन का पत्र दिनांक 27-07-2011 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया है। इस धनराशि के पी0एल0ए0 से आहरण के पश्चात ही निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।]

**मेरठ स्थित जामा मस्जिद खैर नगर में पानी भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कौकब हमीद खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा सूचना दी गयी है कि ....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[जनपद-मेरठ शहर के अन्तर्गत जामा मस्जिद खैर नगर में स्थित है। यह लगभग 200 वर्ष पुरानी प्रसिद्ध मस्जिद है। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या यह है कि यहां पर पानी निकासी की पुरानी व्यवस्था होने के कारण पानी का निकास पूरी तरह से नहीं हो पाता तथा सड़क पर थोड़े से ही समय

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में ही लगभग तीन फिट पानी भर जाने के कारण मस्जिद के तरफ पानी का बहाव रहता है जिससे मस्जिद के अन्दर पानी प्रायः भर जाता है। मस्जिद के अन्दर आने जाने वालों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मस्जिद के अन्दर एक बहुत बड़ा मरकज स्थापित है जहां पर देश एवं विदेश के विद्वान आकर अपनी तकरीरे भी करते हैं बड़ी संख्या में लोग नवाज भी अदा करते हैं।

उक्त सम्बन्ध में नगर निगम, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद-मेरठ शहर के अन्तर्गत जामा मस्जिद खैर नगर स्थित जामा होज वाली मस्जिद, मरकज के पास सड़क नीची होने के कारण वर्षा ऋतु के दौरान जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उक्त समस्या के निराकरण के लिये सड़क ऊंची करके जल निकासी की व्यवस्था करने के लिये रु0 8,18,145.00 के आगणन पर स्वीकृति प्रदान करते हुए सड़क पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली मरम्मत का कार्य स्थल पर प्रारम्भ करा दिया गया है। उक्त कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त जल भराव की समस्या स्वतः समाप्त हो जायेगी।]

**उन्नाव स्थित मौरावां तथा हिलौली के गांवों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उर्जा मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत ....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[सूचना के माध्यम से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :-

जनपद उन्नाव में 33 के0वी0 सब-स्टेशन मौरावां तथा हिलौली की विद्युत आपूर्ति सब-स्टेशन मोहनलालगंज जनपद लखनऊ से की जाती है। सब-स्टेशन मोहनलालगंज में कार्यरत अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अन्य अधिकारियों द्वारा मौरावां तथा हिलौली सब-स्टेशनों को प्रतिदिन एक या दो घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाती है, जिसके कारण उपरोक्त क्षेत्र में आने वाले लगभग 300 ग्रामों में धान की रोपाई अत्यन्त प्रभावित हो रही है। पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारु रूप से नहीं कर पा रहे हैं। उक्त समस्या को लेकर दिनांक 01-08-2011 को व्यापारियों तथा क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों द्वारा विद्युत सब-स्टेशन मौरावां का घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया गया।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मौरावां हिलौली सब-स्टेशन में कार्यरत कर्मचारी तथा अधिकारी भी विद्युत आपूर्ति में लापरवाही बरत रहे हैं। कई बार मेरे द्वारा जनपद के विद्युत अधिकारियों से उक्त क्षेत्र में विद्युत समस्या को लेकर वार्ता की गयी अधिकारियों द्वारा सदैव यही बताया जाता रहा है कि सब-स्टेशन मोहनलालगंज लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों द्वारा सब-स्टेशन मौरावां तथा हिलौली को विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती है, जिस कारण क्षेत्र के आने वाले गांवों में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पाती है।

मा0 सदस्य के उक्त सूचना के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद-उन्नाव स्थित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मौरावां एवं हिलौली की विद्युत आपूर्ति जनपद लखनऊ स्थित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मोहनलालगंज से की जा रही है, जिसका पोषण 132/33के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ से किया जा रहा है। वर्तमान में 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र एस0जी0पी0जी0आई0 में स्थापित परिवर्तक की क्षमता 40 एम0वी0ए0 है जिससे संयोजित अन्य भार के अतिरिक्त जनपद लखनऊ के गोसाईगंज, मोहनलालगंज क्षेत्रों एवं जनपद उन्नाव के मौरावां तथा हिलौली क्षेत्रों को एक साथ विद्युत आपूर्ति करने पर प्रश्नगत परिवर्तक अतिभारित हो जाता है। फलतः आपूर्ति प्रभावित होती है। अतिभारिता की उक्त समस्या के निदान हेतु जनपद उन्नाव स्थित 132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनिक से मौरावां क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु पृथक से 33 के0वी0 पोषक का निर्माण कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त उपकेन्द्र के निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त उक्त समस्या का निराकरण संभव हो सकेगा। ]

**नगर निगम इलाहाबाद द्वारा विधि, विरुद्ध गृहकर मूल्यांकन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के .....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य संलग्न है)

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 08-08-2011 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इलाहाबाद नगर निगम सदन ने नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-172, 173, 174, एवं 202 के अन्तर्गत 25-06-2011 तथा 06-07-2011 को क्रमशः पारित संकल्प संख्या-340 व 342 द्वारा नगर क्षेत्र में स्थित मकानों का गृहकर दरें निश्चित कर दिया है। किन्तु नगर निगम प्रशासन संविधान व नगर निगम अधिनियम के प्राविधानों की अवहेलना करके 08-07-2011 को शासन द्वारा कराये गये एवं निर्देशित भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) द्वारा विधि विरुद्ध, गलत, भ्रामक सर्वे के आधार पर गृहकर आरोपित कर दिया है जिससे अनाप-शनाप गृह मूल्यांकन हो गया है। इससे आम नागरिकों, पार्षदों में व्यापक असंतोष है। जगह-जगह पर लगभग एक महीने से धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल आदि हो रहा है। जी0आई0एस0 किसी अधिनियम या सदन से स्वीकृत नहीं है। इसमें लोगों के भवनों में खाली स्थान के साथ ही साथ सड़क और पार्क आदि की भूमि को भी जोड़कर गणना की गई है। एक मकान को दूसरे से जोड़ दिया गया है जिससे सैकड़ों गुणा गृहकर आदि बढ़ गया है। इसलिये इसका व्यापक विरोध हो रहा है।

2-भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित यू0एन0डी0पी0 सहायतित न्यू कन्ट्री प्रोग्राम (2003 से 2007) 'विकेन्द्रीकृत नगरीय प्रशासन में क्षमता विकास कार्यक्रम' यूरिफ के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या 11025/28/2003यू सी0डी0 दिनांक 20 अक्टूबर, 2006 तथा शासन के पत्रांक-5022/9-5-2006-363सा/2006 दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के द्वारा सम्पत्तियों का व्यापक सर्वेक्षण तथा कर निर्धारण का कार्य किये जाने हेतु इलाहाबाद नगर निगम का चयन किया गया था। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन योजना के अनिवार्य सुधार के अन्तर्गत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति कर का निर्धारण योजना के लागू होने के वर्ष से पांचवे वर्ष तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। समस्त संपत्तियों को सम्पत्ति कर की परिधि में लाने के उद्देश्य से नगर निगम, इलाहाबाद में सम्पत्तियों का चिन्हांकन जी0आई0एस0 के माधम से किये जाने की कार्यवाही की गयी है।

3-इलाहाबाद नगर निगम द्वारा वर्ष 2003 में सम्पूर्ण नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाले भवनों का सामान्य मूल्यांकन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-207 से 210 तक में विहित रीति के अनुसार किया गया था। नगर निगम अधिनियम की धारा-211 में यह प्राविधानित है कि प्रत्येक 02 वर्ष में एक बार धारा 207 से 210 तक में विहित रीति के अनुसार साधारणतया एक नई कर निर्धारण सूची तैयार की जाये।

4-अधिनियम की उक्त धाराओं तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली-2000 के अनुपालन में नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा सामान्य कर निर्धारण की कार्यवाही निम्नवत् सम्पादित की गयी:-

(1) नियमावली के नियम-4 क में उल्लिखित है कि नगर आयुक्त वार्ड के भीतर प्रत्येक 02 वर्ष में एक बार प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफिट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को नियत करेगा और ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व नगर आयुक्त नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिए न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। उक्त के अनुपालन में प्रति वर्गफिट प्रतिमाह किराये की दर का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला, हिन्दुस्तान में दिनांक 06-12-009 को 15 दिन के अन्दर आपत्ति प्राप्त कराये जाने हेतु किया गया। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 15-06-2010 को इस आशय के साथ किया गया कि प्रति वर्गफिट न्यूनतम मासिक किराये की प्रस्तावित दरों में 30 प्रतिशत की कमी कर दी जाय।

(2) नियमावली के नियम-4-ख के अनुपालन में अन्तिम रूप से निर्धारित प्रति वर्गफिट मासिक किराये की दरों का प्रकाशन दिनांक 18-06-2010 को दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार-पत्रों में जन सामान्य के सूचनार्थ कराया गया। उक्तानुसार न्यूनतम् मासिक किराये की दरों के निर्धारण के पश्चात् नगर निगम अधिनियम की धारा-207 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली के नियम-7 के अनुसरण में दिनांक 15-07-2010 को इस आशय की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गया कि भवन स्वामी दिनांक 31-09-2010 तक अपने भवन का स्वकर निर्धारण कर प्रपत्र-क कार्यालय मे जमा करें।

(3) नगर निगम अधिनियम की धारा-207 तथा सम्पत्ति कर नियमावली के नियम-5 के अनुसरण में दिनांक 18-06-2010 को प्रकाशित पुनरीक्षित न्यूनतम मासिक किराये की दरों के अनुसार कर निर्धारण सूची तैयार की गयी तथा नियमावली के नियम-5 के परिपालन में उस स्थान एवं समय के सम्बन्ध में जहां उक्त सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा नगर में परिचालन किये जाने वाले प्रमुख समाचार-पत्रों दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, एन0आई0पी0 में दिनांक 11-06-2011 को सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन इस आशय से कराया गया कि यदि किसी भवन स्वामी को प्रस्तावित कर निर्धारण सूची की प्रविष्टियों में आपत्ति में हो तो निर्धारित प्रारूप में नगर निगम मुख्यालय एवं जोनल कार्यालय में प्राप्त करा सकते हैं। दिनांक 03-07-2011 को पुनः दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक जागरण, अमर उजाला व यूनाइटेड भारत में, भवन स्वामियों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने भवन का विवरण देखकर यदि कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करें।

(4) नगर निगम मा0 सदन द्वारा पारित संकल्प संख्या 340 दिनांक 25-06-2011 एवं अन्य आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए नगर आयुक्त के आदेश दिनांक 08-07-2011 द्वारा दिनांक 01-04-2003 से प्रभावी प्रति इकाई क्षेत्र न्यूनतम् मासिक किरायेदारी की दरों के आधार पर सर्वेक्षित क्षेत्र के अनुसार वार्षिक किराया मूल्यांकन (गृहकर) आगंणित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। दिनांक 20 जुलाई, 2011 को पुनः दैनिक समाचार-पत्रों, दैनिक जागरण, अमर उजाला, यूनाइटेड भारत व पायनियर में इस आशय से प्रकाशित करायी गयी कि वर्ष 2003 की मासिक किराये की दरों के अनुसार

वार्षिक मूल्यांकन आगणित किया गया है, विवरण नगर निगम मुख्यालय एवं जोनल कार्यालय में उपलब्ध है, यदि किसी को आपत्ति हो तो प्रस्तुत करें।

5-वर्तमान में नगर निगम अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत प्रस्तावित कर निर्धारण सूची में अब तक प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही करते हुए नगर निगम अधिनियम की धारा-210 के अन्तर्गत आपत्तियों के अन्तिम निस्तारण के उपरान्त संशोधित कर निर्धारण सूची सक्षम अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जाने की कार्यवाही की गयी है।

6-जी0आई0एस0 सर्वे तथा स्थलीय सर्वेक्षण के आधार पर वर्तमान में नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त आवासीय भवनों के कर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है जिसमें 1,76,156 भवनों को पुनर्मूल्यांकित किया जा रहा है जिसके पूर्ण होने के पश्चात् गृह कर की चालू मांग लगभग रु0 30.00 करोड़ हो जाएगी जबकि वर्तमान में यह लगभग रु0 18.00 करोड़ है।

7-उल्लेख करना है कि इलाहाबाद नगर निगम द्वारा की जा रही कर निर्धारण की कार्यवाही के सम्बन्ध में इलाहाबाद नगर निगम के मा0 पार्षद श्री शिव सेवक सिंह द्वारा रिट याचिका टैक्स नं0 1129/2011, शिव सेवक सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 पार्षद श्री कमलेश सिंह द्वारा रिट याचिका टैक्स नं0 44856/2011 श्री कमलेश सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी है, जिसमें नगर निगम द्वारा की जा रही कर निर्धारण की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 08-08-2011 व दिनांक 09-08-2011 को सुनवाई के उपरान्त दो सप्ताह में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने का आदेश दिया गया है।]

(घोर व्यवधान के मत्य)

**रामपुर स्थित बिलासपुर में फायर स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के .....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में फायर स्टेशन न होने के कारण जनता में रोष व्याप्त है। यह तहसील कृषि प्रधान है तथा प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये का गेहूं व अन्य अनाज जल कर राख हो जाता है। फायर स्टेशन रामपुर से विलासपुर तहसील

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की दूरी लगभग 35 कि0मी0 है जिसके कारण समय पर इसका लाभ विलासपुर तहसील को नहीं मिल पा रहा है। तहसील विलासपुर में फायर स्टेशन खोले जाने के लिए भूमि उपलब्ध है तथा यहां पर फायर स्टेशन खोले जाने का प्रस्ताव भी शासन स्तर पर काफी लम्बे समय से लम्बित है। मा0 सदस्य द्वारा उक्त स्थान पर फायर स्टेशन खोले जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में किसी स्थल पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु प्रथमतः निर्विवादित भूमि की उपलब्धता आवश्यक होती है। तहसील स्तर पर 02 यूनिट के अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु 6000 वर्गमीटर की भूमि वांछनीय है। जनपद रामपुर के तहसील विलासपुर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु जनपद स्तर पर वांछित भूमि अभी उपलब्ध नहीं हो पायी है। जनपद स्तर पर भूमि उपलब्ध हो जाने के उपरान्त अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।]

**देवी पाटन मण्डल के अन्तर्गत गन्ना विकास समिति मनकापुर के कर्मचारियों को छठा वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बिशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लिखित किया गया कि.....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[गन्ना आयुक्त के आदेश दिनांक 28-02-2009 द्वारा प्रदेश के सभी सहकारी गन्ना समितियों को छठा वेतनमान दिये जाने का आदेश दिया गया था परन्तु देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत सहकारी गन्ना समिति, मनकापुर को छोड़कर सभी गन्ना समितियों को छठा वेतनमान दिया जा रहा है।

प्राप्त सूचनानुसार गन्ना समिति, मनकापुर में छठा वेतनमान लागू करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण/संस्तुति हेतु गठित समिति की दिनांक 05-03-2010 की बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत गन्ना संघ के बकायों के भुगतान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। चूंकि एकमुश्त समाधान योजना लागू नहीं है अतः उक्त योजना की शर्त के अधीन छठा वेतनमान दिये जाने का औचित्य नहीं बनता है।

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवशेष देयों के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, गन्ना संघ के पत्र दिनांक 03-06-2010 के क्रम में सचिव, गन्ना समिति, मनकापुर के पत्र दिनांक 17-06-2010 द्वारा अवगत कराया गया कि समिति के ऊपर गन्ना संघ के उर्वरक बकाये के मद में रु0 25.00 लाख का भुगतान कर दिया गया है तथा समिति द्वारा पुनः उर्वरक मद में शेष धनराशि का किश्तवार भुगतान किया जाता रहेगा।

गन्ना समिति, मनकापुर से प्राप्त सूचनाओं एवं गन्ना संघ के बकाये के भुगतान हेतु दिये गये आश्वासन के क्रम में सहकारी गन्ना समितियों में छठा वेतनमान लागू करने हेतु गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियां, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 11-07-2011 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 09-08-2011 में गन्ना समिति, मनकापुर को छठा वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में यह संस्तुति की गयी है कि गन्ना समिति, मनकापुर की नवीनतम बैलेन्सशीट 2009-10 के अनुसार समिति के वार्षिक लाभ, सचित लाभ एवं किश्तों में बकाया भुगतान के आश्वासन के दृष्टिगत इस समिति को छठे वेतनमान का लाभ दिनांक 01-01-2006 से एरियर सहित इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जा सकता है कि समिति गन्ना संघ की देयता का भुगतान चार समान किश्तों में करेगी तथा बकाया को किश्त के भुगतान का प्रमाण-पत्र गन्ना संघ से प्राप्त करने के उपरान्त ही एरियर की किश्त का भुगतान करेगी।

उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही जी जा रही है।]

**गोण्डा के कटरा बाजार में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम-51 के.....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[ अन्तर्गत दिनांक 08-08-2011 को दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद गोण्डा के विधान सभा कटरा बाजार क्षेत्र की निम्न सड़कें अत्यन्त जर्जर हैं। समय-समय पर अधिशासी अभियन्ता एवं जिलाधिकारी, गोण्डा पत्र ने भी सड़कों की मरम्मत हेतु शासन को पत्र लिखा है। सभी

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सड़कों की मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा आगणन प्रस्तुत किया गया, परन्तु अभी तक स्वीकृति नहीं हुई है :-

1-करनैलगंज-कुकरभुकवा मार्ग से कि0मी0 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (400),

2-कटरा बाजार से राजगढ़ अमीनपुर होते हुए दुबहा बाजार तक।

3-दुबहा बाजार से नारायणपुर होते हुए कटुआ नाला तक।

4-देवा पसिया सेल्हरी नरायनपुर कला मार्ग।

5-धोबियनपुरवा सेल्हरी मण्डप होते हुए खेमपुर मार्ग।

6-रामापुर दुबहा बाजार होते हुए कटुआ नाला तक।

7-रामापुर दुबहा बाजार मार्ग से कोटिया मदारा तक।

8-गोण्डा कचहरी से तिलका सम्पर्क मार्ग।

9-बालपुर-कटरा मार्ग से भट्टाचार्य पुरवा मार्ग।

10-गोण्डा-बहराइच मार्ग से मनोहर जोत होते हुए पृथ्वीनाथ मार्ग।

11-गोण्डा-बहराइच मार्ग से फरेन्दा शुक्ल।

12-पिपर पदुम परिसया रानी मार्ग।

13-हलधर मऊ से मैजापुर मिल मार्ग।

14-रामापुर चैपुरवा मार्ग।

15-गोण्डा-बहराइच मार्ग से तेलियानी पाठक।

उक्त सूचना पर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में मार्गों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

1-करनैलगंज कुकुरभुकवा मार्ग फरेन्दा जरवल राज्य मार्ग सं0-1ए के किमी0 217 से दाहिनी तरफ निकलती है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 28.400 मीटर है। यह मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में आता है। मार्ग के कि0मी0 23, 24, 25, 26, 27, 28 एवं 29 (400 मी0) की मरम्मत हेतु रु0 76.24 लाख के आगणन की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2-कटरा बाजार से राजगढ़ अमीनपुर होते हुए दुबहा मार्ग की स्वीकृति हेतु गठित आगणन रु0 26.04 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

3-दुबहा बाजार से नारायनपुर होते हुए कटुआ नाला तक का अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में है। इस मार्ग की मरम्मत हेतु गठित आगणन रु0 35.50 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

4-देवपसिया सेल्हरी नरायनपुर कला मार्ग धोबियनपुरवा सेल्हरी मण्डप मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में आता है। इस मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत का आगणन लागत रु0 35.59 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

5-धोबियनपुरवा सेल्हरी मण्डप होते हुए खेमपुर मार्ग ग्रामीण मार्ग की श्रेणी में आता है। इसकी मरम्मत हेतु रु0 21.23 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

6-रामापुर दुबहा बाजार होते हुए कटुआ नाला तक मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में है। इसकी मरम्मत हेतु रु0 20.04 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

7-रामापुर दुबहा बाजार मार्ग से कोटिया मदारा तक मार्ग ग्रामीण मार्ग की श्रेणी में आता है। उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 24.34 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

8-गोण्डा कचहरी से तिलका सम्पर्क मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में आता है। उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 7.00 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

9-बालपुर-कटरा मार्ग से भट्टाचार्य पुरवा मार्ग ग्रामीण मार्ग की श्रेणी में आता है। उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 12.41 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

10-गोण्डा-बहराइच मार्ग से मनोहर जोत होते हुए पृथ्वीनाथ मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में आता है। उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 31.07 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

11-गोण्डा-बहराइच मार्ग से फरेन्दा शुक्ल मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में आता है। उक्त मार्ग की मरम्मत नवीनीकरण हेतु स्वीकृति की गयी है। मौसम अनुकूल होने पर पी0सी0 का कार्य कराया जाना सम्भव है।

12-पिपरा पदुम परिसया रानी मार्ग की मरम्मत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, गोण्डा द्वारा की जानी है।

13-हलधर मऊ से मैजापुर मिल मार्ग ग्रामीण मार्ग की श्रेणी में आता है। मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 8.00 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

14-रामापुर चैपुरवा मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 2.50 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष पाट्होल्स/पैच मरम्मत हेतु का कार्य प्रगति पर है।

15-गोण्डा-बहराइच मार्ग से तेलियानी पाठक मार्ग ग्रामीण मार्ग की श्रेणी में आता है, जिसकी मरम्मत विधायक निधि के माध्यम से समग्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है तथा पाट्होल्स/पैच मरम्मत हेतु का कार्य प्रगति पर है।

कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।]

**यमुना एक्शन प्लान के इम्प्लीमेन्टेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यमुना एक्शन प्लान के इम्प्लीमेन्टेशन....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[यमुना एक्शन प्लान के इम्पलीमेन्टेशन के सम्बन्ध में मा0 सदस्य ने यमुना नदी की महत्ता, विशेष रूप से मथुरा के धार्मिक सन्दर्भ में बताते हुए यह उल्लेख किया है कि यमुना एक्शन प्लान में कार्यदायी संस्था द्वारा धन का सदुपयोग न करते हुए प्रदूषण समाप्त करने का सार्थक प्रयास नहीं किया गया। जनता की धार्मिक आस्था के साथ जुड़े होने के कारण सरकार को इस सम्बन्ध में कड़ाई बरतनी नहीं चाहिए। उक्त के आधार पर मा0 सदस्य ने काम रोक कर इस विषय पर चर्चा तथा योजना पर अब तक हुए व्यय की स्पेशल आडिट की मांग की है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना तथ्यपरक नहीं है। वस्तुतः राज्य सरकार द्वारा यमुना नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से यमुना कार्य योजना-प्रथम चरण के अन्तर्गत चिन्हित नगरों में से मथुरा नगर में यमुना नदी में गिरने वाले नालों को टैप करने, उसे सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक ले जाने एवं सीवेज शोधन के आवश्यक कार्य सम्पादित किये गये हैं। इस योजना में मथुरा नगर में कराये गये कार्य निम्नांकित हैं :-

(1) 19 नालों को टैप करना एवं सीवेज को एस0टी0पी0 तक ले जाना।

(2) कुल 11.25 कि0मी0 सीवर लाइन एवं राइजिंग मेन का निर्माण।

(3) 02 एस0टी0पी0 (13.59 एवं 14.50 एम0एल0डी0 क्षमता) का निर्माण।

(4) 08 पम्पिंग स्टेशन का निर्माण।

(5) 18 नग सुलभ शौचालयों का निर्माण।

(6) 08 नग शवदाह गृहों का निर्माण।

(7) 26 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण का कार्य।

3-उपर्युक्त योजना के समस्त कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार माह फरवरी, 2003 में रु0 25.57 करोड़ के व्यय से पूर्ण कर लिये गये थे। उपर्युक्त सभी सम्पत्तियों का संचालन प्रारम्भ में

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा एवं दिनांक 1-5-2006 से नगर पालिका मथुरा/वृन्दावन द्वारा किये जा रहे हैं। ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निरीक्षण इस हेतु गठित एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है एवं निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का सम्बन्धित निकायों के माध्यम से निराकरण कराया जाता है।

4-उपर्युक्त योजना के समस्त कार्य वर्ष 1998 के जलमल डिस्चार्ज के अनुसार सम्पादित किये गये हैं। वर्तमान में मथुरा नगर के नालों का जलमल डिस्चार्ज लगभग 30 प्रतिशत बढ़ गया है। इस बढ़े हुये जलमल डिस्चार्ज के ट्रीटमेन्ट की व्यवस्था हेतु शासन द्वारा मथुरा नगर के सीवरेज सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु यमुना कार्य योजना (तृतीय चरण) के अन्तर्गत रुपये 622.7495 करोड़ की योजना भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। भारत सरकार द्वारा योजना स्वीकृत करने एवं धनावंटन के उपरान्त आवश्यक कार्य तीन वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

5-उपर्युक्त के अतिरिक्त जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम में मथुरा नगर में ट्रान्स यमुना क्षेत्र के लिए एक सीवरेज येाजना (अनुमानित लागत रु0 60.35 करोड़) स्वीकृत हुई है, जिसका निर्माण-कार्य प्रगति पर है। ]

**भारत सरकार की योजना यू0आई0डी0एस0एम0टी0 के अन्तर्गत गोरखपुर नगर निगम को धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गोरखपुर पेयजलापूर्ति परियोजना भारत सरकार द्वारा रु0 1598.85 लाख पर अनुमोदित है। अनुमोदित लागत के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अपने अनुमन्य अंश की कुल धनराशि रु0 1254.56 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल रु0 1411.38 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। परियोजना हेतु अनुमन्य निकाय अंश की कुल धनराशि रु0 142.99 लाख भी मा0 कांशीराम नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है। उक्त से स्पष्ट है कि गोरखपुर की पेयजलापूर्ति परियोजना हेतु अब तक कुल रु0 1554.37 लाख की धनराशि

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवमुक्त की जा चुकी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गोरखपुर पेयजल परियोजना की लागत पुनरीक्षित हो गयी है। पुनरीक्षित लागत रु0 2160.37 लाख को व्यय वित्त समिति ने रु0 1987.19 लाख पर अनुमोदित किया है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी परियोजना की अनुमोदित लागत में यदि वृद्धि होती है, तो बढ़ी हुई लागत को राज्य सरकार द्वारा वहन करना होगा। तदनुसार प्रश्नगत परियोजना के सापेक्ष बढ़ी हुई लागत की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है कि गोरखपुर की ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन परियोजना भारत सरकार द्वारा रु0 1563.60 लाख पर अनुमोदित है। अनुमोदित लागत के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अपने अनुमन्य अंश के सापेक्ष रु0 625.44 लाख स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल रु0 703.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

गोरखपुर की सीवरेज परियोजना के अन्तर्गत महानगर की सीवर प्रणाली विकसित करने हेतु गोरखपुर नगर को उत्तरी एवं दक्षिणी जोनों में विभक्त कर योजना के विरचन की कार्यवाही की जा रही है। यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता (परिव्यय) के सापेक्ष परियोजनायें स्वीकृत करायी जा चुकी हैं। वर्तमान में इस कार्यान्श के अन्तर्गत मिशन अवधि का परिव्यय समाप्त हो चुका है। यदि भारत सरकार द्वारा परिव्यय स्वीकृत किया जाता है तो सीवर की परियोजना हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा। ]

(घोर व्यवधान के मध्य)

**सिद्धार्थनगर स्थित बांसी-खेसरहा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 08-08-2011 को दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि ''जनपद सिद्धार्थनगर में लोक निर्माण विभाग खण्ड, बांसी के अन्तर्गत बांसी-गोल्हौरा-इटवा मार्ग

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं बांसी-खेसरहा मार्ग की हालत अत्यन्त दयनीय है, एवं ये दोनों मार्ग जर्जर है। बांसी-गोल्हौरा मार्ग में प्रति किलोमीटर पर एक हजार से भी अधिक गड्ढे होंगे जिसकी वजह से लोगों का आना-जाना दूभर हो गया है। मार्ग के इन गड्ढों की गहराई 6 इंच से लेकर 2 फिट तक है। मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने के नाम पर पिछले 7-8 माह पहले मार्ग पर गिट्टी गिराकर और खुदाई करके हालत और भी अधिक खराब कर दी गयी है। बांसी-खेसरहा मार्ग पर भी हालत बड़ी खराब है। इसी प्रकार की स्थिति सकारपार से भुवही घाट मार्ग का भी है और मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी विस्फोटक हो जाती है। इसके लिए प्रायः जनता आन्दोलन एवं मांग करती रहती है। मार्गों की मरम्मत न होने के कारण क्षेत्रीय लोगों का आवागमन बाधित रहता है और उनमें रोष तथा आक्रोश है।''

उक्त सूचना पर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग गोरखपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद सिद्धार्थनगर में बांसी-गोल्हौरा-इटवा मार्ग प्रमुख जिला मार्ग सं0-30 का मार्ग है। इस मार्ग का पूरा नाम बांसी-तलपुरवा-इटवा-बिसकोहर मार्ग है। कि0मी0 1 से 15 भाग लो0नि0वि0, नि0ख0, बांसी एवं कि0मी0 16 से 31 तक का भाग लो0नि0वि0, नि0ख0-1 सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत आता है। तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय को जोड़ने की योजना के अन्तर्गत बांसी-तलपुरवा-इटवा-बिसकोहर मार्ग की कि0मी0 1 से 31 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य योजना (सामान्य) वर्ष 10-11 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत शासनादेश सं0-2141ई/23-11-2010 लो0नि0 अनु0-11, दि0 15-09-10 द्वारा रु0 4763.63 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। मार्ग का कार्य अनुबन्ध सं0-10एसई-261सी/2010-11, दि0 16-09-10 द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। अनुबन्ध समाप्ति की तिथि 15-9-12 है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में रु0 476.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 11-12 में रु0 428.77 लाख का आवंटन प्राप्त है। वर्तमान में दाहिने तरफ 11 कि0मी0 एवं बांयी 9 तरफ कि0मी0 में चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण है। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिना अतिरिक्त धन दिये अनुरक्षण का कार्य किया जाना है। पैच एवं पाट होल्स ठेकेदार द्वारा समय-समय पर ठीक कराये जा रहे हैं। वर्तमान में चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। कार्य की प्रगति कम होने के कारण अनुबन्ध की शर्तों एवं ठेकेदार द्वारा दी गयी कार्य योजना के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त, लो0नि0वि0, बस्ती द्वारा ठेकेदार को प्रगति बढ़ाने हेतु नोटिस दिये गये हैं। किये जा रहे कार्य की जांच भी माह जून, 2011 में शासन में टी0ए0सी0 द्वारा की जा चुकी है।

जनपद सिद्धार्थनगर में स्थित बांसी-खेसरहा मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का मार्ग है। यह मार्ग बांसी-नन्दौर-खलीलाबाद राज्य मार्ग सं0-88 का भाग है। बांसी-नन्दौर-खलीलाबाद मार्ग की जनपद सिद्धार्थनगर में कुल लम्बाई 17 कि0मी0 हैं। खेसरहा ब्लाक कि0मी0 13 में अवस्थित है। कि0मी0 13 को छोड़कर कि0मी0 1 से 17 तक, मार्ग की चौड़ाई 3.7 मीटर है। कि0मी0 13 की चौड़ाई 5.5 मी0 है। वित्तीय वर्ष 10-11 में कि0मी0 6 से 12 तक का नवीनीकरण का कार्य स्वीकृति के अनुरूप सम्पादित कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 11-12 में किमी 14 का नवीनीकरण स्वीकृत है लगभग 800 मी0 लम्बाई में कार्य सम्पादित कराया जा चुका है। वर्तमान में मार्ग की सामान्य दशा ठीक है।

सकारपार से भुवही घाट मार्ग का एक भाग सकारपार से पेडारी, 10 किमी0 अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसका उच्चीकरण का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड सिद्धार्थनगर द्वारा वर्ष 10-11 में कराया गया है। पेडारी से भुवही घाट ग्रामीण श्रेणी का 4.50 कि0मी0 लम्बाई का मार्ग है। 3.50 कि0मी0 लम्बाई भाग में सामान्य अनुरक्षण से पैच मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है। एक कि0मी0 भाग खराब है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

**प्रतापगढ़ स्थित मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी एवं हेमवती नन्दन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज में मानदेय के रूप में कार्यरत अध्यापकों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी.....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[सूचना दिनांक 8-8-2011 में यह अवगत कराया गया है कि जनपद प्रतापगढ़ में स्थित मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी, प्रतापगढ़ एवं पी0बी0 कालेज प्रतापगढ़ सिटी तथा हेमवती नन्दन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज जनपद प्रतापगढ़ में विगत लगभग 7 वर्षों से मानदेय प्रवक्ता के रूप में कुछ शिक्षक कार्यरत हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित डिग्री कालेज के प्राध्यापक पद की अनिवार्य योग्यता पूर्ण रखते हैं, इन सभी का अनुमोदन मा0 उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा वर्ष 2006 से पूर्व हो चुका है तथा ये सभी नियमित रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं मेहनत के साथ कर रहे हैं। इन सभी शिक्षकों को मानदेय के साथ ही साथ मंहगाई भत्ते का भी लाभ दिया जा रहा है किन्तु अभी तक मानदेय के रूप में उपरोक्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को स्थायी/नियमित नहीं किया गया है जिसके कारण इनका भविष्य में अंधकारमय है तथा इनमें चिन्ता व्याप्त है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ में अवस्थित मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पट्टी प्रतापगढ़ में 02 मानदेय शिक्षक व पी0बी0 कालेज, प्रतापगढ़ में

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

04 मानदेय शिक्षक एवं हेमवती नन्दन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज, प्रतापगढ़ में 01 मानदेय शिक्षकों का अनुमोदन निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा वर्ष 2006 के पूर्व किया गया है इन शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 6-1-2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रवक्ता वेतनमान रु0 8000-13500 के न्यूतनम अर्थात् रु0 8000 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते मानदेय के रूप में प्रदान किया जा रहा है।

3-जहां तक इन्हें प्रवक्ता पद पर आमेलित करने का प्रश्न है के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा-31ई (1) के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था की गयी है :-

> ''धारा-12 व 13 में अंतदृष्ट उपबन्धों के अधीन यदि कोई रिक्ति विद्यमान है जिसे उक्त धाराओं के उपबन्धों के अधीन भरा नहीं जा सकता है तो मानदेय अध्यापक जो सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्य कर रहा है, राज्य सरकार द्वारा अवधारित शैक्षिक योग्यता रखता है जिसने तीन शैक्षिक सत्र की न्यूनतम अवधि में कार्य करते हुए मानदेय प्राप्त किया है और उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ के दिनांक तक कार्यरत है, को उपधारा-2 के अधीन विहित रीति से आमेलित किया जायेगा। उक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि आमेलन सम्बन्धी प्रक्रिया मात्र उन्हीं पदों के सापेक्ष की जा सकती है जो पद उक्त अधिनियम की धारा-12 एवं 13 के अन्तर्गत भरा नहीं जा सकता है। उल्लेखनीय है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सृजित प्रवक्ता का कोई भी ऐसा पद विद्यमान नहीं है जो कि उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा-12 व 13 के अन्तर्गत भरा न जा सकता हो।''

4-मानदेय प्रवक्ताओं के आमेलन/विनिमितीकरण के प्रकरण पर उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी। उक्त समिति ने उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह संस्तुति की है कि जिन पदों पर मानदेय प्रवक्ता कार्य कर रहे हैं वे सभी पद उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व विज्ञापन संख्या-37 एवं 44 में विज्ञापित किये जा चुके हैं। अतएव इन पदों पर मानदेय प्रवक्ताओं को उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (यथा संशोधित) की धारा-31 ई के प्राविधानों के अन्तर्गत आमेलित किया जाना संभव नहीं है। ]

**लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ, बाकेगंज, कुम्भी अन्तर्गत बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 कार्ड धारकों की अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा सूचना दी गयी है कि जनपद लखीमपुर खीरी के .....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[अन्तर्गत विकास खण्ड बिजुआ, विकास खण्ड-बांकेगंज, विकास खण्ड-कुम्भी, तहसील गोला के अन्तर्गत सप्लाई इन्सपेक्टर यादव एवं सम्बन्धित अधिकारियों की मिलीभगत के द्वारा माह जून, 2011 का ए0पी0एल0 का खाद्यान्न बांटा ही नहीं गया है तथा बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 के राशन कार्ड धारकों का अनाज/खाद्यान्न का बड़े पैमाने पर पात्र लोगों को न बांटकर उसे बेच दिया है जिसके कारण पात्र लोगों को अनाज/खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है तथा अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने खास कोटेदारों की दुकानों में दूरस्थ गांव को सम्बद्ध करके अनाज/खाद्यान्न बेचा जा रहा है जिसकी सूचना जिलाधिकारी, खीरी को भी दी जा चुकी है। उदाहरण के तौर पर कोटेदार विधेश्वरी, कोटेदार टुडलिया, ग्राम देवकली, ग्राम-बिजुआ, ग्राम कुवरपुर कला, भीरा, पड़रिया तिलकापुर, धरमापुर तथा नगर पंचायत मैलानी आदि कोटेदारों की शिकायत भी की गयी लेकिन अभी तक दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है जिससे क्षेत्रीय लोगों में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है। इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन से वक्तव्य की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सदस्य की सूचना में उल्लिखित ग्रामों की शिकायतों/तथ्यों की जांच उप जिलाधिकारी गोला, लखीमपुर खीरी से करायी जा रही है। जांच आख्या के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से यथाशीघ्र अवगत कराया जायेगा। ]

**झांसी स्थित धसान नदी पर पुल का निर्माण कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीप नरायन सिंह (दीपक यादव) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत 08-08-2011 को दी गयी सूचना ....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[में अवगत कराया गया है कि जनपद झांसी के तहसील गरौठा अन्तर्गत ग्राम मोदी कटरा के पास धसान नदी पर हमीरपुर और झांसी को जोड़ने वाला पुल धनाभाव के कारण रुका पड़ा है, जिससे आने-जाने वाले लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। बार-बार अनुरोध करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इससे जनमानस में रोष व्याप्त है। धन आवंटित कर उक्त पुल का निर्माण कराये जाने की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत सेतु एवं पहुंच मार्ग की स्वीकृति बुन्देलखण्ड विकास पैकेज के अन्तर्गत शासनादेश सं0-2320/बुविपै/ 23-14--05-9(6) झांसी/05 दिनांक 01-08-05 द्वारा रु0 1180.48 लाख प्रदान की गयी थी और शत-प्रतिशत आवंटित धनराशि के सापेक्ष रु0 1178.74 लाख व्यय करके सेतु का निर्माण कार्य लगभग 50 प्रतिशत एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लगभग 65 प्रतिशत करा लिया गया है। धनाभाव एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी राठ हमीरपुर द्वारा सेतु कार्य पर रोक लगा देने के कारण जुलाई, 2009 के बाद से सेतु का निर्माण कार्य बन्द चल रहा है।

सेतु का प्रारम्भिक आगणन तत्कालीन एलीवेशन एरिया दर पर गठित होने तथा श्रम व सामग्री की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप मूल स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के कारण प्रश्नगत कार्य का पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है। वन विभाग की अनुमति तथा पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सेतु एवं पहुंच मार्ग का कार्य कर पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

**सदन का अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव**

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार सदन चलाना चाहती थी और हमारी यह चाहत थी कि इस पर विधिवत् चर्चा हो। मा0 विपक्ष के नेता सदैव यह कहते हैं कि सदन लम्बे समय तक चले लेकिन सभी ने कल और आज के इनके आचरण को देखा। प्रदेश सरकार के कार्यों के कारण इनके पास प्रदेश सरकार के विरोध में कोई बात कहने के लिये नहीं है। अपने अनर्गल आरोप और अपने कृत्यों को छिपाने के लिए, जो [ x x x ] उसको छिपाने के लिए अपने कृत्य को ढकने के लिए आज यह सदन न चलने देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में मेरा आपसे अनुरोध है और अगर आप अनुमति दें तो मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाय।

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :-[ x x x ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

# राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष-

अब राष्ट्रगान होगा।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 12 बजकर 50 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हो गया।

दिनांक 11 अगस्त, 2011

**प्रदीप कुमार दुबे,**
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

## नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

**विभाग अन्तर्गत पशु चिकित्सा श्रेणी-2 के स्वीकृत/कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण**

| क्र0सं0 | मण्डल/जनपद का नाम | जनपद में कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत अधिकारी | कुल रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **मेरठ मण्डल** | | | |
| | मेरठ | 32 | 30 | 2 |
| | बागपत | 31 | 17 | 14 |
| | गौतमबुद्धनगर | 15 | 15 | - |
| | बुलन्दशहर | 40 | 31 | 9 |
| | गाजियाबाद | 29 | 28 | 1 |
| | **योग :** | **147** | **121** | **26** |
| **2** | **सहारनपुर मण्डल** | | | |
| | सहारनपुर | 29 | 24 | 5 |
| | मुजफ्फरनगर | 70 | 41 | 29 |
| | **योग :** | **99** | **65** | **34** |
| **3** | **मुरादाबाद मण्डल** | | | |
| | मुरादाबाद | 23 | 19 | 4 |
| | जे0पी0 नगर | 17 | 12 | 5 |
| | बिजनौर | 30 | 25 | 5 |
| | रामपुर | 12 | 12 | - |
| | **योग :** | **82** | **68** | **14** |
| **4** | **आगरा मण्डल** | | | |
| | आगरा | 30 | 21 | 9 |
| | मथुरा | 27 | 25 | 2 |
| | मैनपुरी | 19 | 14 | 5 |
| | फिरोजाबाद | 23 | 23 | - |
| | **योग :** | **99** | **83** | **16** |
| **5** | **अलीगढ़ मण्डल** | | | |
| | अलीगढ़ | 36 | 33 | 3 |
| | महामायानगर | 9 | 8 | 1 |

| क्र0सं0 | मण्डल/जनपद का नाम | जनपद में कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत अधिकारी | कुल रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| | एटा | 15 | 15 | - |
| | कांशीरामनगर | 5 | 4 | 1 |
| | **योग :** | **65** | **60** | **5** |
| **6** | **बरेली मण्डल** | | | |
| | बरेली | 25 | 22 | 3 |
| | बदायूं | 30 | 20 | 10 |
| | शाहजहांपुर | 23 | 19 | 4 |
| | पीलीभीत | 10 | 9 | 1 |
| | **योग :** | **88** | **70** | **18** |
| **7** | **चित्रकूट मण्डल** | | | |
| | चित्रकूट | 8 | 8 | - |
| | बांदा | 15 | 15 | - |
| | महोबा | 6 | 6 | - |
| | हमीरपुर | 12 | 12 | - |
| | **योग :** | **41** | **41** | **-** |
| **8** | **झांसी मण्डल** | | | |
| | झांसी | 20 | 19 | 1 |
| | ललितपुर | 17 | 16 | 1 |
| | जालौन | 16 | 16 | - |
| | **योग :** | **53** | **51** | **2** |
| **9** | **इलाहाबाद मण्डल** | | | |
| | इलाहाबाद | 47 | 46 | 1 |
| | फतेहपुर | 30 | 28 | 2 |
| | प्रतापगढ़ | 46 | 35 | 11 |
| | कौशाम्बी | 11 | 9 | 2 |
| | **योग :** | **134** | **118** | **16** |
| **10** | **मिर्जापुर मण्डल** | | | |
| | मिर्जापुर | 19 | 18 | 1 |
| | सोनभद्र | 14 | 12 | 2 |
| | संतरविदासनगर | 4 | 4 | - |
| | **योग :** | **37** | **34** | **3** |

| क्र0सं0 | मण्डल/जनपद का नाम | जनपद में कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत अधिकारी | कुल रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| **11** | **कानपुर मण्डल** | | | |
| | कानपुर नगर | 29 | 29 | - |
| | कानपुर देहात | 17 | 17 | - |
| | इटावा | 21 | 14 | 7 |
| | औरैया | 10 | 9 | 1 |
| | फर्रुखाबाद | 15 | 13 | 2 |
| | कन्नौज | 13 | 11 | 2 |
| | **योग :** | **105** | **93** | **12** |
| **12** | **वाराणसी मण्डल** | | | |
| | वाराणसी | 12 | 6 | 6 |
| | चन्दौली | 16 | 15 | 1 |
| | गाजीपुर | 38 | 28 | 10 |
| | जौनपुर | 28 | 20 | 8 |
| | **योग :** | **94** | **69** | **25** |
| **13** | **आजमगढ़ मण्डल** | | | |
| | आजमगढ़ | 45 | 29 | 16 |
| | मऊ | 25 | 13 | 12 |
| | बलिया | 51 | 28 | 23 |
| | **योग :** | **121** | **70** | **51** |
| **14** | **गोरखपुर मण्डल** | | | |
| | गोरखपुर | 46 | 34 | 12 |
| | महाराजगंज | 26 | 19 | 7 |
| | कुशीनगर | 20 | 16 | 4 |
| | देवरिया | 22 | 18 | 4 |
| | **योग :** | **114** | **87** | **27** |
| **15** | **बस्ती मण्डल** | | | |
| | बस्ती | 24 | 19 | 5 |
| | सिद्धार्थनगर | 19 | 11 | 8 |
| | संतकबीर नगर | 13 | 9 | 4 |
| | **योग :** | **56** | **39** | **17** |

| क्र0सं0 | मण्डल/जनपद का नाम | जनपद में कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत अधिकारी | कुल रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| **16** | **देवीपाटन मण्डल** | | | |
| | गोण्डा | 32 | 22 | 10 |
| | बलरामपुर | 12 | 6 | 6 |
| | श्रावस्ती | 10 | 4 | 6 |
| | बहराइच | 29 | 14 | 15 |
| | **योग :** | **83** | **46** | **37** |
| **17** | **फैजाबाद मण्डल** | | | |
| | फैजाबाद | 22 | 16 | 6 |
| | बाराबंकी | 34 | 34 | - |
| | सुल्तानपुर | 24 | 20 | 4 |
| | अम्बेडकरनगर | 12 | 8 | 4 |
| | छत्रपतिशाहूजी महाराजनगर | 28 | 21 | 7 |
| | **योग :** | **120** | **99** | **21** |
| **18** | **लखनऊ मण्डल** | | | |
| | लखनऊ | 23 | 23 | - |
| | हरदोई | 33 | 22 | 11 |
| | रायबरेली | 27 | 24 | 3 |
| | उन्नाव | 42 | 42 | - |
| | सीतापुर | 34 | 31 | 3 |
| | खीरी | 35 | 28 | 7 |
| | **योग :** | **194** | **170** | **24** |
| | वी0पी0 संस्थान, लखनऊ | 11 | 11 | - |
| | आहार परीक्षण प्रयोगशाला प्रधान कार्यालय | 2 | 2 | - |
| | प्रायोजना अधिकारी भेड़, मिर्जापुर | 8 | 8 | - |
| | समस्त प्रक्षेत्र संगठन | 12 | 5 | 7 |
| | भैसोड़ा भेड़ प्रक्षेत्र | 3 | 1 | 2 |
| | डी0एफ0एस0बाबूगढ़ | 1 | 1 | - |

| क्र0सं0 | मण्डल/जनपद का नाम | जनपद में कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत अधिकारी | कुल रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| | गाजियाबाद | | | |
| | पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र चकगंजरिया लखनऊ | 2 | 1 | 1 |
| | डी0एफ0एस0 चकगंजरिया | 2 | 2 | - |
| | मेडिकल कालेज | 6 | 5 | 1 |
| | **कुल योग :** | **1779** | **1420** | **359** |

## नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0-71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

**विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2011 के 1ले गुरुवार के लिये निर्धारित श्री राजेश यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-71 का उत्तर का संलग्नक**

**जनपद शाहजहांपुर में मण्डी समितियों के प्रस्ताव पर बनवाये गये मार्गों का विवरण :-**

| क्र0सं0 | मार्ग का नाम |
|---|---|
| 1 | चादपुर भगंवा मार्ग से खड़वौरा (पश्चिम) |
| 2 | पटियारी से नवादा रुद्रपुर |
| 3 | मुकरमपुर मानपुर मार्ग से शाहगंज |
| 4 | कमलनैनपुर के पक्के मार्ग से बबक्करपुर |
| 5 | अख्तयारपुर उर्फ इकनौरा से सिमरिया नहर पटरी होते गन्धार के पक्के मार्ग |
| 6 | पकिया पक्के मार्ग से सिधौली के पुरवा रामनगर |
| 7 | पुवाया-निगोही मार्ग से कटैया होते पलिया |
| 8 | शाहजहांपुर-बीसलपुर मार्ग से गिरगिचा होते हुए पटरी |
| 9 | कांट में अख्यारपुर बघौरा पक्के मार्ग से तुलापुर |
| 10 | सतनुआ से नवदियापुर |
| 11 | दियूरिया से गागेपुर जू0 हाई स्कूल |
| 12 | दियूरिया तिराहे से लालपुर |
| 13 | निगोही-बिलसण्डा मार्ग से भदिउरा पृथ्वीपुर प्रा0 विद्यालय |
| 14 | अजीजगंज चौहनापुर नगर मार्ग से परमनिया पुलिया से गैरतपुर व बिलन्दपुर |
| 15 | गुलडिया बसारी से भूड़ाकली |
| 16 | शाहजहांपुर काट मार्ग से बने पक्के रोड से बरुआ बुजुर्ग |
| 17 | अजमतपुर से गुलरिया |
| 18 | इनायतपुर से घुटई |
| 19 | अजीजगंज नहर भरगवा मार्ग से रुद्रपुर |
| 20 | सात घाट गरई नाला से हसुवा जानू |
| 21 | काट मार्ग स्थित पिपरौला से किसुरियाई |
| 22 | इकनौरा मार्ग से रमपुरा |
| 23 | भरगंवा से चौहानापुर नहर मार्ग से परमनिया पुलिया से परमनिया |
| 24 | मदनापुर से रहदेवा गौटिया |

| क्र0सं0 | मार्ग का नाम |
|---|---|
| 25 | अजीजगंज राई खेड़ा पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से सहबेगपुर |
| 26 | शाहजहांपुर बरेली एन0एच0-24 से उमरगंज होते पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग |
| 27 | कैलाहा ई0 सिसनई से चांदापुर कांकर रोड से कैलाहा |
| 28 | परासिन पक्के मार्ग से गोबरसडा पी0एम0जे0एस0वाई0 मार्ग |
| 29 | शाहजहांपुर-बरेली एन0एच0-24 मार्ग से भेदपुर |
| 30 | नासिया खण्ड भावल खेड़ा पी0एम0जी0एस0वाई0 से अधरापुर होते विसाफ रोड |
| 31 | गोबरसड़ा से पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से निजामपुर गौटिया |
| 32 | शाहजहांपुर गोला मार्ग से पिपरिया के अन्दर |
| 33 | चकभिटारा से सरही |
| 34 | शाहजहांपुर पीलीभीत मार्ग से गिरगिचा |
| 35 | ढ़किया परवेश से हिसम्हा |
| 36 | मुख्य मार्ग से कृषि विज्ञान केन्द्र मार्ग |
| 37 | कनेंग से नेवादा |
| 38 | जैनाधीन नगर से महोलिया |
| 39 | मोहम्मदी मार्ग से सुतनेरा |
| 40 | डींगरपुर से सहजापुर |
| 41 | छीतेपुर से गुरुद्वारा होते तुकीखेड़ा |
| 42 | कुर्रिया कला रोड से इमलिया से मरैना |
| 43 | गौरी खुर्द से सिढ़रा |
| 44 | रावतपुर से टाण्डा पर्वतपुर |
| 45 | टिकरी फाटक से घुसगवां |
| 46 | सीतापुर मार्ग से जमुका |
| 47 | न्यामतपुर से होते हुए बिजली विझाड़ा |
| 48 | तहवरगंज पथवारिन मार्ग से दिलावरपुर भटखर |
| 49 | हनुमान मंदिर होते हुए सुखेलानाला |
| 50 | सीतापुर रोड से जलालपुर |
| 51 | जलालाबाद मार्ग से ढुकरी |
| 52 | पराझरसा से बरैचा |
| 53 | बिलन्दापरु रेलवे फाटक से महोलिया |
| 54 | अजीजगंज भरगवां चौहनापुर रोड से दुधौना |

| क्र0सं0 | मार्ग का नाम |
|---|---|
| 55 | कनेंग से साहबदादपुर नेवादा |
| 56 | मल्हाहपुर से कौढ़ा जाने वाले गांव के दक्षिण पश्चिम प्राइमरी पाठशाला |
| 57 | समाधाना संतोषपुर मार्ग से भुसौरी |
| 58 | ढकियारघा त्रिलोकपुर मार्ग से कबीरचक |
| 59 | रानी खिरिया कुकहा मार्ग से चकुलिया होते शमसानघाट |
| 60 | ग्वार ईट भट्ठा होते हुए अहिजा मोहनपुर |
| 61 | मघौटिया से मघौटा |
| 62 | कटरा जलालाबाद मार्ग से हिकड़ापुर |
| 63 | शारदा कैनाल की पटरी से टाह बनारस |
| 64 | कटरा किसान सहकारी समिति से शिवदासपुर |
| 65 | मोहनपुर से भौरखेड़ा |
| 66 | पुवायां मोहम्मदी मार्ग से लालपुर जमीने जेवा होते हुए ककरौआ चौराहा |
| 67 | बण्डा पूरनपुर मार्ग से सिंगापुर पनई होते हुए सिकरहनिया |
| 68 | करनापुर पैतापुर मार्ग पक्के मार्ग से गुरुद्वारा तक |
| 69 | भीकमपुर पक्के मार्ग से भौरखेड़ा |
| 70 | पड़रिया दलेलपुर पक्के मार्ग से सहजनिया |
| 71 | खुटार मैलानी मार्ग से हरिपुर गुरुद्वारा कलेक्टरपुर |
| 72 | भिटिया मार्ग से उदरा मोड़ |
| 73 | ढका घनश्याम मार्ग से बिराहना |
| 74 | नाहिल रोड से टुर्रा गुलोली |
| 75 | उदयपुर खखरा से कांधरपुर मार्ग |
| 76 | जेबा से चीनी मिल |
| 77 | बबरा से रक्शा |
| 78 | अगौना बुजुर्ग से फतेहपुर मार्ग |
| 79 | खुटार मैलानी मार्ग से रामपुर जसवंतनगर |
| 80 | अनावा से पसिया खेड़ा |
| 81 | खण्डपानी खखरा मार्ग से मदारपुर मार्ग |
| 82 | जेबा मार्ग से सुजानपुर |
| 83 | बिलसण्डा रोड से भगवंतपुर से आमा होते हुए बिरहाने मार्ग |
| 84 | सुनासरनाथ से डुडवा |

| क्र0सं0 | मार्ग का नाम |
|---|---|
| 85 | खरखरा बुजुर्ग से तेंदुआ होते हुए गंगसरा मार्ग |
| 86 | पुवाया निगोही मार्ग से घनश्यामपुर खुर्द मार्ग |
| 87 | शाहजहांपुर मार्ग से भटपुरा चन्द्र मार्ग |
| 88 | पी0एस0एच0एल0 मार्ग से मुड़िया वैश्य |
| 89 | नगरिया प्रयाग से भइखेड़ा उदारा पटवा होते हुए सिसैया की ओर |
| 90 | बण्डा खुटार मार्ग से भूपतपुर रायपुर मार्ग |
| 91 | इटौली से जझौली |
| 92 | खुटार मार्ग से सिकलापुर से अण्डहा होते हुए पिपरिया भगवन्तपुर मार्ग |
| 93 | रायपुर से कुम्भीय वाया रठिया मार्ग |
| 94 | भौर खेड़ा खुर्द से कुण्डरा |
| 95 | पुवायां खुटार मार्ग पर बितौनी भट्ठे से टकेली |
| 96 | उदना से करनापुर पैंतापुर |
| 97 | दिउरिया तेदुआ फर्म से गदायी साण्डा होते हुए गुरुनानक उ0मा0 विद्यालय |
| 98 | नवदिया नवाजपुर पी0डब्लू0डी0 मार्ग से बरुआ ररुआ |
| 99 | बण्डा खुटार मार्ग पर गुरुद्वारा मोड़ से जुकमानपुर बहेड़ा |
| 100 | नवीनगर पुल से नवदिया बंकी पश्चिम स्कूल |
| 101 | सुजानपुर से चकदाह |
| 102 | बण्डा खुटार मार्ग पर गुरुद्वारा मोड़ से जुकमानपुर बहेढ़ा का अवशेष |
| 103 | नवीनगर पुल से नवदिया बंकी पश्चिम स्कूल का अवशेष |
| 104 | टकेली मार्ग से मिल्किया |
| 105 | अ0ग्राम खुटार मैलानी मार्ग से महरानीगंज चतुर्पुरा मार्ग से बरगदिया |
| 106 | सनाय लिंक रोड से बाराखुर्द (बाराकलां) |
| 107 | याकूबपुर से एलमनगर |
| 108 | कलान में लक्ष्मणपुर से बजीरापुर |
| 109 | भौती से कीलापुर (ब्लाक मीरजापुर) |
| 110 | बगरखेत से गुलौसी |
| 111 | बनागांव से दोषपुर |
| 112 | कटरा जलालाबाद मार्ग से डोलापुर |
| 113 | दरिया रोड से बिरिया |
| 114 | अल्हापुर बिलग्राम रोड से मानगढ़ |
| 115 | अल्हापुर बिलग्राम से रमापुर बझेड़ा |

## नत्थी 'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0-104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73-74 पर)

**2008 से 15 जनवरी, 2011 तक**

**35 वर्ष से कम आयु पर पुनः विवाह करने पर लाभार्थियों की सूची**

**जनपद का नाम-बागपत**

| क्र0सं0 | लाभार्थियों के नाम व पते | आवंटित धनराशि रु0 में |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती सुनन पत्नी श्री जगमोहन निवासी कस्बा खेकड़ा जिला-बागपत | 11,000/- |
| 2 | श्रीमती रीतादेवी पत्नी श्री संदीप कुमार नि0 अमीनगर सराय, जिला-बागपत | 11,000/- |
| 3 | श्रीमती भूरी पत्नी शादाब निवासी अमीनगर सराय, जिला-बागपत | 11,000/- |
| 4 | श्रीमती बानो पत्नी श्री इदरीश निवासी अमीनगर सराय, जिला-बागपत | 11,000/- |
| 5 | श्रीमती सुनिता पत्नी श्री पूरण निवासी कस्बा, खेकड़ा जिला-बागपत | 11,000/- |
| 6 | श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री नरेन्द्र त्यागी निवासी रावण उर्फ बड़ागांव जिला-बागपत | 11,000/- |
| 7 | श्रीमती शिमला पत्नी श्री राजेन्द्र निवासी शबगा, जिला-बागपत | 11,000/- |
| 8 | श्रीमती खातून पत्नी मुस्तकीम निवासी कस्बा, बागपत, जिला-बागपत | 11,000/- |
| 9 | श्रीमती मोमीना पत्नी श्री जावेदन निवासी अहमदपुर गठौना जिला-बागपत | 11,000/- |
| 10 | श्रीमती रिडाना पत्नी हबीब निवासी लुहारा, जिला-बागपत | 11,000/- |
| 11 | श्रीमती प्रवीन पत्नी सुबेब निवासी ग्राम-जुहारा, जिला-बागपत | 11,000/- |
| 12 | श्रीमती अकलेश पत्नी विकास निवासी अमीनगर सराय, जिला-बागपत | 11,000/- |
| 13 | श्रीमती सरिता पत्नी विकास निवासी लुहारा, जिला-बागपत | 11,000/- |
| 14 | श्रीमती लता पत्नी विरेन्द्र निवासी गुराना रोड बड़ौत जिला-बागपत | 11,000/- |
| 15 | श्रीमती कमलेश पत्नी श्री संजीव कुमार निवासी जौनमाना जिला-बागपत | 11,000/- |
| | **कुल :** | **1.65 लाख** |

## 35 वर्ष से कम आयु पर पुनः विवाह करने पर लाभार्थियों की सूची

**जनपद का नाम-फिरोजाबाद**

| क्र0सं0 | लाभार्थियों के नाम व पते | आवंटित धनराशि रु0 में |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती गिरजा देवी पत्नी दीवान सिंह बेलमपुरी जसराना जिला-फिरोजाबाद | 11,000/- |
| 2 | श्रीमती ऊषा पत्नी श्री इन्द्रवीर जाट जिला फिरोजाबाद | 11,000/- |
| 3 | श्रीमती सुधा पत्नी श्री आदित्य कुमार टेनाहर्षा | 11,000/- |
| 4 | श्रीमती फूलदेवी पत्नी विजयवीर कटैनाहर्षा | 11,000/- |
| 5 | श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री महेश डडियामई | 11,000/- |
| 6 | श्रीमती स्वागतवती पत्नी लायक सिंह नारखीताल्लूका | 11,000/- |
| 7 | श्रीमती विशुन देवी पत्नी रवीन्द्र कुमार कौरारा | 11,000/- |
| 8 | श्रीमती सूरजमुखी पत्नी बलवन्त सिंह ईखअवागढ़ | 11,000/- |
| 9 | श्रीमती सुशीला देवी पत्नी भारत सिंह न0 पर्दमन | 11,000/- |
| 10 | श्रीमती राकेश कुमारी पत्नी वीरपाल न0 भवन | 11,000/- |
| 11 | श्रीमती गीता देवी पत्नी अमृत कुमार, न0 जाट | 11,000/- |
| 12 | श्रीमती फूलन देवी पत्नी माधव सिंह न0 खजुरिया | 11,000/- |
| 13 | श्रीमती गोमती पत्नी श्री सत्यवीर सिंह न0 पर्दमन | 11,000/- |
| 14 | श्रीमती शालिनी देवी पत्नी दर्शन सिंह निजामपुर | 11,000/- |
| 15 | श्रीमती देवश्री पत्नी श्री देवी सिंह न0 हरी सिंह | 11,000/- |
| 16 | श्रीमती कुसुमा देवी पत्नी श्री प्रमोद रहचटी | 11,000/- |
| 17 | श्रीमती फूलक टोरी पत्नी श्री राजबहादुर न0 हरी सिंह | 11,000/- |
| 18 | श्रीमती बाल देवी पत्नी चन्द्रमोहन जाजूमई | 11,000/- |
| 19 | श्रीमती सुनीता देवी पत्नी ईतराम बिदरखा | 11,000/- |
| 20 | श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री मोहन सिंह डडियामई | 11,000/- |
| 21 | श्रीमती ममता पत्नी श्री लालाराम बड़ागांव | 11,000/- |
| | **कुल :** | **2.31 लाख** |

## 35 वर्ष से कम आयु पर पुनः विवाह करने पर लाभार्थियों की सूची

**जनपद का नाम-आगरा**

| क्र0सं0 | लाभार्थियों के नाम व पते | आवंटित धनराशि रु0 में |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती गीता पत्नी श्री ओनी निवासी 31/210 नगला छिददा आगरा। | 11,000/- |
| 2 | श्रीमती सुनीता पत्नी श्री लोकेन्द्र सिंह ग्राम नगला नाथ शमसाबाद, आगरा। | 11,000/- |
| 3 | श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी पोप सिंह ग्राम पुरानी टेडी बगिया, आगरा। | 11,000/- |
| 4 | श्रीमती श्रीमती पत्नी देवेन्द्र कुमार ग्राम गढ़ी जीवनलाल आगरा। | 11,000/- |
| 5 | श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री राम नारायन ग्राम मो0 इस्लामनगर आगरा। | 11,000/- |
| 6 | श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री सत्य प्रकाश ग्राम मवौली कलां फ0 सीकरी आगरा। | 11,000/- |
| 7 | श्रीमती बिनीता पत्नी श्री हरी सिंह ग्रा0 सतता एत्मादपुर आगरा। | 11,000/- |
| 8 | श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री पप्पू सिंह ग्रा0 एत्मादपुर आगरा। | 11,000/- |
| 9 | श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम नगला हुलसा एत्मादपुर आगरा। | 11,000/- |
| 10 | श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री महेश मो0 नई बस्ती, नाला बुढान सैयद आगरा। | 11,000/- |
| 11 | श्रीमती नीतू पत्नी श्री जीतू ग्राम 35/15, नगला भवानी सिंह आगरा। | 11,000/- |
| 12 | श्रीमती लज्जावती पत्नी श्री महेश चन्द्र मो0 12/03 बारह खम्भा आगरा। | 11,000/- |
| 13 | श्रीमती प्रीती पत्नी श्री कुंवर पाल मो0 सत्ता, जादवान एत्मादपुर आगरा। | 11,000/- |
| 14 | श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह ग्राम गढ़ी जीवनलाल एत्मादपुर आगरा। | 11,000/- |
| 15 | श्रीमती बाबी देवी पत्नी श्री सुशील कुमार ग्राम पुरानी टेडी बगिया एत्मादपुर आगरा। | 11,000/- |
| 16 | श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री पप्पू, ग्राम पुरानी टेढ़ी बगिया, एत्मादपुर आगरा। | 11,000/- |

| क्र0सं0 | लाभार्थियों के नाम व पते | आवंटित धनराशि रु0 में |
|---|---|---|
| 17 | श्रीमती बबीता पत्नी श्री पप्पू सिंह ग्राम गढ़ी जीवन लाला आगरा। | 11,000/- |
| 18 | श्रीमती मालती पत्नी श्री मनीष कुमार ग्राम व डा0 तेहरा सैया आगरा। | 11,000/- |
| 19 | श्रीमती रनिया पत्नी श्री ईश्वरी प्रसाद ग्राम नगला छाहरी आगरा। | 11,000/- |
| 20 | श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री राजवीर सिंह ग्राम नगला नाच दिगनेर आगरा। | 11,000/- |
| 21 | श्रीमती शशीकला पत्नी श्री राम प्रकाश ग्राम 5/57, टीला बाबूगंज आगरा। | 11,000/- |
| 22 | श्रीमती चांदनी पत्नी श्री बबलू ग्राम रामपुर थिमिसी फतेहाबाद आगरा। | 11,000/- |
| 23 | श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह ग्राम ठोरेठा नं0-2 आगरा। | 11,000/- |
| | **कुल :** | **2.53 लाख** |

## 35 वर्ष से कम आयु पर पुनः विवाह करने पर लाभार्थियों की सूची

**जनपद का नाम-इटावा**

| क्र0सं0 | लाभार्थियों के नाम व पते | आवंटित धनराशि रु0 में |
|---|---|---|
| 1 | श्री श्रीचन्द्र एवं सरला देवी नि0 ग्राम जगन्नाथपुर इटावा। | 11,000/- |
| 2 | श्री गोविन्द सिंह एवं सुशीला देवी नि0 जगमोहनपुरा इटावा। | 11,000/- |
| 3 | श्री अरविन्द पाल सिंह एवं श्रीमती सीमापाल सिंह नि0 चन्दपुरा निहाल इटावा। | 11,000/- |
| 4 | श्री शिशुपाल सिंह एवं श्रीमती शान्ति देवी नि0 इन्दौरी इटावा। | 11,000/- |
| 5 | श्री जसराज सिंह एवं श्रीमती कठश्री सिंह हीरे इटावा। | 11,000/- |
| 6 | श्री रामचन्द्र सिंह एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी नि0 खोजीपुरा इटावा। | 11,000/- |
| 7 | श्री विनोद कुमार एवं श्रीमती मुन्नी देवी नि0 दुलारीपुर लुइन्ना इटावा। | 11,000/- |
| 8 | श्री दीपक एवं श्रीमती सविता नि0 साढ़ी इटावा। | 11,000/- |
| 9 | श्री राजन राय एवं श्रीमती अर्चना तिवारी नि0 आदर्शनगर भरथना, इटावा | 11,000/- |
| 10 | श्री दयाराम एवं श्रीमती सरिता देवी नि0 गुलाबबाखी जसवन्तनगर इटावा। | 11,000/- |
| 11 | श्री रामसेवक एवं श्रीमती बन्दना नि0 गुलाबबाखी जसवन्तनगर, इटावा। | 11,000/- |
| 12 | श्री अनिल कुमार एवं श्रीमती अलका नि0 दसरेउर इटावा। | 11,000/- |
| 13 | श्री चन्द्र प्रकाश एवं श्रीमती सुशीला नि0 भड़पुरा इटावा। | 11,000/- |
| 14 | श्री अवध बिहारी एवं श्रीमती कुसमा देवी नि0 मुकुटपुरा, इटावा। | 11,000/- |
| 15 | श्री रमेश चन्द्र एवं श्रीमती रागिरी देवी नि0 लहसई इटावा। | 11,000/- |
| 16 | श्री भूरे सिंह एवं श्रीमती राजकुमारी नि0 न0दान सहाय भरथना इटावा। | 11,000/- |
| 17 | श्री सतीश बानों एवं श्रीमती सुमन कुमारी नि0 विरारी इटावा। | 11,000/- |
| 18 | श्री सुशील कुमार एवं श्रीमती रेखा नि0 जसलोकपुरा, इटावा। | 11,000/- |
| 19 | श्री रविन्द्र कुमार श्रीमती कुवारी नि0 जकीर नगर, इटावा। | 11,000/- |
| 20 | श्री छोटे लाल एवं श्रीमती तुलसी सिंह नि0 नसैया विलमानी, इटावा। | 11,000/- |
| 21 | श्री दिनेश सिंह एवं श्रीमती | 11,000/- |
| 22 | श्री संतोष कुमार एवं श्रीमती माया शुक्ला 63 पुरोहितन टोला, इटावा। | 11,000/- |

| क्र0सं0 | लाभार्थियों के नाम व पते | आवंटित धनराशि रु0 में |
|---|---|---|
| 23 | श्री रविन्द्र कुमार एवं श्रीमती संजू देवी नि0 जुहन्ना तारेगपुरा इटावा। | 11,000/- |
| 24 | श्री रामकुमार एवं श्रीमती अनीता देवी नि0 सुवहर्ण इटावा। | 11,000/- |
| 25 | श्री लखान सिंह एवं श्रीमती प्रियंका वैरून कटरा सहाय खां, इटावा। | 11,000/- |
| 26 | श्री उदय सिंह एवं श्रीमती विनीता नि0 गुरैया बरहो ढकपुरा इटावा। | 11,000/- |
| 27 | श्री शिवशंकर एवं श्रीमती संगीता नि0 दुर्गापुरा इटावा। | 11,000/- |
| 28 | श्री सर्वेश कुमार एवं श्रीमती रानी दवी नि0 ढकपुरा, इटावा। | 11,000/- |
| 29 | श्री विमलेश कुमार एवं श्रीमती पुष्पा देवी नि0 इटावा | 11,000/- |
| | **कुल :** | **3.19 लाख** |

## नत्थी 'घ'

(देखिये अता0प्र0सं0-128 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर)

**सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स योजनान्तर्गत (एक्सपोजर विजिट इण्टर स्टेट) वर्ष 2008-09 में प्रदेश के बाहर अध्ययन एवं भ्रमण हेतु भेजे गये जनपद के कृषकों की सूची**

**जनपद-रायबरेली**

| क्र0सं0 | कृषक का नाम | पिता का नाम | पता | विकास खण्ड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सर्वश्री बोध कुमार सिंह | सर्वश्री सुन्दर सिंह | ग्राम व पो0 कनौली | राही |
| 2 | राजकुमार | मोहनलाल | ग्राम व पो0 सतॉव | सतॉव |
| 3 | गिरिजाबक्श सिंह | भानुबक्श सिंह | ग्राम-धनेसरी खिजिपुर करौंदी, पो0-हरचन्दपुर | हरचन्दपुर |
| 4 | भानु प्रताप सिंह | सूर्यबक्श सिंह | ग्राम व पो-इचौली | बछरांवा |
| 5 | रामलखन सिंह | जगन्नाथ सिंह | ग्राम-इटौराबुजुर्ग पो0-रोहनियॉ | रोहनियॉ |

**आत्मा योजनान्तर्गत संचालित 'सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स' योजना वर्ष 2009-10 में कार्ड संस्था के माध्यम से एक्सपोजर विजिट आउट ऑफ स्टेट में जाने वाले कृषकों की सूची**

| क्र0सं0 | नाम | पिता का नाम | जाति | पता | विकास खण्ड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री जितेन्द्र सिंह | श्री राजबहादुर सिंह | सा0 | रतासों | सलोन |
| 2 | श्री वेद प्रकाश | श्री बैजनाथ | सा0 | कालूतालपुर | सलोन |
| 3 | श्री बाबूलाल | श्री बिन्दादीन | सा0 | पूरेखीली | रोहनियां |
| 4 | श्री राम नरेश | श्री शिवहर्ष | सा0 | पूरेखीली | रोहनियां |
| 5 | श्री रामस्वरूप | श्री रामचरन | सा0 | पूरेखीली | रोहनियां |
| 6 | श्री अखिलेश कुमार | श्री दशरथ लाल | सा0 | रायपुर | रोहनियां |
| 7 | श्री शशांकमोल पाण्डेय | श्री कालिका प्रसाद पाण्डेय | सा0 | रायपुर | रोहनियां |
| 8 | श्री मुरली मनोहर | श्री गुरुदीन | सा0 | बारधमें | तिलोई |
| 9 | श्री रश्मि मोहन चौरसिया | श्री भोमनरायन | सा0 | चेतरा | तिलोई |
| 10 | श्री बीर बहादुर सिह | श्री दानबहादुर सिंह | सा0 | रमई | तिलोई |
| 11 | श्री राकेश कुमार | श्री अर्जुन प्रसाद | सा0 | रमई | तिलोई |
| 12 | श्री राजेश सिंह | श्री त्रिभुवन सिंह | सा0 | सैम्बसी | तिलोई |
| 13 | श्री अजय कुमार | श्री रमाकान्त | सा0 | पुरासी | महराजगंज |
| 14 | श्री रविशंकर | श्री रामअवध | सा0 | पाराखुर्द | महराजगंज |
| 15 | श्री रामदास | श्री शिवबालक | सा0 | अतरेहटा | महराजगंज |
| 16 | श्री बैजनाथ | श्री रामेश्वर | सा0 | मोन | महराजगंज |
| 17 | श्री मुन्ना सिंह | श्री तेज बहादुर सिंह | सा0 | हसनपुर | महराजगंज |
| 18 | श्री अयोध्या प्रसाद | श्री परीदीन | सा0 | रसूलपुर | बछरावां |
| 19 | श्री रामलखन | श्री रामलाल | सा0 | मलपुर | बछरावां |
| 20 | श्री राजकुमार | श्री परशुराम पटेल | सा0 | दोस्तपुर | बछरावां |
| 21 | श्री नागेश्वर प्रसाद | श्री कन्हैयालाल | सा0 | सरौरा | बछरावां |
| 22 | श्री राजकिशोर | श्री रामकिशुन गुप्ता | सा0 | भवानीगढ़ | बछरावां |
| 23 | श्री मायाराम वर्मा | श्री सन्तबक्श वर्मा | सा0 | भवानीगढ़ | बछरावां |
| 24 | श्री रामविलाश चौधरी | श्री श्री भगवान दास | सा0 | इसिया | बछरावां |

| क्र0सं0 | नाम | पिता का नाम | जाति | पता | विकास खण्ड |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | श्री रघुनाथ प्रसाद पटेल | श्री शत्रुहन प्रसाद | सा0 | इसिया | बछरावां |
| 26 | श्री हरशिंकर | श्री राम अवध | सा0 | इसिया | बछरावां |
| 27 | श्री गयाप्रसाद | श्री सन्तलाल | सा0 | इसिया | बछरावां |
| 28 | श्री मनबोध | श्री बैजनाथ | सा0 | डबकापीढ़ी | बहादुरपुर |
| 29 | श्री रामकिशोर | श्री राम प्रसाद | सा0 | डबकापीढ़ी | बहादुरपुर |
| 30 | श्री रामनेवाज | श्री ठाकुरदीन | सा0 | डबकापीढ़ी | बहादुरपुर |
| 31 | श्री प्रभुदयाल | श्री चन्द्रपाल | सा0 | डबकापीढ़ी | बहादुरपुर |
| 32 | श्री घनश्याम | श्री रामनेवाज | सा0 | डबकापीढ़ी | बहादुरपुर |
| 33 | श्री उमाशंकर मौर्य | श्री रामप्रसाद मौर्य | सा0 | पीढी | बहादुरपुर |
| 34 | श्री गयाप्रसाद | श्री भगौती प्रसाद | सा0 | हेवतहानेवड़िया | जगतपुर |
| 35 | श्री जगदीश सिंह | श्री महिपाल सिंह | सा0 | हेवतहानेवड़िया | जगतपुर |
| 36 | श्री गयादीन | श्री मंगल | सा0 | जगतपुर | जगतपुर |
| 37 | श्री कप्तानसिंह | श्री शीतलाबक्श सिंह | सा0 | उमरामऊ | डलमऊ |
| 38 | श्री नागेन्द्र बहादुर सिंह | श्री श्रीराम सिंह | सा0 | खरगपुरसौतला (एहा) | डलमऊ |
| 39 | श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह | श्री शिवबहादुर सिंह | सा0 | बसन्तपुर कठोइया | डलमऊ |
| 40 | श्री मनोजकुमार सिंह | श्री कालिकाबक्श सिंह | सा0 | कठगर | डलमऊ |
| 41 | श्री बृजेश कुमार | श्री बाबूलाल | सा0 | सावांपुर | ऊंचाहार |
| 42 | श्री कालीचरन | श्री शीतलादीन | सा0 | खरौली | ऊंचाहार |
| 43 | श्री सुधासुंधर सिंह | श्री बजरंगबहादुर सिंह | सा0 | सरायसहिजन | ऊंचाहार |
| 44 | श्री रामकुमार | श्री श्रीराम सेवक | सा0 | किरवाहार | ऊंचाहार |
| 45 | श्री राधेश्याम पाल | श्री दातादीन पाल | सा0 | अरखा | ऊंचाहार |
| 46 | श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह | श्री रघुराज सिंह | सा0 | छतोह | छतोह |
| 47 | श्री सतीश श्रीवास्तव | श्री जुगलकिशोर | सा0 | परेयानमकसार | छतोह |
| 48 | श्री विनोद कुमार | श्री कल्लू | सा0 | सण्डहा | छतोह |
| 49 | श्री अजय कुमार | श्री बिहारी लाल | सा0 | बेढ़ौना | छतोह |

| क्र0सं0 | नाम | पिता का नाम | जाति | पता | विकास खण्ड |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | श्री मनीष कुमार | श्री रामस्वरूप श्रीवास्तव | सा0 | परैयानमकसार | छतोह |
| 51 | श्री शिवचन्द्र | श्री जगन्नाथ | सा0 | चौपरा | अमावां |
| 52 | श्री मिज्जन खां | श्री बाबू खां | सा0 | खैरहना | अमावां |
| 53 | श्री उदयकुमार | श्री हीरालाल | सा0 | पहरेमऊ | अमावां |
| 54 | श्री हरिकिशन | श्री गुरुदीन | सा0 | पूरेदीना | अमावां |
| 55 | श्री बासुदेव सिंह | श्री रामगोपाल सिंह | सा0 | दाउदनगर | अमावां |
| 56 | श्री मो0 हनीफ | श्री अब्दुल लतीफ | सा0 | सन्दीनागिन | अमावां |
| 57 | श्री अनन्तराम मिश्रा | श्री मुकुट प्रसाद मिश्रा | सा0 | टेकारीदादू | डीह |
| 58 | श्री अखिलेश कुमार | श्री शंकरलाल | सा0 | सरायमानिक | डीह |
| 59 | श्री चन्द्रिका प्रसाद मौर्या | श्री अयोध्या प्रसाद | सा0 | डीह | डीह |
| 60 | श्री उमेश कुमार | श्री रमेश बहादुर यादव | सा0 | अहल | डीह |
| 61 | श्री अर्जुनसिंह भदौरिया | श्री गुलाबबक्श सिंह | सा0 | जैतपुर | सिंहपुर |
| 62 | श्री विजयकुमार | श्री तीरथराम | सा0 | पिपरीअहमदाबाद | सिंहपुर |
| 63 | श्री अर्जुनसिंह मौर्य | श्री छोटेलाल | सा0 | सिंहपुर | सिंहपुर |
| 64 | श्रीमती सुशीला | श्री रामप्रताप | सा0 | सिंहपुर | सिंहपुर |
| 65 | श्री सज्जन | श्री जगदेव | सा0 | पेड़रिया | सिंहपुर |
| 66 | श्री देवीबक्श सिंह | श्री शिवराम सिंह | सा0 | मोहम्मदमऊ | हरचंदपुर |
| 67 | श्री नियाजमोहम्मद | श्री नजरमोहम्मद | सा0 | उफरापुर | हरचंदपुर |
| 68 | श्री महेश सिंह | श्री परशुराम सिंह | सा0 | बछरावां | बछरावां |
| 69 | श्री ओमदत्त चौधरी | श्री छेदालाल | सा0 | बछरावां | बछरावां |
| 70 | श्री महादेव प्रसाद | श्री शिवचरन | सा0 | सरौरा | बछरावां |
| 71 | श्री गिरिजाशंकर | श्री माता प्रसाद | सा0 | बछरावां | बछरावां |
| 72 | श्री शिवेन्द्र सिंह | श्री रघुराज सिंह | सा0 | बछरावां | बछरावां |
| 73 | श्री रमेश कुमार | स्व0 श्री सत्यनरायन | सा0 | बछरावां | बछरावां |
| 74 | श्री रमेश कुमार | श्री रामप्रसाद | सा0 | नरहरपुर | दीनशाहगौरा |
| 75 | श्री इन्द्रमोहन | श्री हनोमान | सा0 | हजरतपुर | दीनशाहगौरा |

| क्र0सं0 | नाम | पिता का नाम | जाति | पता | विकास खण्ड |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | श्री शिवकुमार | श्री शिवप्रसाद | सा0 | अलीपुर | दीनशाहगौरा |
| 77 | श्री बाबादीन चौधरी | श्री विश्वनाथ | सा0 | दरीबा | सतांव |
| 78 | श्री दिनेश त्रिवेदी | श्री लक्ष्मीशंकर | सा0 | दरीबा | सतांव |
| 79 | श्री यशकरन | श्री गुरू प्रसाद | सा0 | दरीबा | सतांव |
| 80 | श्री रामदीन | श्री बड़कऊ | अनु0 | डुमटहर | खीरों |
| 81 | श्री सुशील कुमार | श्री सुखलाल | अनु0 | दुकनहा | खीरों |
| 82 | श्री अवधेश कुमार | श्री बृजलाल | सा0 | अहिलवा | खीरों |
| 83 | श्री मो0 नसीम | श्री मो0 असलम | सा0 | भितरी | खीरों |
| 84 | श्री राकेश यादव | श्री शिव दुलारे | सा0 | नयाखेड़ा | खीरों |
| 85 | श्री त्रियुगी नारायण सिंह | श्री शमशेर सिंह | सा0 | बलामऊ | लालगंज |
| 86 | श्री काशी प्रसाद पाण्डेय | श्री सत्य नारायण | सा0 | गुरू का पुरवा | लालगंज |
| 87 | श्री उदयराज सिंह | श्री राम नरायण सिंह | सा0 | देवपुर | लालगंज |
| 88 | श्री राज नरायण सिंह | श्री शमशेर सिंह | सा0 | बन्नामऊ | लालगंज |
| 89 | श्री हरिपत | श्री पूरन | अनु0 | दुकनहा | लालगंज |
| 90 | श्री महेन्द्र प्रताप सिंह | श्री वीरपाल सिंह | सा0 | पिथूपुर | सरेनी |
| 91 | श्री वृन्दावन | श्री चन्द्रशेखर | सा0 | पिथूपुर | सरेनी |
| 92 | श्री बलराम यादव | श्री सुखराम | सा0 | दतौली | सरेनी |
| 93 | श्री जागेश्वर सिंह | श्री गया प्रसाद | सा0 | पूरेगम्भीर | सरेनी |
| 94 | श्री विनोद सिंह | श्री द्वारिका सिंह | सा0 | हैबतपुरखुर्द | सरेनी |
| 95 | श्री श्रीराम | श्री | सा0 |  | राही |

## नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0प्र0सं0-136 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर)

जिला विज्ञान क्लब, रायबरेली

एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम

**वर्ष 2009-10**

| क्र0सं0 | कृषक का नाम | पिता/पति का नाम | पता | ब्लाक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती विमलेश कुमारी | श्री सुनील कुमार | केवलपुर पो0 इटौरा बुजुर्ग, रायबरेली | ऊंचाहार |
| 2 | श्रीमती हेमावती | श्री मेवालाल | खजुरी पो0 इटौरा | सतांव |
| 3 | कु0 शालिनी सिंह | श्री रावेन्द्र सिंह | ग्रा0 व पो0 इटौरा बुजुर्ग, रायबरेली | ऊंचाहार |
| 4 | श्रीमती मंजू मौर्या | श्री विजय कुमार | ग्रा0 जलालपुर पो0 इटौरा, रायबरेली | सतांव |
| 5 | श्रीमती रीता देवी | श्री रमेश कुमार | ग्रा0 रम्मन का झोर, इटौरा | सतांव |
| 6 | श्रीमती ऊषा देवी | श्री सूरज प्रकाश | ग्रा0 पूरे भुसई, इटौरा | सतांव |
| 7 | श्रीमती किरन देवी | श्री कमलेश कुमार | ग्रा0 पूरे भुसई, इटौरा | सतांव |
| 8 | श्रीमती शिव कुमारी | श्री तेज बहादुर सिंह | ग्रा0 बंजरिया इटौरा | सतांव |
| 9 | श्रीमती उर्मिला | श्री बलिकरन सिंह | ग्रा0 बंजरिया इटौरा | सतांव |
| 10 | श्रीमती प्रभावती | श्री हरिकेश सिंह | ग्रा0 बंजरिया इटौरा | सतांव |
| 11 | श्रीमती रीता सिंह | श्री राकेश सिंह | ग्रा0 बंजरिया इटौरा | सतांव |
| 12 | श्रीमती निर्मला देवी | श्री इन्द्रेश कुमार | असलाहपुर पो0 सवैया हसन | ऊंचाहार |
| 13 | श्रीमती नीशू | श्री विश्राम | ग्रा0 कोला हैवतपुर पो0 मेजरगंज | राही |
| 14 | श्रीमती महदेई | श्री छोटे लाल | ग्रा0 बग्घा पो0 भीलमपुर | ऊंचाहार |
| 15 | श्रीमती कलावती | श्री सरनाम सिंह | ग्रा0 बग्घा पो0 भीलमपुर | ऊंचाहार |
| 16 | श्रीमती विमलेश सिंह | श्री राजबहादुर सिंह | ग्रा0 पूरनमऊ, पो0 भीलमपुर | ऊंचाहार |
| 17 | कु0 सरोजनी सिंह | श्री कंचन सिंह | ग्रा0 पूरनमऊ, पो0 भीलमपुर | ऊंचाहार |
| 18 | श्रीमती प्रेमलता | श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी | ग्रा0 पूरनमऊ, पो0 भीलमपुर | रोहनिया |

| क्र0सं0 | कृषक का नाम | पिता/पति का नाम | पता | ब्लाक |
|---|---|---|---|---|
| 19 | श्रीमती सुमन | श्री धुन्नू | ग्रा0 निवारन रायबरेली | रोहनिया |
| 20 | श्री कृष्ण बहादुर सिंह | श्री दशरथ सिंह | ग्रा0 व पो0 इटौरा बुजुर्ग, रायबरेली | ऊंचाहार |
| 21 | श्री विजय प्रताप सिंह | श्री दृगपाल सिंह | ग्रा0 व पो0 इटौरा बुजुर्ग, रायबरेली | ऊंचाहार |
| 22 | श्री समर बहादुर सिंह | श्री कुंवर सिंह | ग्रा0 व पो0 इटौरा बुजुर्ग, रायबरेली | ऊंचाहार |
| 23 | श्री सुरेश कुमार | श्री राममोहन | ग्रा0 व पो0 इटौरा बुजुर्ग, रायबरेली | ऊंचाहार |
| 24 | श्री जीत बहादुर सिंह | श्री रामफल | पूरनमऊ, पो0 भीलमपुर | ऊंचाहार |
| 25 | श्रीमती कंचन सिंह | श्री नरसिंह बहादुर सिंह | पूरनमऊ, पो0 भीलमपुर | ऊंचाहार |
| 26 | श्री रामलोटन | श्री रामदास | ग्रा0 गौड़ा इटौरा | सतांव |
| 27 | श्रीपाल | श्री गुरू प्रसाद | खजुरी पो0 इटौरा | सतांव |
| 28 | श्री रामहरष | श्री ज्वाला | खजुरी पो0 इटौरा | सतांव |
| 29 | श्री विजय शंकर | श्री राम प्रताप | गुरूदीन का पुरवा इटौरा | सतांव |
| 30 | श्री अरुण कुमार | श्री सीताराम | गढ़ी बाबूगंज | रोहनिया |
| 31 | श्री रामशिरोमणि | श्री सुन्दरलाल | खजुरी पो0 इटौरा | सतांव |
| 32 | श्री राम मनोहर | श्री महावीर | तामसगढ़ ऐहारी | रोहनिया |
| 33 | श्री महेन्द्र सिंह | श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह | छिपिया, लक्ष्मीगंज | रोहनिया |
| 34 | श्री राम बहादुर | श्री शिवबालक | ग्रा0 चड़रई इटौरा | सतांव |
| 35 | श्री सालिक राम | श्री ननकू राम | ग्रा0 पूरे मोहन बाबूगंज | ऊंचाहार |
| 36 | श्री प्रकाश मिश्र | श्री उदित नरायन | ग्रा0 पूरे भुसई, इटौरा | सतांव |
| 37 | श्री रामनाथ | श्री गुरूदीन | ग्रा0 पूरे भुसई, इटौरा | सतांव |
| 38 | श्री रामनरेश | श्री सदाशिव | नरेन्द्र नगर इटौरा | सतांव |
| 39 | श्री सचीन्द्र कुमार | श्री गंगा प्रसाद | ग्रा0 व पो0 गंगहरा गुलाल | रोहनिया |
| 40 | श्री केशव कुमार | श्री मंगरे प्रसाद | ग्रा0 निवावर इटौरा | सतांव |
| 41 | श्री विमला प्रसाद | श्री राउरदीन | ग्रा0 मिश्रपुर बाबूगंज | ऊंचाहार |
| 42 | श्री ज्ञानेन्द्र सिंह | श्री संतोष सिंह | ग्रा0 पिपरी गंगेहरा | रोहनिया |

| क्र0सं0 | कृषक का नाम | पिता/पति का नाम | पता | ब्लाक |
|---|---|---|---|---|
| 43 | श्री हनुमान सिंह | श्री सूर्यपाल सिंह | ग्रा0 पिपरी गंगेहरा | रोहनिया |
| 44 | श्री राम खेलावन | श्री भारत | पूरे झमनी लक्ष्मीगंज | रोहनिया |
| 45 | श्री अखिलेश सिंह | श्री माता बदल सिंह | पूरे बनियन ईश्वरदासपुर | ऊंचाहार |
| 46 | श्री अनिल कुमार | श्री बनवारी लाल | पूरे बनियन ईश्वरदासपुर | ऊंचाहार |
| 47 | श्री शिवकुमार पाण्डेय | श्री रती पाल | चड़रई इटौरा | सतांव |
| 48 | श्री छोटेलाल सिंह | श्री राजबहादुर सिंह | भागीपुर, बाबूगंज | ऊंचाहार |
| 49 | श्री रामपदारथ | श्री मथुरा प्रसाद | रम्मन का झोर इटौरा | सतांव |
| 50 | श्री सत्यनरायन सिंह | श्री श्रीपति सिंह | अपटा इटौरा | सतांव |
| 51 | श्री भगौती सिंह | श्री भगवान सिंह | अपटा इटौरा | सतांव |
| 52 | श्री रामबरन सिंह | श्री चन्द्रभूषण सिंह | अपटा इटौरा | सतांव |
| 53 | श्री शिव प्रसाद | श्री विश्वनाथ | खालिकपुर बाबूगंज | ऊंचाहार |
| 54 | श्री सुखलाल | श्री रामसुचित | जलालपुर इटौरा | रोहनिया |
| 55 | कु0 सावित्री | श्री सियाराम | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 56 | कु0 पूनम | श्री लक्ष्मीशंकर | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 57 | कु0 नीलम | श्री राधेश्याम | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 58 | ललिता | श्री कृष्ण देव | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 59 | श्रीमती केमलपति | श्री बृजमोहन | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 60 | श्रीमती मंझिला | श्री बृजमोहन | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 61 | कंचन | श्री छोटे लाल | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 62 | सुखरानी | श्री शिवमोहन | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 63 | श्रीमती विद्यावती | श्री राम औतार | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 64 | श्रीमती रामदुलारी सिंह | श्री शिव बख्श सिंह | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 65 | श्रीमती सविता | श्री कृष्णदेव | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 66 | श्रीमती लीलावती | श्री छोटे लाल | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 67 | श्रीमती चन्दावती | श्री कृष्णदेव | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 68 | श्री जितेन्द्र कुमार | श्री छोटे लाल | कोरौलीदमां, डलमऊ | डलमऊ |
| 69 | श्री रामतीरथ | श्री जुगराज | पूरे लाल गौरा | गौरा |
| 70 | श्री स्वप्निल | श्री निलेश कुमार | गुरूगुजपुर गौरा | गौरा |
| 71 | श्री सुनील कुमार | श्री लक्ष्मीशंकर | पखरौली डलमऊ | डलमऊ |
| 72 | श्री सतीश कुमार | श्री केशव प्रसाद | कारौली डलमऊ | डलमऊ |

| क्र0सं0 | कृषक का नाम | पिता/पति का नाम | पता | ब्लाक |
|---|---|---|---|---|
| 73 | श्री राहुल दीक्षित | श्री राजकुमार | कारौली डलमऊ | डलमऊ |
| 74 | श्री रामअधार | श्री श्रीराम | कारौली डलमऊ | डलमऊ |
| 75 | श्री हीरालाल | श्री माताबदल | कारौली डलमऊ | डलमऊ |
| 76 | श्री रमनलाल | श्री सरजू प्रसाद | कारौली डलमऊ | डलमऊ |
| 77 | श्री सज्जन | श्री कृष्णदेव | कारौली डलमऊ | डलमऊ |
| 78 | श्री सुरेश | श्री राम प्रसाद | कारौली डलमऊ | डलमऊ |
| 79 | श्री छोटे लाल शर्मा | श्री रामफल शर्मा | कारौली डलमऊ | डलमऊ |
| 80 | श्री रामबहादुर यादव | श्री जागेश्वर | पूरे अड्डा कोरौली | डलमऊ |
| 81 | श्री विजय यादव | श्री बनवारी | पूरे भवानी कोरौली | डलमऊ |
| 82 | श्री रामनरेश यादव | श्री सुखनन्दन | पूरे भवानी कोरौली | डलमऊ |
| 83 | श्री रामबरन | श्री रामरतन | पूरे भवानी कोरौली | डलमऊ |
| 84 | श्री रामनरेश | श्री सूरजपाल | पूरे भवानी कोरौली | डलमऊ |
| 85 | श्री चन्द्रकान्त अवस्थी | श्री जगदीश | अटौरा, सतांव | सतांव |
| 86 | श्री अखिलेश कुमार | श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ल | शाहपुर सतावं | सतांव |
| 87 | श्री गयाशंकर | श्री जगन्नाथ | खलीलपुर डलमऊ | डलमऊ |
| 88 | श्री धर्मेन्द्र कुमार | श्री शीतलादीन | पूरे जनवारन कन्धरपुर | रोहनिया |
| 89 | श्री लाल बहादुर | श्री मिट्ठूलाल | पूरे भीटा डलमऊ | डलमऊ |
| 90 | श्री कुलदीप | श्री जगरूप सिंह | कोरौली डलमऊ | डलमऊ |
| 91 | श्री रामनरेश शुक्ल | श्री शिवकुमार | कोरौली डलमऊ | डलमऊ |
| 92 | श्री रामशंकर | श्री राममनोहर | कोरौली डलमऊ | डलमऊ |
| 93 | श्री सचिन | श्री इन्द्रमणि शुक्ल | कोरौली डलमऊ | डलमऊ |
| 94 | श्री सत्यनरायन यादव | श्री भगौती प्रसाद | पूरे भवानी कोरौली | डलमऊ |
| 95 | श्री अभिषेक | श्री इन्द्रमणि शुक्ल | कोरौलीदमां डलमऊ | डलमऊ |
| 96 | श्री विनय | श्री बजरंग गुप्ता | पूरे कप्तान राही | राही |
| 97 | श्री अवधेश मिश्र | श्री मुकुट प्रसाद मिश्र | पूरे नरायन डीह | डीह |
| 98 | श्री राम सजीवन बीडीसी | श्री बिन्दादीन | पूरे नरायन डीह | डीह |
| 99 | श्री उमेश तिवारी | श्री अनिरुद्ध तिवारी | पूरे नरायन डीह | डीह |
| 100 | श्री इन्द्रमणि शुक्ल | श्री जुगुल किशोर शुक्ल | कोरौलीदमां डलमऊ | डलमऊ |

| क्र0सं0 | कृषक का नाम | पिता/पति का नाम | पता | ब्लाक |
|---|---|---|---|---|
| 101 | श्री शिवमोहन मिश्र | श्री केशव प्रसाद मिश्र | बछरावां रायबरेली | बछरावां |
| 102 | श्री मनोज श्रीवास्तव | श्री शम्भू दयाल श्रीवास्तव | बछरावां रायबरेली | बछरावां |
| 103 | श्री कमलेश | श्री | डलमऊ रायबरेली | डलमऊ |
| 104 | श्री शमशेर सिंह | श्री चन्द्रबहादुर सिंह | खलीलपुर रायबरेली | डलमऊ |
| 105 | श्री राधेश्याम | श्री कलई | कोरौलीदमां डलमऊ | डलमऊ |
| 106 | श्री कृष्णकुमार | श्री राजाराम यादव | कोरौलीदमां डलमऊ | डलमऊ |
| 107 | श्री शिवनिरंजन | श्री अम्बिका प्रसाद शुक्ल | कोरौलीदमां डलमऊ | डलमऊ |
| 108 | श्री श्रीराम | श्री जागेश्वर | कोरौलीदमां डलमऊ | डलमऊ |
| 109 | श्री बदलूराम | श्री रामस्वरूप | कोरौलीदमां डलमऊ | डलमऊ |
| 110 | श्री संजय | श्री रामलाल | कोरौलीदमां डलमऊ | डलमऊ |

## नत्थी 'च'

(देखिये अता0प्र0सं0-147 का उत्तर पीछे पृष्ठ 94 पर)

**विभाग अन्तर्गत पशु चिकित्सा श्रेणी-2 के स्वीकृत/कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण**

| क्र0सं0 | मण्डल/जनपद का नाम | जनपद में कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत अधिकारी | कुल रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **मेरठ मण्डल** | | | |
| | मेरठ | 32 | 30 | 2 |
| | बागपत | 31 | 17 | 14 |
| | गौतमबुद्धनगर | 15 | 15 | - |
| | बुलन्दशहर | 40 | 31 | 9 |
| | गाजियाबाद | 29 | 28 | 1 |
| | **योग :** | **147** | **121** | **26** |
| **2** | **सहारनपुर मण्डल** | | | |
| | सहारनपुर | 29 | 24 | 5 |
| | मुजफ्फरनगर | 70 | 41 | 29 |
| | **योग :** | **99** | **65** | **34** |
| **3** | **मुरादाबाद मण्डल** | | | |
| | मुरादाबाद | 23 | 19 | 4 |
| | जे0पी0 नगर | 17 | 12 | 5 |
| | बिजनौर | 30 | 25 | 5 |
| | रामपुर | 12 | 12 | - |
| | **योग :** | **82** | **68** | **14** |
| **4** | **आगरा मण्डल** | | | |
| | आगरा | 30 | 21 | 9 |
| | मथुरा | 27 | 25 | 2 |
| | मैनपुरी | 19 | 14 | 5 |
| | फिरोजाबाद | 23 | 23 | - |
| | **योग :** | **99** | **83** | **16** |
| **5** | **अलीगढ़ मण्डल** | | | |
| | अलीगढ़ | 36 | 33 | 3 |
| | महामायानगर | 9 | 8 | 1 |
| | एटा | 15 | 15 | - |
| | कांशी रामनगर | 5 | 4 | 1 |
| | **योग :** | **65** | **60** | **5** |

| क्र0सं0 | मण्डल/जनपद का नाम | जनपद में कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत अधिकारी | कुल रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| **6** | **बरेली मण्डल** | | | |
| | बरेली | 25 | 22 | 3 |
| | बदायूं | 30 | 20 | 10 |
| | शाहजहांपुर | 23 | 19 | 4 |
| | पीलीभीत | 10 | 9 | 1 |
| | **योग :** | **88** | **70** | **18** |
| **7** | **चित्रकूट मण्डल** | | | |
| | चित्रकूट | 8 | 8 | - |
| | बांदा | 15 | 15 | - |
| | महोबा | 6 | 6 | - |
| | हमीरपुर | 12 | 12 | - |
| | **योग :** | **41** | **41** | **-** |
| **8** | **झांसी मण्डल** | | | |
| | झांसी | 20 | 19 | 1 |
| | ललितपुर | 17 | 16 | 1 |
| | जालौन | 16 | 16 | - |
| | **योग :** | **53** | **51** | **2** |
| **9** | **इलाहाबाद मण्डल** | | | |
| | इलाहाबाद | 47 | 46 | 1 |
| | फतेहपुर | 30 | 28 | 2 |
| | प्रतापगढ़ | 46 | 35 | 11 |
| | कौशाम्बी | 11 | 9 | 2 |
| | **योग :** | **134** | **118** | **16** |
| **10** | **मिर्जापुर मण्डल** | | | |
| | मिर्जापुर | 19 | 18 | 1 |
| | सोनभद्र | 14 | 12 | 2 |
| | संतरविदासनगर | 4 | 4 | - |
| | **योग :** | **37** | **34** | **3** |

| क्र0सं0 | मण्डल/जनपद का नाम | जनपद में कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत अधिकारी | कुल रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| **11** | **कानपुर मण्डल** | | | |
| | कानपुर नगर | 29 | 29 | - |
| | कानपुर देहात | 17 | 17 | - |
| | इटावा | 21 | 14 | 7 |
| | औरैया | 10 | 9 | 1 |
| | फर्रुखाबाद | 15 | 13 | 2 |
| | कन्नौज | 13 | 11 | 2 |
| | **योग :** | **105** | **93** | **12** |
| **12** | **वाराणसी मण्डल** | | | |
| | वाराणसी | 12 | 6 | 6 |
| | चन्दौली | 16 | 15 | 1 |
| | गाजीपुर | 38 | 28 | 10 |
| | जौनपुर | 28 | 20 | 8 |
| | **योग :** | **94** | **69** | **25** |
| **13** | **आजमगढ़ मण्डल** | | | |
| | आजमगढ़ | 45 | 29 | 16 |
| | मऊ | 25 | 13 | 12 |
| | बलिया | 51 | 28 | 23 |
| | **योग :** | **121** | **70** | **51** |
| **14** | **गोरखपुर मण्डल** | | | |
| | गोरखपुर | 46 | 34 | 12 |
| | महराजगंज | 26 | 19 | 7 |
| | कुशीनगर | 20 | 16 | 4 |
| | देवरिया | 22 | 18 | 4 |
| | **योग :** | **114** | **87** | **27** |
| **15** | **बस्ती मण्डल** | | | |
| | बस्ती | 24 | 19 | 5 |
| | सिद्धार्थनगर | 19 | 11 | 8 |
| | संतकबीर नगर | 13 | 9 | 4 |
| | **योग :** | **56** | **39** | **17** |

| क्र0सं0 | मण्डल/जनपद का नाम | जनपद में कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत अधिकारी | कुल रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| **16** | **देवीपाटन मण्डल** | | | |
| | गोण्डा | 32 | 22 | 10 |
| | बलरामपुर | 12 | 6 | 6 |
| | श्रावस्ती | 10 | 4 | 6 |
| | बहराइच | 29 | 14 | 15 |
| | **योग :** | **83** | **46** | **37** |
| **17** | **फैजाबाद मण्डल** | | | |
| | फैजाबाद | 22 | 26 | 6 |
| | बाराबंकी | 34 | 34 | - |
| | सुल्तानपुर | 24 | 20 | 4 |
| | अम्बेडकरनगर | 12 | 8 | 4 |
| | छत्रपतिशाहूजी महाराजनगर | 28 | 21 | 7 |
| | **योग :** | **120** | **99** | **21** |
| **18** | **लखनऊ मण्डल** | | | |
| | लखनऊ | 23 | 23 | - |
| | हरदोई | 33 | 22 | 11 |
| | रायबरेली | 27 | 24 | 3 |
| | उन्नाव | 42 | 42 | - |
| | सीतापुर | 34 | 31 | 3 |
| | खीरी | 35 | 28 | 7 |
| | **योग :** | **194** | **170** | **24** |
| | वी0पी0 संस्थान, लखनऊ | 11 | 11 | - |
| | आहार परीक्षण प्रयोगशाला प्रधान कार्यालय | 2 | 2 | - |
| | प्रयोजना अधिकारी भेड़, मिर्जापुर | 8 | 8 | - |
| | समस्त प्रक्षेत्र संगठन | 12 | 5 | 7 |
| | भैसोड़ा भेड़ प्रक्षेत्र | 3 | 1 | 2 |
| | डी0एफ0एस0बाबूगढ़ गाजियाबाद | 1 | 1 | - |

| क्र0सं0 | मण्डल/जनपद का नाम | जनपद में कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत अधिकारी | कुल रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| | पशुधन प्रसाद अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र चकगंजरिया लखनऊ | 2 | 1 | 1 |
| | डी0एफ0एस0 चकगंजरिया | 2 | 2 | - |
| | मेडिकल कालेज | 6 | 5 | 1 |
| | **कुल योग :** | **1779** | **1420** | **359** |

## नत्थी 'छ'

(देखिये अता0प्र0सं0-162 का उत्तर पीछे पृष्ठ 100 पर)

**विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2011 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित श्री अनूप कुमार गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-162 के उत्तर का संलग्नक**

1-श्री रवीन्द्र नाथ त्रिवेदी, प्रधान बंदीरक्षक
2-श्री बनारसी राम वर्मा, बंदीरक्षक
3-श्री महेश चन्द्र दुबे, प्रधान बंदीरक्षक
4-श्री उमेश चन्द्र पाठक, बंदीरक्षक
5-श्री सूर्यभान सिंह, प्रधान बंदीरक्षक
6-श्री प्रदीप कुमार, प्रधान बंदीरक्षक
7-श्री श्रीनारायण सिंह, प्रधान बंदीरक्षक
8-श्री विजय प्रकाश सक्सेना, बंदीरक्षक
9-श्री अम्बिका प्रसाद, बंदीरक्षक
10-श्री गिरीश चन्द्र दुबे, बंदीरक्षक
11-श्री रमाकान्त मिश्रा, बंदीरक्षक
12-श्री राम नरेश सिंह, बंदीरक्षक
13-श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता, बंदीरक्षक
14-श्री शारदा प्रसाद तिवारी, प्रधान बंदीरक्षक
15-श्री श्याम लाल, बंदीरक्षक
16-श्री राम प्रसाद राजवंशी, बंदीरक्षक
17-श्री प्रताप सिंह, बंदीरक्षक
18-श्री राममूर्ति सिंह, बंदीरक्षक
19-श्री गया प्रसाद शुक्ला, बंदीरक्षक
20-श्री गोविन्द शर्मा, बंदीरक्षक
21-श्री राममूर्ति लाल श्रीवास्तव, बंदीरक्षक
22-श्री शिव कुमार मिश्रा, बंदीरक्षक
23-श्री नन्द लाल गुप्ता, बंदीरक्षक
24-श्री दुर्गेश चन्द्र शर्मा, बंदीरक्षक
25-श्री ओंकार नाथ मिश्रा, बंदीरक्षक
26-श्री जगदम्बा प्रसाद दुबे, प्रधान बंदीरक्षक
27-श्री राम दुलारे वर्मा, बंदीरक्षक
28-श्री बालक राम, प्रधान बंदीरक्षक

29-श्री बद्री प्रसाद पाल, प्रधान बंदीरक्षक
30-श्री द्विजेन्द्र नाथ अवस्थी, बंदीरक्षक
31-श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुनेश्वर सिंह, बंदीरक्षक
32-श्री अशोक कुमार दीक्षित, बंदीरक्षक
33-श्री राम खेलावन यादव, बंदीरक्षक
34-श्री प्यारे लाल दीक्षित, बंदीरक्षक
35-श्री योगेन्द्र नाथ सिंह पुत्र श्री रमाशंकर सिंह, बंदीरक्षक
36-श्री हरि नारायण त्रिवेदी, बंदीरक्षक
37-श्री सत्य कुमार त्रिवेदी, बंदीरक्षक
38-श्री सुरेश कुमार मिश्रा, बंदीरक्षक
39-श्री ओम प्रकाश पाल, बंदीरक्षक
40-श्री बिन्द पाल सिंह, बंदीरक्षक
41-श्री राम अभिलाख तिवारी, बंदीरक्षक
42-श्री रमेश चन्द्र यादव, बंदीरक्षक
43-श्री प्रेम चन्द्र पाण्डेय, बंदीरक्षक
44-श्री गुरु प्रसाद मौर्य, बंदीरक्षक
45-श्री भोंदल यादव, बंदीरक्षक
46-श्री सालिग राम रस्तोगी, बंदीरक्षक
47-श्री राम बाबू तिवारी, प्रधान बंदीरक्षक
48-श्री जय प्रकाश मिश्रा, प्रधान बंदीरक्षक
49-श्री सुखेन्द्र सिंह, रिजर्व प्रधान बंदीरक्षक
50-श्री चांद मोहम्मद खां, रिजर्व प्रधान बंदीरक्षक
51-श्रीमती प्रेमलता शाह, महिला प्रधान बंदीरक्षक
52-श्री राम शंकर वर्मा, प्रधान बंदीरक्षक
53-श्रीमती सूरज कला, महिला प्रधान बंदीरक्षक
54-श्रीमती पीताम्बरी देवी त्रिपाठी, महिला प्रधान बंदीरक्षक
55-श्री शीतला प्रसाद शर्मा, बंदीरक्षक
56-श्री निर्मल कुमार मिश्रा, रिजर्व प्रधान बंदीरक्षक
57-श्री अखिलेश दत्त मिश्रा, रिजर्व बंदीरक्षक
58-श्री विजय बहादुर सिंह, बंदीरक्षक
59-श्री प्रेम शंकर मिश्रा, बंदीरक्षक
60-श्री ओम प्रकाश गुप्ता, बंदीरक्षक

61-श्री मूल चन्द्र मिश्रा, बंदीरक्षक
62-श्री मुलुक राज तिवारी, बंदीरक्षक
63-श्री लवकुश मिश्रा, बंदीरक्षक
64-श्री जय राज शर्मा, बंदीरक्षक
65-श्री देवनाथ त्रिपाठी, बंदीरक्षक
66-श्री धनीराम वर्मा, बंदीरक्षक
67-श्री देवी शरण तिवारी, बंदीरक्षक
68-श्री दामोदर दत्त चतुर्वेदी, बंदीरक्षक
69-श्री गया प्रसाद मिश्रा, बंदीरक्षक
70-श्री अश्वनी कुमार परिहार, बंदीरक्षक
71-श्री शिव बहादुर मिश्रा, बंदीरक्षक
72-श्री शंकर लाल यादव, बंदीरक्षक
73-श्री शिव शंकर वर्मा, बंदीरक्षक
74-श्री रेवती रमण शुक्ला, बंदीरक्षक
75-श्री शकील आलम, बंदीरक्षक
76-श्री सतीश चन्द्र दीक्षित, बंदीरक्षक
77-मो0 सब्बीर खां, बंदीरक्षक
78-श्री सियाराम कश्यप, बंदीरक्षक
79-श्री राजेन्द्र बाबू सिंह, बंदीरक्षक
80-श्री राम खेलावन पाल, बंदीरक्षक
81-श्री राम बहादुर शर्मा, बंदीरक्षक
82-श्री रणधीर सिंह यादव, बंदीरक्षक
83-श्री अजहर यार खां, बंदीरक्षक
84-श्री महादेव प्रसाद, प्रधान बंदीरक्षक
85-श्री निर्मल कुमार तिवारी, प्रधान बंदीरक्षक
86-मोहम्मद वसीक, प्रधान बंदीरक्षक
87-श्री नन्हे लाल विश्वकर्मा, प्रधान बंदीरक्षक
88-श्री जय कुमार गुप्ता, प्रधान बंदीरक्षक
89-श्री मेवा लाल, प्रधान बंदीरक्षक
90-श्री महबूब खां, प्रधान बंदीरक्षक
91-श्री अवनीश नारायण अवस्थी, प्रधान बंदीरक्षक
92-श्री कुंवर सिंह, बंदीरक्षक

93-श्री कामता प्रसाद, मुख्य प्रधान बंदीरक्षक
94-श्री लल्लू राम पाल, प्रधान बंदीरक्षक
95-श्री जमुना दयाल, प्रधान बंदीरक्षक
96-श्री ज्ञान बहादुर सिंह, प्रधान बंदीरक्षक
97-श्री दिनेश चन्द्र बाजपेई, प्रधान बंदीरक्षक
98-श्री नवी मोहम्मद, प्रधान बंदीरक्षक
99-श्री जय प्रकाश सैनी, प्रधान बंदीरक्षक
100-श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा, मुख्य रिजर्व प्रधान बंदीरक्षक
101-श्री नरेन्द्र सिंह रावत, बंदीरक्षक
102-श्री सुरेश चन्द्र अवस्थी, बंदीरक्षक
103-श्री अमर पाल सिंह, बंदीरक्षक
104-श्री इश्तियाक अहमद, बंदीरक्षक
105-श्री साबिर अली, बंदीरक्षक
106-श्री रणवीर सिंह, बंदीरक्षक
107-श्री राकेश कुमार मिश्रा, बंदीरक्षक
108-श्री प्रेम शंकर दीक्षित, प्रधान बंदीरक्षक
109-श्री राम लखन वर्मा, प्रधान बंदीरक्षक
110-श्री राम सागर दुबे, बंदीरक्षक
111-श्री राम गुलाम, बंदीरक्षक
112-श्री राधेश्याम यादव, बंदीरक्षक
113-श्री रामचन्द्र त्रिवेदी, बंदीरक्षक
114-श्री सुरेन्द्र कुमार कश्यप, बंदीरक्षक
115-श्री प्रदीप कुमार यादव, रिजर्व बंदीरक्षक
116-श्री मजहरुद्दीन, बंदीरक्षक
117-श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव, बंदीरक्षक
118-श्री शिव नन्दन सिंह, बंदीरक्षक
119-श्री सूर्य नाथ त्रिपाठी, बंदीरक्षक
120-श्री अरुण कुमार मिश्रा, बंदीरक्षक
121-श्री गंगा प्रसाद सूर्यवंशी, बंदीरक्षक
122-श्री सुरेश कुमार मिश्रा, बंदीरक्षक
123-श्री ओम प्रकाश मौर्य, बंदीरक्षक
124-श्री मिही लाल, प्रधान बंदीरक्षक
125-श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय, प्रधान बंदीरक्षक

126-श्री बृज कुमार दीक्षित, रिजर्व बंदीरक्षक
127-श्री नरसिंह प्रसाद, रिजर्व प्रधान बंदीरक्षक
128-श्री श्याम लाल, प्रधान बंदीरक्षक
129-श्री सर्वाबख्स सिंह, बंदीरक्षक
130-श्री चन्द्रभान पाण्डेय, प्रधान बंदीरक्षक
131-श्री नौशाद अली, बंदीरक्षक
132-मो0 इकबाल, बंदीरक्षक
133-श्री सुरेन्द्र नाथ दीक्षित, बंदीरक्षक
134-श्री कृष्ण पाल मिश्रा, बंदीरक्षक
135-श्री रमा शंकर शर्मा, बंदीरक्षक
136-श्री उमाकान्त झॉ, बंदीरक्षक
137-श्री फूल सिंह, प्रधान बंदीरक्षक
138-श्री लल्लू राम मिश्रा, प्रधान बंदीरक्षक
139-श्री राम प्यारे, बंदीरक्षक
140-श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, बंदीरक्षक
141-श्री नन्हें लाल कनौजिया, बंदीरक्षक
142-श्री कैलाश बिहारी श्रीवास्तव, बंदीरक्षक
143-श्री जलील अहमद, बंदीरक्षक
144-श्री सुशील चन्द्र सक्सेना, बंदीरक्षक
145-श्री समद हुसैन, बंदीरक्षक
146-श्री शिववीर सिंह, बंदीरक्षक
147-श्री सत्यवीर सिंह, बंदीरक्षक
148-श्री शत्रुघन लाल यादव, बंदीरक्षक
149-श्री श्रीपाल तिवारी, बंदीरक्षक
150-श्री संकठा सिंह, बंदीरक्षक
151-श्री शमशू खां, बंदीरक्षक
152-श्री गोवर्धन सिंह, बंदीरक्षक
153-श्री राम लाल यादव, बंदीरक्षक
154-श्री राम कुमार, प्रधान बंदीरक्षक
155-श्री मेवालाल, प्रधान बंदीरक्षक
156-श्री सूर्य प्रसाद कनौजिया, प्रधान बंदीरक्षक
157-मो0 शमीम, प्रधान बंदीरक्षक
158-मो0 जमील अहमद, प्रधान बंदीरक्षक
159-श्री ओम प्रकाश तिवारी, प्रधान बंदीरक्षक
160-श्रीमती विमलेश जायसवाल, महिला प्रधान बंदीरक्षक
161-श्री राम स्वरूप, रिजर्व प्रधान बंदीरक्षक

162-श्री छोटे लाल सिसौदिया, बंदीरक्षक
163-श्री इन्द्र कुमार शुक्ला, बंदीरक्षक
164-श्री कमलेश कुमार पाठक, बंदीरक्षक
165-श्री राकेश शुक्ला, बंदीरक्षक
166-श्री राजाराम निर्मल, बंदीरक्षक
167-श्री बाबादीन मौर्य, बंदीरक्षक
168-श्री माता शरण मिश्रा, बंदीरक्षक
169-श्री बाबू लाल द्विवेदी, बंदीरक्षक
170-श्री छोटे लाल पाल, बंदीरक्षक
171-श्री बाबू लाल वर्मा, बंदीरक्षक
172-श्री राम सूरत शर्मा, बंदीरक्षक
173-श्री राम कृपाल तिवारी, बंदीरक्षक
174-श्री राज बहादुर यादव, बंदीरक्षक
175-श्री सियाराम भार्गव, बंदीरक्षक
176-श्री अनूप कुमार दीक्षित, रिजर्व बंदीरक्षक

---

पी0एस0यू0पी0-एल0 121 विधान सभा (222)-21-10-2011-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।